भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

Land Ports Authority of India

12वीं वार्षिक रिपोर्ट

12th Annual Report

2023-24



सीमा प्रबंधन विभाग

गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

Department of Border Management

Ministry Of Home Affairs, Government of India, New Delhi

CONTENT

S.No.	Particulars	Page No.
	Chapter 1: LPAI at a Glance	
I.	Establishment of Land Ports Authority of India	3-6
II.	"Swachh Bharat, Swachh Land Ports"	7
III.	Significant events of FY-2023-24	8-11
IV.	Strengthening the human resources	12-13
V.	Land Ports' Publications & Research journals	14-18
	Chapter 2: Annual Financial Results	
I.	Summary of annual financial results for FY-2023-24	19-20
II.	Initiatives for efficiency improvement and revenue enhancement	21
III.	Financial performance and execution of sanctioned projects	22-25
IV.	New projects and expansion schemes	26
	Chapter 3: LPAI Progress during 2023-24	
I.	Trade and passenger movement during FY-2023-24	27-28
II.	Key statistics and graphs FY-2023-24	29-30
III.	Annual Plan of FY-2023-24	31-32
	Chapter 4: LPAI Initiative	
I.	Gender Mainstreaming	33-35
II.	Advancing Sustainability at India's Land Ports	36
III.	Participation in Regional Connectivity and Development Initiatives with International Agencies	37-38
	Chapter 5: Audit Report	
I.	Audit Report of the C&AG on accounts of Land Ports Authority of India	39-50
II.	Balance sheet, income and expenditure accounts and schedules forming part of balance sheet for 2023-24	51-74

LPAI at a Glance | Chapter 01

I. Establishment of Land Ports Authority of India

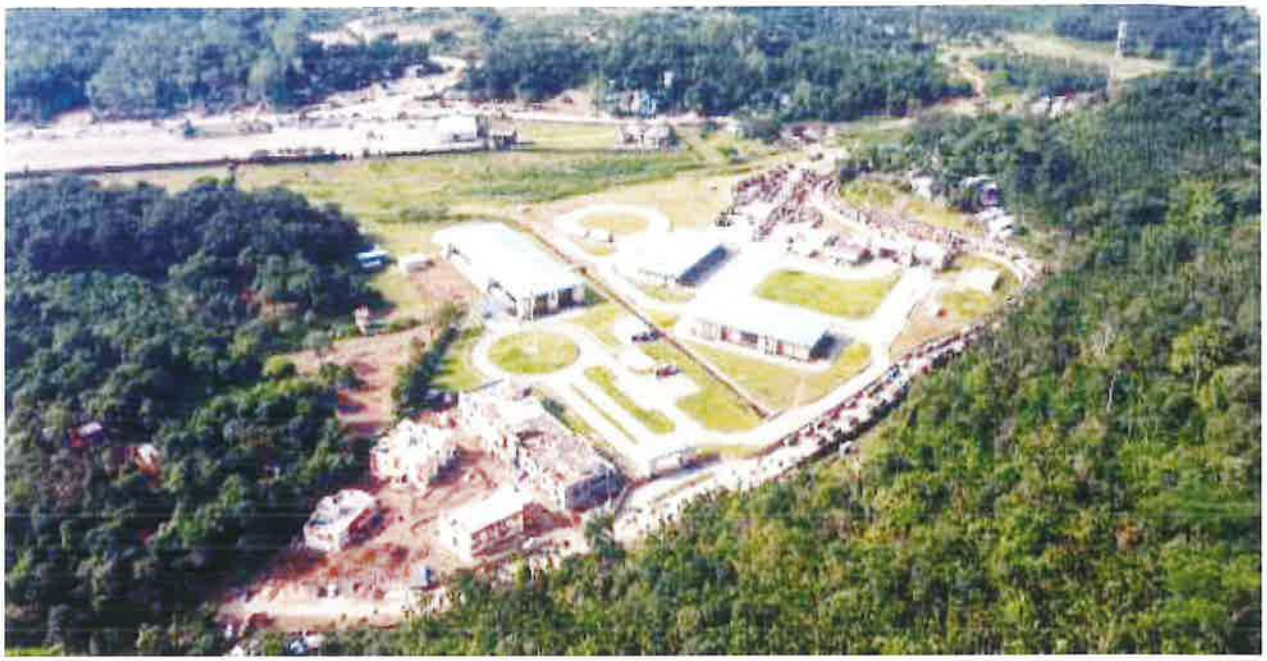


Figure 1: Aerial view of Dawki land port, Meghalaya

The Government of India, through Ministry of Home Affairs, established Land Ports Authority of India (LPAI) as a statutory body under the Land Ports Authority of India Act, 2010. It is mandated under LPAI Act, to develop, sanitize, operate and manage the state-of-the art-facilities (Land Ports) for cross-border movement of passengers and goods at designated points along the international borders of India. The development of state-of-the-art facilities at the remote but strategically important passenger and trade transit locations is undertaken by the Land Ports Authority of India.

Land Ports provide enabling infrastructure to bring all stakeholders under one roof, including but not limited to, Customs, Immigration, Border Guarding Forces (BGFs), Plant and Animal Quarantine, Land Port Health Units and Food safety and standards Authority of India (FSSAI).

LPAI has completed 12 glorious years of service to the nation in March 2024 and has developed and operationalized twelve Land Ports during the period. First land port, at Attari, Punjab, was developed and operationalized in 2012 on a traditional trade route between India and Pakistan. Since the beginning LPAI strives to develop land ports as-state-of-art infrastructure by integrating digital technology and

enhancing security measures aligns with the country's broader objectives of regional connectivity and economic growth.

In the Financial Year 2023-24, LPAI commissioned **three additional land ports at Dawki (Meghalaya), Rupaidiha (Uttar Pradesh) and Sabroom (Tripura).** Each of these ports hold significant value and are strategically located. Dawki land port plays vital role by providing connectivity between Shillong in state of Meghalaya and Sylhet district in Bangladesh, boosting tourism and trade in the region. Rupaidiha land port is first in the state of Uttar Pradesh and provides passenger and trade connectivity to Nepal. Opening of land port boosts trade passenger traffic significantly. Sabroom Land Port aligns with India's broader objectives to utilize Bangladesh's strategic geographic location as a gateway to the Bay of Bengal.

LPAI envisages creating a robust network of land ports that not only foster economic benefits but also strengthen diplomatic ties with neighbouring countries.

To achieve its objective, LPAI is guided by its vision, mission and key functions as defined under LPAI Act, 2010.

Our Vision and Mission

Vision

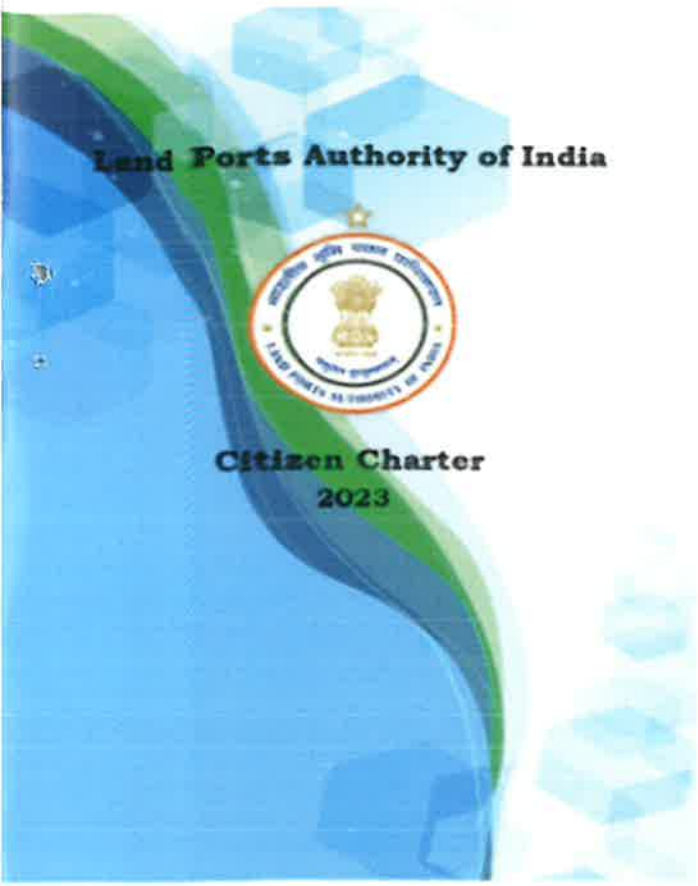
- Pillar 1: Facilitation of land border trade
- Pillar 2: Enhancing connectivity in border areas
- Pillar 3: Enhancing Border Security
- Pillar 4: Promotion of welfare schemes
- Pillar 5: Promotion of People to People Connect

Mission

- Build land ports on India's borders
- Provide secure, seamless, and efficient systems for cargo and passenger movement
- Reduce dwell time and trade transaction costs
- Promote regional trade and people-to-people contact
- Imbibe best international practices

Key functions of LPAI

- To put in place systems to address security imperatives at Land Ports.
- To provide space and facilities to regulatory agencies.
- To establish and maintain warehouses, container depots and cargo complexes.
- To plan, procure, install, and maintain communication, security, handling, and scanning equipment.
- To ensure prevention and control of fire and other hazards and other facilities as deemed necessary.



The Land Ports Authority of India (LPAI) has prepared and published its Citizen Charter in line with the objective to empower citizens in relation to public service delivery. The document provides basic information to the public and opens the vistas of transparency and accountability in the systems, along with a timeline for the disposal of grievances. The key contours of Citizen charter of LPAI are -

1) Details of Cargo and passenger facilities

2) Contact details and working hours of land ports

3) Details of Central Public Information Officers

4) Details of Grievance redressal

To further streamline procedures and processes at land ports for the facilitation of trade and passengers, LPAI has prepared a comprehensive Standard Operating Procedure (SOP) integrating the key functions of its stakeholders. The SOP ensures a seamless experience for its stakeholders and the removal of duplicate processes.

Details of Operational land ports as on 31st March 2024

Table 1: Twelve operational land ports

S. No.	Land Port Location	State	Bordering Country	Start Date of Operation
1	Attari	Punjab	Pakistan	13-04-2012
2	Agartala	Tripura	Bangladesh	17-11-2013
3	Petrapole	West Bengal	Bangladesh	12-02-2016
4	Raxaul	Bihar	Nepal	03-06-2016
5	Jogbani	Bihar	Nepal	15-11-2016
6	Moreh	Manipur	Myanmar	04-01-2019
7	Sutarkandi	Assam	Bangladesh	07-09-2019
8	Dera Baba Nanak	Punjab	Pakistan	09 11 2019
9	Srimantapur	Tripura	Bangladesh	05-09-2020

S. No.	Land Port Location	State	Bordering Country	Start Date of Operation
10	Dawki	Meghalaya	Bangladesh	04-05-2023
11	Rupaidiha	Uttar Pradesh	Nepal	01-06-2023
12	Sabroom	Tripura	Bangladesh	09-03-2024

Table 2: Members of Board of Land Ports Authority of India

S. No.	Board Members of LPAI
1.	Chairman, Land Ports authority of India
2.	Member (Planning & Development), Land Ports authority of India
3.	Member (Finance), Land Ports authority of India
4.	Additional Secretary and Legislative Counsel, Ministry of Law and Justice
5.	Joint Secretary (BM-II), Ministry of Home Affairs
6.	Additional Secretary, D/o Commerce
7.	Joint Secretary (Plant Protection), D/o Agriculture & Cooperation
8.	CE(Monitoring)Road Transportation and Highways
9.	Joint Secretary (DPA-III) Ministry of External Affair
10.	Joint Secretary (BM) Ministry of External Affairs
11.	Joint Secretary (Army), Ministry of Defence
12.	Commissioner (Customs), Central Board of Indirect taxes & Custom
13.	Executive Director, Traffic Transportation (Steel), M/o Railways
14.	President, Federation of Indian Export Organization
15.	Commissioner & Secretary, Home, Political, Passport, Border Areas, Information and Public Relations of States Government (Assam, Bihar, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Punjab, Tripura, Uttar Pradesh)
16.	Principal Resident Commissioner, Government of West Bengal`
17.	Representatives of Workers and Traders Association - Yet to be nominated

Table 3: Office Bearers of LPAI in FY 2023-24

S. No.	Name	Office Held	Period	
			From	To
1	Sh. Aditya Mishra	Chairman	01.04.2023	31.03.2024
2	Sh. Sanjeev Gupta	Member (Planning & Development))	01.04.2023	31.03 2024
3	Smt. Rekha Raikar Kumar	Member (Finance)	01.04.2023	31.03 2024
4	Sh. Vivek Verma	Secretary	01.04.2023	31.03 2024

Table 4: Board meetings conducted during FY 2023-24

S. No.	Board Meeting	Date and Venue
1	32nd Board meeting	13th July 2023 at LPAI HQ, New Delhi
2	33rd Board meeting	12th October 2023 at LPAI HQ New Delhi
3	34th Board meeting	24th January 2024 at LPAI HQ New Delhi

II. "Swachh Bharat, Swachh Land Ports"

As per PM's Swachh Bharat Mission, LPAI organized a Swachhata Pakhwada to promote cleanliness and hygiene across its land ports. During this initiative, LPAI focused on the meticulous cleaning and organizing of old records, files, and documents, ensuring that outdated paperwork was properly disposed of and archived. In addition to the LPAI headquarter, the cleaning efforts also extended to the land ports' premises, including the passenger and cargo terminal buildings. Special attention was given to maintaining cleanliness in the main building hallways and the warehouse areas, which are often high-traffic zones. The Swachhata Pakhwada aimed to enhance the overall work environment, ensuring a safer and more efficient space for both employees and visitors. This initiative aligns with the government's vision of maintaining clean and sustainable workspaces while raising awareness about the importance of cleanliness in public facilities.

III. Significant Events of 2023-24

a) MoS for Home Affairs Shri Nityanand Rai inaugurated Land Port Dawki on 4th May 2023, in Meghalaya. The Land Port is expected to boost tourism and trade..



b) Boder Guarding Force accommodation inaugurated at Jogbani. LPAI has provided BGF accommodation for males and females at land ports.



c) Bangladesh-India Sub-group on Infrastructure of Integrated Check-Posts and Land Customs Stations held in Dhaka on 4-5 Nov 2023.



d) Virtual inauguration of Land Port Sabroom carried out by Hon'ble Prime Minister of India along with H.E PM of bangladesh on 9th March 2024 as part of 'Viksit Bharat Viksit North East'. event.



e) Hon'ble Home Minister Shri Amit Shah inaugurated the hostel accommodation and the Bhumi Pujan of the 2nd Cargo Gate (Maitri Dwaaar). It marked an important milestone in boosting trade & enhancing border connectivity.



f) UP's first Land Port at Rupaidiha inaugurated jointly by Hon'ble Prime Minister of India and H.E Prime Minister of Nepal on 1st June 2024.



g) International trader meet at Dawki Land Port. First international marquee meeting of traders from India, Bangladesh, and Bhutan. Landmark moment at Dawki



h) First–ever shipment between India and Bangladesh in Indian Rupees from Land Port Petrapole. Land Port Petrapole makes a historic move led by Tata Motors which exports through LC in Rupees. It is set to bolster trade between in India.



i) Daily bus service from Land Port Dawki to Shillong has officially kicked off on 12th March'23



j) Towards efficient trade facilitation and collaboration, Cargo operations and immigration processes have been digitalized at Jogbani land port.



k) Shri Pankaj Chaudhary, MoS, Ministry of Finance, planting tree at Sunauli - Bhairahawa Land Port groundbreaking ceremony. The Land Port is expected to boost tourism and trade.



l) Free daily transport service started for LPAI's female staff between Dera Baba Nanak town and land port as per Gender policy of LPAI.



m) Foreign currency exchnage counter inaugrated at Srimantapur land port on 21st Jul ' 23.



n) A team Experts from various Govt. organisation assembled at Land Port Agartala on 17th May'23 & discussed preliminary Security aspects of cross-border movement.



IV. Strengthening the human resources

1. LPAI's Training and Capacity Building initiatives for human resource development is built on seven foundational pillars: a structured training calendar, leveraging the iGOT Karmayogi Bharat platform for online learning, the MasterCLaaS Lecture Series featuring expert-led sessions, the Port-side Chats Podcast for engaging discussions, an expanding internship program, need-based training sessions and targeted workshops, seminars and outreach initiatives.

2. During the year, several key achievements marked the evolution of the Training and Capacity Building ecosystem. Collaboration with Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) under MEA, was initiated. These programs aim to foster regional partnerships and exchange best practices in land port management.

3. A series of impactful training programs were conducted in partnership with premier institutions to address critical skill areas. Security protocols and crisis management were the focus of training sessions at National Industrial Security Academy (NISA) Hyderabad, while National Fire Service College (NFSC) Nagpur hosted a two-week intensive program on fire safety and emergency response. Institute of Road Traffic Education (IRTE) Faridabad provided specialized training on road safety and traffic management, Indian Institute of Foreign Trade (IIFT) Delhi delivered advanced cross-border trade facilitation programs, and Institute of Hotel Management (IHM) Delhi conducted sessions to enhance passenger experience and hospitality. Another highlight of the year was the successful conduct of LPAI's first employee orientation program at Land Port, Attari, which provided staff with a structured introduction to organizational practices and values.

4. Digital learning became a cornerstone of the L&D framework, with over 80% of staff actively engaged on the iGOT Karmayogi Bharat platform. This initiative was further bolstered by the launch of the LPAI Karmayogi Bharat (KB) Tab, offering curated content tailored to the needs of LPAI personnel, ensuring seamless access to knowledge resources.

5. LPAI's internship program attracted young talent from leading academic institutions, facilitating research on topics like smart infrastructure and trade facilitation across borders. Plans are underway to extend this initiative to Bangladesh, Bhutan, India, Nepal (BBIN) countries, promoting regional collaboration and knowledge-sharing.

6. The MasterCLaaS Lecture Series emerged as a flagship initiative, bringing together thought leaders to share actionable insights on critical topics related to land port operations and management.

7. The commissioning of state-of-the-art LPAI Training Centre at Agartala, designed to provide immersive learning experiences. The centre feature modern classrooms, breakout spaces, and accommodations, setting the stage for the next phase of LPAI's capacity-building efforts.



Figure 2: LPAI Employee Orientation programme conducted at Attari Land Port



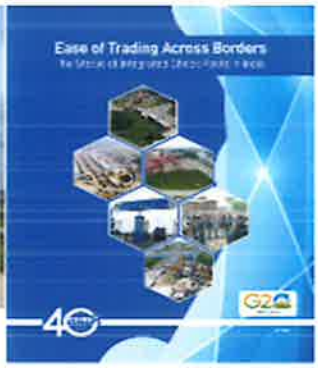
Security Training session for LPAI officials

V. Land Ports' Publications & Research journals

As cross-border trade and passenger movement rapidly expand, driving global economic integration, LPAI acknowledges the need for efficient border management to support economic development and regional cooperation. LPAI actively researches to grasp and adapt to trade and travel trends, focusing on policy, infrastructure, digitalization, and inclusivity. The Authority's research, conducted internally and with think tanks, informs infrastructural enhancements and technology adoption to improve border processes and ensure robust, responsive land port operations, with a strong commitment to gender inclusivity. LPAI actively publicizes its knowledge through report releases, which are attended by a diverse array of national and international stakeholders involved in logistics and trade, fostering a collaborative approach to sectoral advancement.



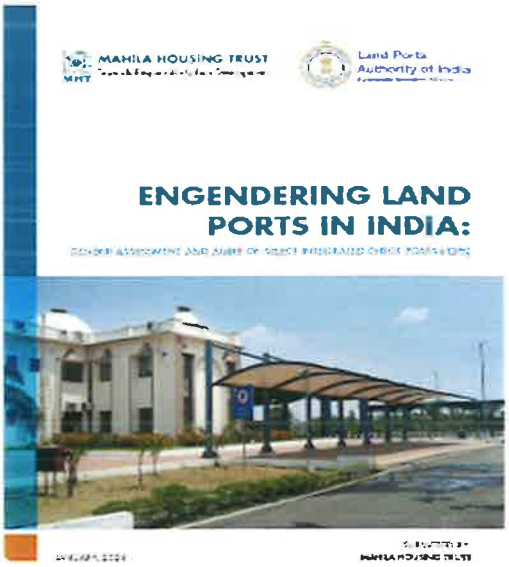
Coordinated Border Management at Land Ports in BBIN Countries

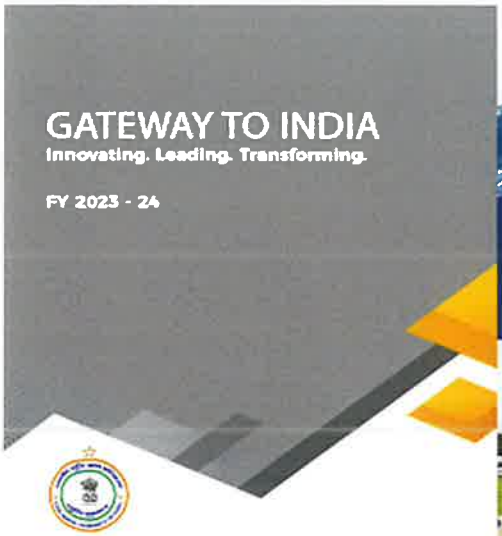


Land Ports Authority of India

BRIEF

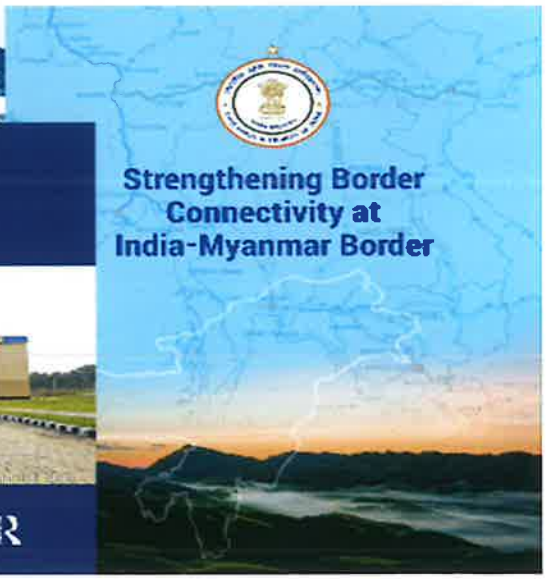
Forecasting Study of Passenger Movement Between India & Nepal Via Land Ports











One such study, **"Coordinated Border Management at Land Ports in BBIN Countries"** driven by BRIEF for LPAI and published in June 2023 underscores the significance of collaborative efforts between India and its neighbours—Nepal, Bhutan, and Bangladesh. The study outlines an action plan for establishing coordinated border management, which is essential for expediting cross-border trade and increasing competitiveness. It meticulously assesses the feasibility of common facilitation measures, including the development of shared infrastructure and the alignment of regulatory procedures.

The **"Journal of Land Ports and Border Economy Issue II"**, an inhouse journal, published in December 2023, explores the advancements in border management, highlighting India's journey in enhancing the border economy through the development and upgradation of transit points. This journal features research papers that delve into various dimensions of trade and development, offering a critical evaluation of India's approach to border management.

The study **"Ease of Trading Across Borders: The Status of Integrated Check Posts in India"** by CUTS International, published in October 2023, emphasizes the pivotal role of land ports in facilitating trade and passenger movement, contributing to India's compliance with the World Trade Organisation's Trade Facilitation Agreement (TFA). It provides a roadmap for improving infrastructure and services at land ports based on stakeholder feedback, aiming to reduce cargo release times and streamline border management procedures.



The study **"Engendering Land Ports In India,"** commissioned by LPAI and conducted by Mahila Housing Trust, examines the underrepresentation of women in cross-border trade and transport. This report was released on 9th January 2024. The study introduces a gender inclusivity toolkit with an evaluative scoring index, designed to measure and foster gender responsiveness at land ports. By pinpointing and addressing institutional, infrastructural, informational, and social challenges, the toolkit

aims to promote greater involvement of women in cross-border activities, thereby ensuring that trade benefits are more equitably distributed.

The **"Perception Study of Passenger Movement Between India & Nepal Via Land Ports"** drafted by BRIEF and published in March 2024, examines the unique relationship between India and Nepal, focusing on the free movement of goods and passengers as per the India-Nepal Treaty of Peace and Friendship of 1950. The study identifies challenges and suggests improvements for passenger movement through land ports, aligning with the BBIN Motor Vehicles Act and enhancing bilateral connectivity.

The **"Strengthening Border Connectivity at India-Myanmar Border"** study, released on 14th July 2023, highlights the strategic importance of enhancing infrastructure at Land Port Moreh to boost trade and connectivity between India's NER and Southeast Asia. It recommends fast-tracking infrastructure development, streamlining trade procedures, & fortifying institutional frameworks to capitalize on efficiency of land routes, unlock export potential, and stimulate regional economic growth.



LPAI's biannual magazine, **"Gateway to India"** provides a detailed account of the authority's mission to modernize India's border crossings. It showcases key initiatives and technological advancements, such as the Land Port Management System (LPMS) and Asset Management System, which have significantly reduced processing times and improved operational efficiency. The report also highlights LPAI's commitment to sustainability and gender inclusivity, with future plans to upgrade and develop new ports to further enhance trade corridors.

"LPAI Connect," two issues of newsletter by the Land Ports Authority of India (LPAI), serves as a key tool for stakeholder engagement, offering updates on recent activities and developments at operational and upcoming Land Ports. It aims to inform stakeholders and broaden the impact of trade facilitation reforms, thereby strengthening India's land border trade.

Annual Financial Results

Chapter 02

I. Summary of annual financial results for FY 2023-24

(i) Grant-in-Aid

In the Financial Year 2023-24, LPAI received total Grant-in-Aid of ₹ 533.50 crores from the Ministry of Home Affairs. The grant-in-Aid received under heads of Capital, General and Salary was ₹470.00 crore, ₹55.00 crore and ₹8.50 crore respectively.

The total expenditure for the FY 2023-24 was ₹ 544.70 crores. The utilization against respective heads of Capital, General and Salary was ₹470.00 crore, ₹53.69 crore and ₹8.43 crore. An additional expenditure of ₹12.58 crore for the Creation of Capital Assets was met from internal receipts. The unutilized grant amounting to ₹1.38 crore under General head was auto-surrendered to the Ministry.

(ii) Treasury Single Account System (PFMS)

As per the direction of Ministry of Finance, Government of India Treasury Single Account (TSA) system was implemented in LPAI with effect from 01.04.2021 for achieving the following benefits

1. Enhance the efficiency of fund flows
2. Adoption of 'just in time' principle
3. Better Cash Management
4. Avoid parking of funds
5. Reducing Government borrowing

(iii) Income tax related

Since inception LPAI has been exempted from TDS under Income Tax 03- clause (i), of first provision to clause (23C) of section 10 (for application covered under sub-clause (iv) of Clause (23C) of Section 10 with validity upto FY 2026-27.

(iv) Goods and Service Tax

At present LPAI has total nine GST registrations for different states, namely Delhi, Punjab, West Bengal, Tripura, Bihar, Assam, Manipur, Meghalaya, and Uttar Pradesh. During FY 2023-24, in respect of various Land Ports, LPAI has paid ₹ 8.68 crore in GST to the Government of India and ₹ 2.14 crore, as Input Tax Credit (ITC) adjusted against the payable GST after complying with the requirement of Central Board of Indirect Taxes and Customs.

(v) Fixed assets:

LPAI possesses fixed assets worth ₹2116.70 Cr. These fixed assets are inclusive of land under the possession of LPAI, buildings, construction in progress and other fixed assets shown in table 5.

During the FY 2023-24, LPAI made ₹495.96 crore addition in Fixed Assets, and ₹112.48 crore depreciation charged on fixed assets as per Income Tax Act 1961.

Table 5: Fixed Assets of LPAI (Rs. Cr.)

Financial Year	Land	Building	Work in Progress	Others	Total
2021-22	518.32	503.11	379.68	43.69	1,444.70
2022-23	518.76	465.91	697.84	50.72	1,733.23
2023-24	518.76	884.64	636.25	77.05	2,116.70

*During the FY 23-24, an addition of INR 383.37 Cr. has been made to the fixed assets.

(vi) Earnings during the FY 2023-24:

During the FY 2023-24, LPAI generated a total income of ₹66.17 crores, which includes ₹3.96 crores from interest on deposits and ₹62.21 crores from operations in land ports.

Financial Year	Interest on deposits	Revenue from Land Ports	Total	YOY % change
2021-22	1.33	26.76	28.09	-
2022-23	1.31	30.19	31.50	12%
2023-24	3.96	62.21	66.17	110%

(vii) Expenditure during the 2023-24

As per Rule-230(8) of General Financial Rule-2017, the interest earned during the FY 2023-24 on Grant in Aid- Creation of Capital Assets, amounting to ₹4.37 crore, is paid to the Consolidated Fund of India, (PAO, Secretariat, MHA)

Table 8: Expenditure for Financial Year 2022-23/2023-24 (INR crores)

		Expenditure from Grant		Expenditure from Internal Receipt		Total Expenditure		Surrender Grant	
Year		2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
Capital	**Unspent balance of Previous year**	0.07	Nil	Nil	Nil	0.07	NIL	Nil	Nil
	Grant received during the year	323.20	470.00	0.19	12.58	323.39	482.58	1.80	Nil
	Sub-Total	323.27	470.00	0.19	12.58	323.46	482.58	Nil	Nil
General		27.00	53.69	12.55	Nil	39.55	53.69	Nil	1.31
Salaries		8.25	8.43	0.26	Nil	8.51	8.43	Nil	0.07
Total		**358.52**	**532.12**	**13.00**	**12.58**	**371.52**	**544.70**	**1.80**	**1.38**

II. Initiatives for efficiency improvement and revenue enhancement

1. National Time Release Study (NTRS), 2023 covering 15 key ports was published by CBIC. The salient outcome with respect to land ports were as follows:

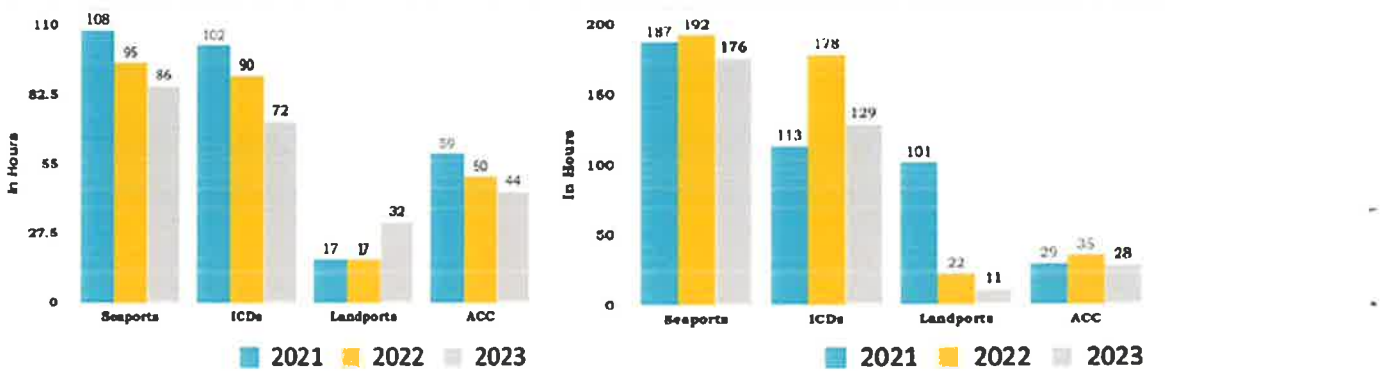
a) Report covered two crucial land ports - Raxaul and Petrapole

b) The import release time at these ports was 32 hours against NTFAP benchmark of 24 hours and

c) Average export release time was 11 hours, which is substantial reduction of 50% in comparison to previous year

The chart below provides comparison of the import and export clearance time with other modes of transport (sea, air etc) for 2021, 2022 and 2023:

Figure 3: Comparative Export time release data in hours



Import release time

Export release time

2. Introduced QR code reader machine and POS machines at all the 12 land ports for digital collection of revenue for weighment, parking and storage to ensure seamless collection and enhanced Management information system (MIS).

3. Land ports authority of India (LPAI) took over of cargo operations from CWC at Petrapole land port which is poised to increase revenue from cargo operations.

4. Awards of works for development of Land Port Management System to Kale Logistics to ensure seamless digitalization of land ports operations.

5. Passenger facilities enhanced at Srimantapur land port, with induction of ATM and Duty free shop have been provided for passengers.

6. Commissioning of Access Control and CCTV at multiple locations

7. Land identified and payments were made for establishing 7 new land ports in the state of west Bengal.

III. Operational performance and progress of sanctioned projects

a. Trade and Revenue:

Trade worth INR 71,009.75 Crores was facilitated through Land Ports during the Financial Year 2023-24. LPAI earned revenue of INR. 62.2 Cr. from the services provided at land ports. The details of trade and revenue are provided in the table below.

Table 9: Comparative Trade and Revenue of LPAI (₹ crores).

Land Port	Value of Trade (₹ crores)			Revenue from land ports (₹ crores)		
	2021-22	2022-23	2023-24	2021-22	2022-23	2023-24
Agartala	844.1	471.8	318.0	4.7	2.7	3.0
Attari	3,002.4	2,257.6	3,887.0	0.5	7.8	18.1
Dwaki	NA	NA	133.0	NA	NA	4.0
DBN Kartarpur	NA	NA	NA	0.1	0.2	0.0
Jogbani	10,423.0	8,747.4	7,916.0	4.1	2.1	5.0
Moreh	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	0.0
Petrapole	29,406.3	30,378.5	30,420.0	3.7	4.0	15.3
Raxaul	33,227.4	33,881.7	27,860.0	10.2	10.4	13.2
Srimantapur	171.9	172.2	123.5	1.4	1.0	1.2
Sutarkandi	498.1	410.6	352.3	1.5	1.9	2.3
Total	**77,573.1**	**76,319.7**	**71,009.8**	**26.2**	**30.0**	**62.2**

*No trade via Moreh land port since May 2023.

b. Passenger movement

Passenger movement through Land ports during last three financial years is shown in the table10.

Table 10: Passenger movement via land ports

	No. of Passengers (in 000s)			% Change from 2021-22
	2021-22	2022-23	2023-24	
Agartala	66.117	316.4	328.2	396%
Attari	16.191	67.7	71.5	342%
Dawki	NA	NA	88.7	NA
DBN Kartarpur	31.869	91.3	99.6	213%
Jogbani	Nil	Nil	155	NA
Moreh	72	Nil	Nil	NA
Petrapole	289.255	1937	2323	703%
Raxaul	2.516	Nil	Nil	NA
Srimantapur	Nil	51.08	86.75	NA
Sutarkandi	1.365	15.09	15.72	1052%
Total	**407.385**	**2,478.57**	**3,168.47**	

c. Progress in Execution of Sanctioned Projects:

1. Cabinet committee on security on 17.12.2018 has approved the following Projects / Schemes. (Including six of Phase-II and seven new locations). The status of projects / schemes is as shown in table 11: -

Table 11: Passenger movement via land ports.

S. No.	Location	State	Border	Status as on 31.03.2024
1	Rupaidiha	U.P	Nepal	ICP Rupaidiaha was inaugurated on 01 Jun 2023 by Hon'ble Prime Minister of India and H.E Prime Minister of Nepal.
2	Sunauli	U.P	Nepal	Land acquisition completed Construction of PTB, CTB warehouse and other development work is in progress.
3	Sutarkandi	Assam	Bangladesh	Land Ports Authority of India taken over BTC 1 & BTC 2 from Assam Government. Operations commenced in 2019 from existing Border Trade Centre 1 & 2 by Land Ports Authority of India. Land acquisition for development of Land Port at Sutarkandi completed. The work for development of Passenger Terminal Building, Cargo terminal area of Land Port at Sutarkandi is under progress.
4	Development of Passenger Terminal Building (PTB) Petrapole	West Bengal	Bangladesh	The work is 95% completed.

S. No.	Location	State	Border	Status as on 31.03.2024
5	Development of BGF accommodation at 7 locations of Phase-1 ICPs	-	-	Construction work at Attari, Jogbani completed Work at Petrapole, Raxaul, Agartla, Moreh and Dawki is under progress.
6	Installation of FBTS at 04 locations (Agartala, Dawki, Jogbani& Moreh) and RDE in 05 locations (Agartala, Attari, Petrapole, Jogbani & Raxaul)	-	-	FBTS installation process will be taken up post finalization of QRs. The installation of RDE completed.
7	"In principle" approval for acquisition of land and preparation of DER for developing ICPs at 10 locations i.e. at Hilli, Changrabandha, Kawrpuichhuah, Jaigoan, Panitanki, Ghojadanga, Banbasa, Mahadipur, Fulbari & Bhittamore	-		Detailed Project Reports are prepared for all in principle approval locations. Pre site construction activity completed at Bhittamore. Forest clearance for acquiring of development of ICP Banbasa is under progress. Land for development of ICP Kawrpuichhuah has been transferred by Govt. of Mizoram to LPAI on lease basis. PIB note for development of Land Port at Bhitthamore, Kawrpuichhuah and Banbasa has been submitted to MHA.

S. No.	Location	State	Border	Status as on 31.03.2024
				The Government of West Bengal has approved land acquisition for 07 ICPs in West Bengal on 21 Nov 2023. Land acquisition for 07 ICPs is in advance stage. Requisition amount in respect of all 07 locations deposited with Government of West Bengal.

2. Other Works being undertaken or completed recently:

- Feasibility for solar power generation/ roof top solar power plant installation at Land Ports Dera Baba Nanak, Rupaidiaha & Dawki.
- Transhipment shed work at Land Ports under Progress.
- Construction of Fire station, dormitory and other augmentation repair works are under progress at various Land Ports.
- Supplying, Installation, Site Acceptance Test (SAT) and Commissioning of Radiation Detection Equipment at eight (08) ICPs
- Gazette notification of 10 land ports published in June 23 under section 2 of LPAI Act.

IV. New projects and expansion schemes

1. Preparation of detailed project report for Upgradation of 26 Land Customs station into Land Ports namely, Dalu, Mahendraganj, Shella Bazar, Borsora, Manu, Old Raghna Bazar, Muhurighat, Singabad Railway Station, Radhikapur Railway Station, Chamurchi, Birpara, Dhubri Steamer Ghat, Mankachar, Golakganj, Rangapani, Hatisar, Darranga, Nampong, Zokhawthar, Zorinpui, Bairgania, Bhimnagar, Jayanagar, Khunwa, Barhni and Gauriphanta
2. Payment for land acquisition except Panitanki made to state government of west Bengal for development of 07 Land Ports in West Bengal namely Mahadipur, Ghojadanga, Changrabandha, Hili, Fulbari, Jaigaon.

I. Trade And Passenger Activities During 2023-24

Details of EXIM trade and passenger movement via Land Ports during 2021-22, 2022-23 and 2023-24 are as below:

Table 12: Trade and Export Data

Land ports	2021-22 (INR Cr.)			2022-23 (INR Cr.)			2023-24 (INR Cr.)		
	Import	Export	Total	Import	Export	Total	Import	Export	Total
Agartala	648.6	195.4	844.0	340.9	130.9	471.8	313.8	4.2	318.0
Attari	2,977.4	25.0	3,002.4	2,212.1	45.5	2,257.6	3,887.5	-	3,887.5
Dawki	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.0	126.0	134.0
DBN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jogbani	3,436.0	6,987.0	10,423.0	2,515.3	6,232.1	8,747.4	1,826.0	6,024.0	7,850.0
Moreh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Petrapole	5,630.9	23,775.4	29,406.3	8,006.9	22,371.5	30,378.4	7,314.0	23,107.0	30,421.0
Raxaul	NA	NA	33,227.4	31,825.0	2,056.9	33,881.9	1,790.0	26,073.0	27,863.0
Srimantapur	76.2	95.7	171.9	151.6	20.6	172.2	74.4	5.0	79.4
Sutarkandi	389.5	108.6	498.1	208.8	201.8	410.6	219.6	133.4	352.9

*No import-export happened in ICP Rupaidiha & ICP Sabroom.

Table 13: Incoming and outgoing passenger Data

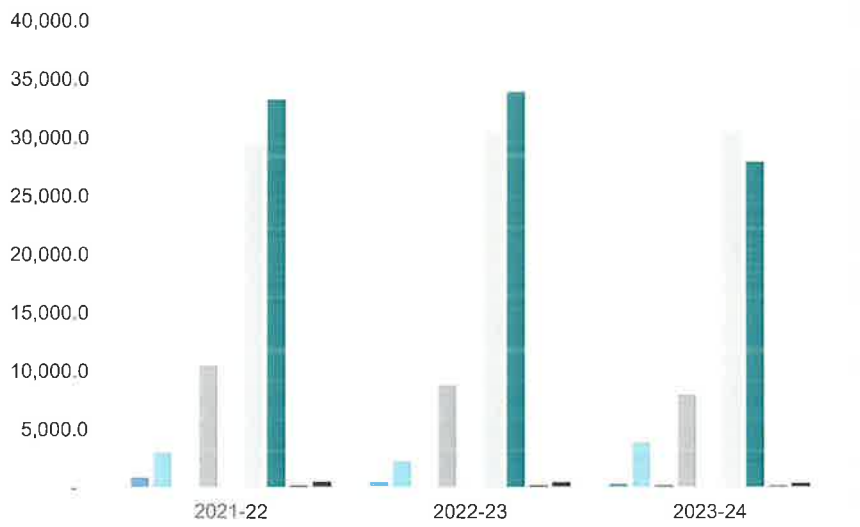
Land ports	2021-22			2022-23			2023-24		
	Incoming	Outgoing	Total	Incoming	Outgoing	Total	Incoming	Outgoing	Total
Agartala	32,778.0	33,339.0	66,117.0	1,68,774.0	1,47,674.0	3,16,448.0	1,49,799.0	1,23,757.0	2,73,556.0
Attari	7,210.0	8,981.0	16,191.0	37,605.0	30,142.0	67,747.0	38,707.0	32,856.0	71,563.0
Dawki	NA	NA	NA	NA	NA	NA	45,726.0	42,999.0	88,725.0
DBN	-	31,869.0	31,869.0	-	91,383.0	91,383.0	-	99,578.0	99,578.0
Jogbani	-	-	-	-	-	-	-	155.0	155.0
Moreh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Petrapole	1,47,365.0	1,41,890.0	2,89,255.0	10,08,257.0	9,29,157.0	19,37,414.0	12,02,178.0	11,46,529.0	23,48,707.0
Raxaul	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Srimantapur	-	-	-	26,442.0	24,647.0	51,089.0	42,351.0	42,563.0	84,914.0
Sutarkandi	832.0	958.0	1,790.0	7,667.0	7,432.0	15,099.0	7,827.0	7,897.0	15,724.0

*No Passenger movement recorded in ICP Rupaidiha & ICP Sabroom. (at land ports bordering Nepal, passenger movement happens primarily from third country)

II. Key Statistics and Graphs

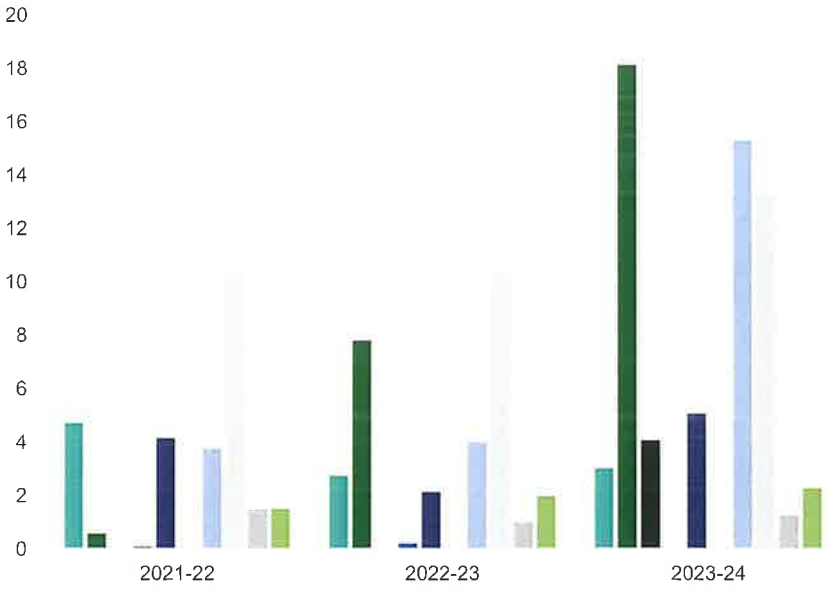
Trade via Land Ports for Financial year 22, 23 and 24.

Figure 4: Trade via Land Ports during financial year



Comparative revenue of land ports during Financial year 22, 23 and 24.

Figure 5: Revenue via Land Ports for the financial years 2022-23 and 2023-24



During 2023-24, maximum revenue and maximum growth over previous financial year is recorded at Petrapole Land Port.

Statistical illustration of revenue receipt & expenditure is shown in the charts below.

Figure 6: Details of Revenue receipt for FY 22, 23 & 24

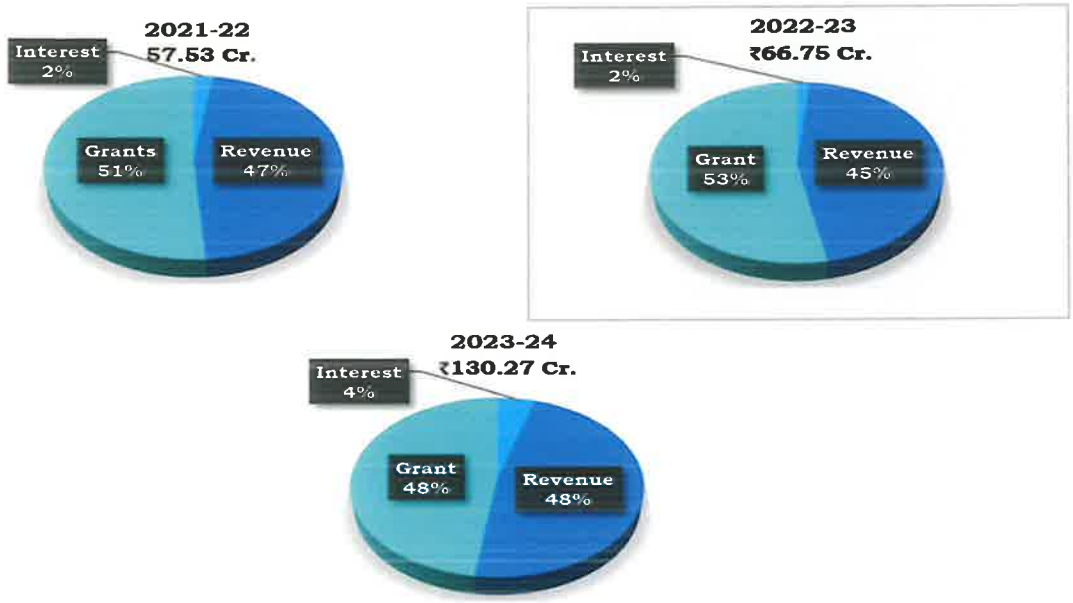
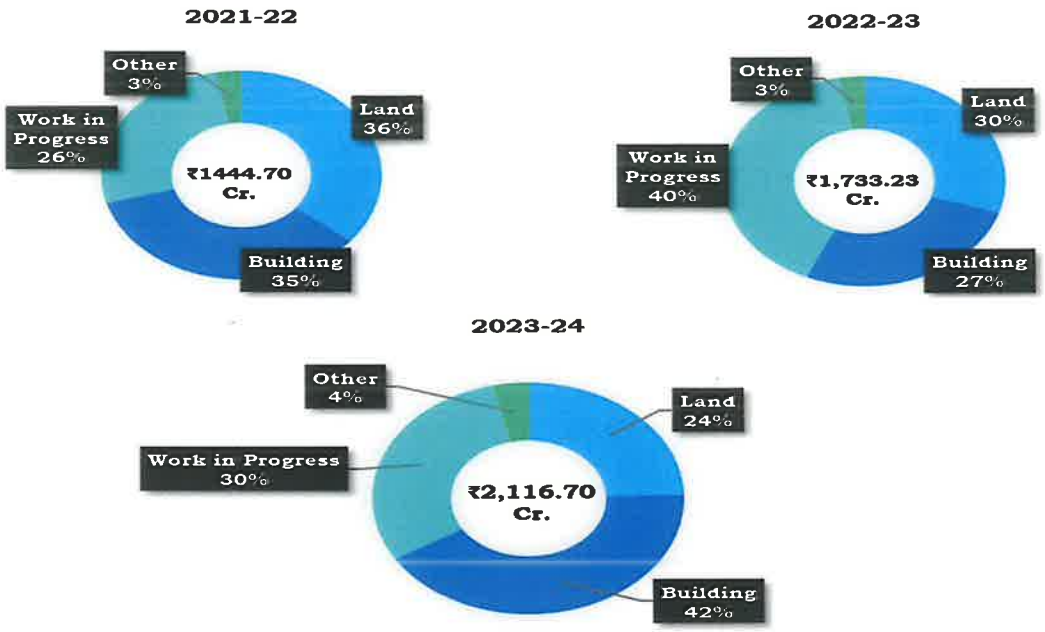


Figure 7: Fixed Assets for FY 22, 23 & 24



III. Annual Plan of Financial Year 2024-25

LPAI is in the process of operationalizing three new Border Trading Centres at land ports in state of Assam, namely Mankachar, Golakganj and Darranga (two located along the Indo-Bangladesh border and one on Indo-Bhutan border). In addition, following are few of the planned activities of respective departments

1. Feasibility for solar power generation/ roof top solar power plant installation at Land Ports Dera Baba Nanak, Rupaidiaha & Dawki.
2. Undertaking development of Land Port Sunauli, Sutarkandi and Bhittamore
3. Land acquisition for 07 sanctioned land ports in West Bengal.
4. Preparation of Detailed Project Report for upgradation of 26 LCS to Land Ports as part of Phase A approved in-principal by Ministry of Home.
5. Undertaking development of BGF and stakeholder's accommodations at Agartala, Raxaul, Petrapole, Dawki and Moreh.
6. The augmentation of facilities at various Land Ports is ongoing, with a focus on mechanization, infrastructure enhancement, and digitization. This includes the installation of conveyor belts, construction of fire stations, dormitories, and buffer parking areas, as well as the provision of toilet facilities for truck drivers.
7. Installation of CCTV cameras at land ports
8. Completion of second cargo gate and passenger terminal building at petrapole
9. Resolution of 150 yards issue at Dawki land port
10. Initiation of port level meeting between representative of both countries.
11. LPAI developed Standard policy for land ports development and for assessment and rationalization of land requirement on basis of Passenger and Cargo movement.

LPAI Initiatives under National Trade Facilitation Action Plan

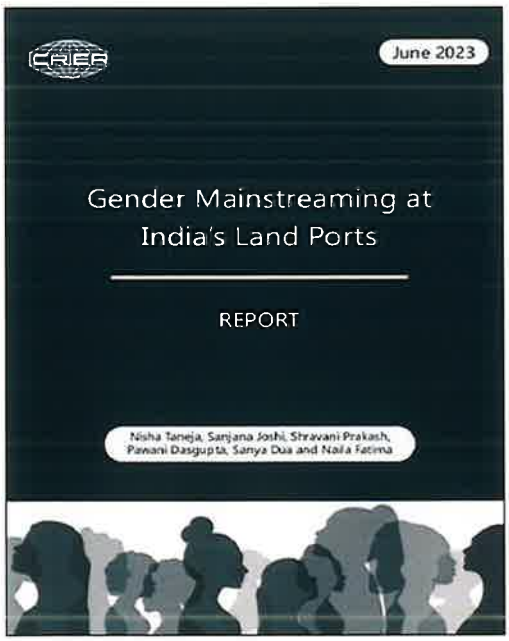
Chapter 04

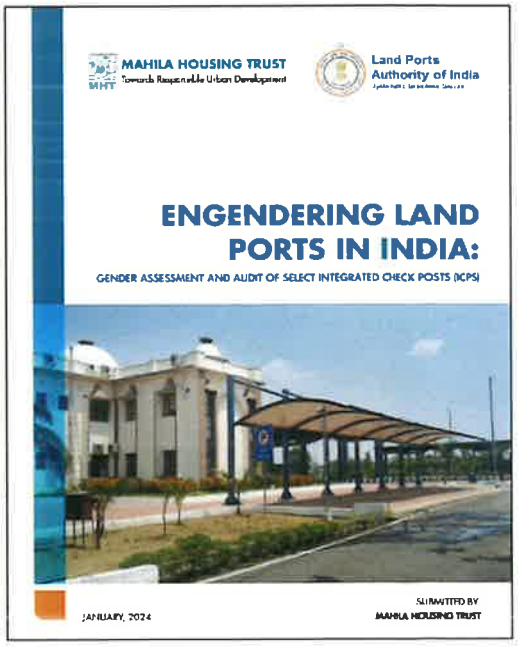
I. Advancing Gender Mainstreaming at India's Land Ports

Recognizing the traditionally male-centric trade and logistics industry, LPAI has placed a strong emphasis on advancing gender mainstreaming throughout the value chain, including roles such as exporters, importers, customs officials, port administrators, and support personnel. In line with Action Point 27 of the National Trade Facilitation Action Plan (2020–2023), LPAI has spearheaded institutional reforms, capacity-building programs, and infrastructure enhancements to create gender-friendly workplaces that support gender equality, in accordance with SDG#5.

Research Studies Supporting Development of an Audit Toolkit for Assessing Gender-Responsive Measures at Land Ports

LPAI supported research studies such as "Gender Mainstreaming at India's Land Ports" by ICRIER, released in June 2023, and "Engendering Land Ports in India: Gender Assessment and Audit of Selected Integrated Check Posts (ICP)" by Mahila Housing Trust (MHT), released in January 2024. As part of the study, MHT developed a Gender Toolkit for LPAI, providing a framework to promote gender-inclusive cross-border trade and tourism at India's land ports. These studies identified gaps within the land port ecosystem, underscoring the need for both infrastructural and institutional reforms.

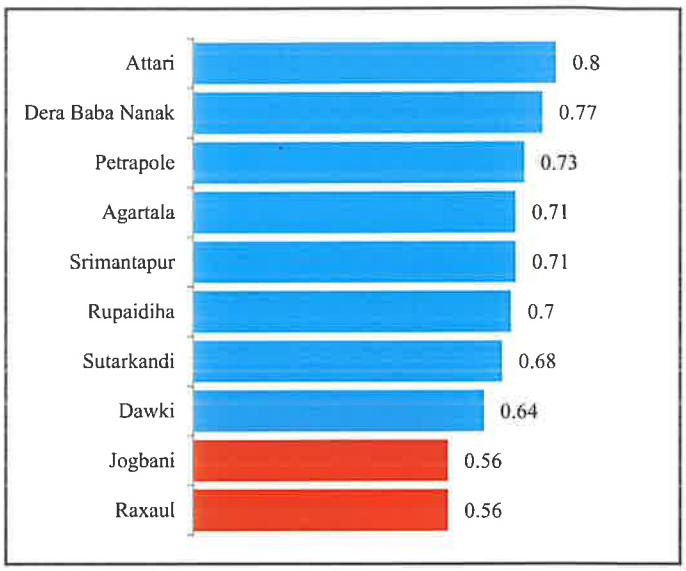




Short, medium and long-term actionable plans have been devised for gender mainstreaming at all land ports, including development of gender toolkit, ranking of land ports based on gender mainstreaming measures,

implementation of Gender-Sensitive Action Plan, formation of Internal Complaints Committees (ICCs), preparation of Standard Operating Procedures for land ports and collaboration with other Government and Multilateral Organizations to inculcate a more gender responsive approach in the overall ecosystem. Through these efforts, LPAI aims to create an inclusive and supportive ecosystem that addresses the barriers women face in trade and logistics, while fostering economic growth.

Development of Gender Toolkit for Assessment and Ranking of Land Ports



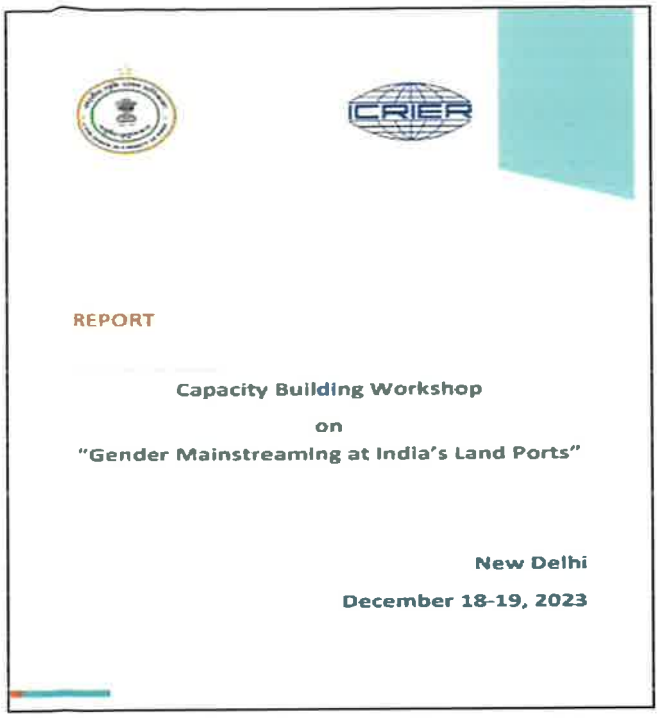
An augmented Gender Toolkit has been developed by LPAI, building on the toolkit prepared by MHT, to evaluate the current level of gender inclusivity at land ports. The Toolkit has been prepared by employing comprehensive research and data collection to understand the specific challenges and needs of women in the trade and transport sectors. An objective scoring index has been used in the Toolkit to rank all land ports on a scale from 0 to 1 across by focusing on four dimensions- Institutional Mainstreaming, Accessible Infrastructure, Stakeholder Servicing and External Environment. Land Port Attari scored the highest with 0.8, followed by Dera Baba Nanak at 0.77, and Petrapole at 0.73. Agartala and Srimantapur both scored 0.71, while Rupaidiha followed closely with 0.7. Sutarkandi and Dawki scored 0.68 and 0.64, respectively. Jogbani and Raxaul shared the lowest score of 0.56, highlighting areas needing significant improvement in gender mainstreaming.

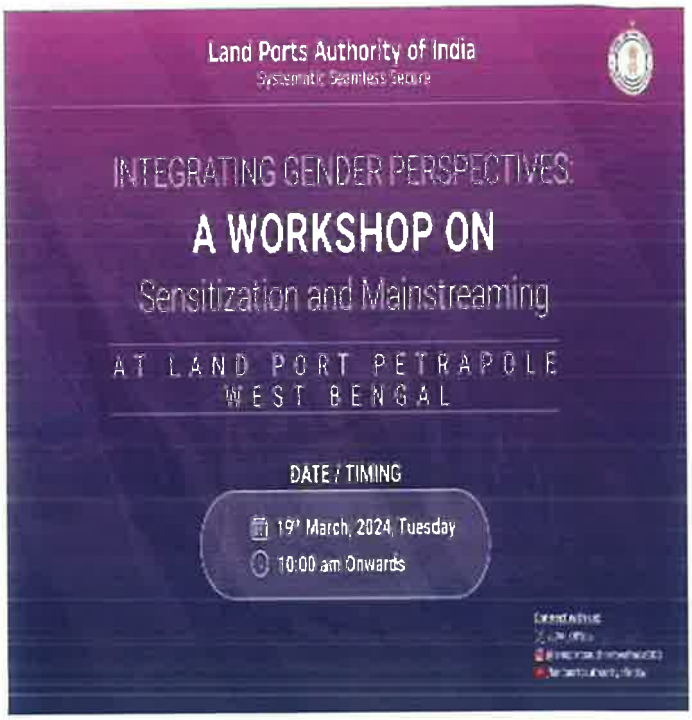
Formation of Internal Complaint Committee (ICC) at Land Ports

In line with the provisions of the POSH Act, 2013, LPAI has constituted ICCs at land ports Attari, Dawki, and Raxaul. Nominations have been submitted for the establishment of Internal Complaint Committees (ICC) from land port Agartala, Dera Baba Nanak, Jogbani, Petrapole, Rupaidiha, Sutarkandi, and Srimantapur. The committees will address sexual harassment complaints, promote awareness, and ensure adherence to legal protocols, strengthening compliance with the POSH Act, 2013.

Capacity Building and Training Programs to Promote Inclusivity at Land Ports

Comprehensive training and capacity building at land ports form a cornerstone of LPAI's approach to fostering inclusivity and efficiency. LPAI hosted a "Gender Mainstreaming at India's Land Ports" workshop





with ICRIER in December 2023 aimed at raising awareness about integrating gender considerations into operational procedures and behaviors at land ports.

A POSH-focused "Equity and Respect" training was organized in January 2024 for promoting a safe and inclusive environment and supporting the formulation of comprehensive sexual harassment policies at land ports.

A Gender Sensitization Workshop was conducted at Land Port Petrapole in March 2024, focusing on key topics like gender mainstreaming and its importance, POSH Act with emphasis on legal rights and prevention mechanisms, and fostering awareness through gender sensitization.

As part of its Gender-Sensitive Action Plan for 2024-25, LPAI is committed to fostering inclusive, equitable, and safe environments across India's land ports. Key initiatives include:

a) **Institutional Reforms:** LPAI aims to ensure at least 30% women in its workforce, revise hiring policies for outsourced staff, provide maternity leave (unpaid for 90 days), prepare gender mainstreaming Standard Operating Procedures (SOP), offer transportation facilities to staff, and collect sex-disaggregated data.

b) **Enhancing Infrastructural Facilities:** Key initiatives include setting up female security staff rooms, restrooms and sanitation facilities, lactation rooms, sanitary pad vending machines, baby diaper changing tables, panic buttons, female washrooms, women's help desks, pink rooms, and pharmacy and convenience stores.

c) **Capacity Building and Training Programs:** Programs will focus on gender sensitization, mental health, anti-human trafficking, zero-tolerance policies, training on POSH Act and skill development and community outreach programs to foster inclusivity and safety.

d) **Success Stories and Best Practices:** Notable efforts include felicitating Ms. Annapoorani Rajkumar, promoting women's participation in driver training and road safety programs, and devising strategies to recruit women in white-collar roles.

LPAI's research-driven approach addresses systemic gaps, promotes gender mainstreaming, and encourages women's participation in trade and logistics. This comprehensive strategy reflects LPAI's commitment to creating sustainable, gender-inclusive environments at India's land ports.



II. Advancing Sustainability at India's Land Ports

The Land Ports Authority of India (LPAI) is proactively implementing and planning sustainability initiatives to transform land ports into environmentally responsible trade hubs, in line with Government of India's Net Zero emissions target of 2070 and the UN Sustainable Development Goals (SDGs) 6, 7, 11, and 13. Ongoing and proposed measures address major environmental challenges such as carbon emissions, energy dependence, and resource management.

Key efforts include reducing vehicular emissions due to shorter wait times through the Land Port Management System (LPMS), deploying dust suppression systems, and enhancing green landscaping. Renewable energy is a priority, with operational solar power plants at Dera Baba Nanak, Dawki, and



Rupaidiha, and planned installations at other major ports such as Agartala, Petrapole, Jogbani, Raxaul, Sutarkandi, and Sabroom. Solar lighting has already been installed at several ports, with expansions underway. Water conservation is being explored through rainwater harvesting, recycling systems, and advanced monitoring, while waste management initiatives include segregation and recycling.

LPAI is also adopting GRIHA-compliant green building practices to minimize natural resource depletion during construction and operation. By collaborating with stakeholders and leveraging innovation, LPAI is building sustainable logistics infrastructure, ensuring energy independence, and fostering a greener and more efficient future for India's land ports.

III. Participation in Regional Connectivity and Development Initiatives with International Agencies

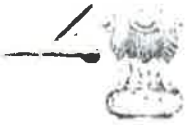
LPAI is actively involved in a series of initiatives with international agencies, as directed by the appropriate Ministry, to strengthen regional connectivity. LPAI is contributor towards World Bank's ACCESS Program, aiming to overcome regional trade barriers in South Asia. The authority engages in World Bank-facilitated knowledge exchanges with regional regulators and is focused on improving India's Logistics Performance Index ranking by upgrading digital and physical trade infrastructures. Additionally, LPAI collaborates with DPIIT and the World Bank to improve India's LPI position and contributes to initiatives like the B-Ready program to boost border infrastructure readiness for evolving trade needs.

Further, LPAI actively supports the ADB's efforts in developing the SASEC economic corridors, crucial for regional connectivity in Southeast Asia, by offering strategic insights and data. The authority also contributes, via knowledge sharing and insights, to the SASEC Vision Plan 2024-26 and Vision 2035, aiming for sustainable and inclusive growth.

LPAI has assisted the Japan International Cooperation Agency (JICA) by providing valuable information and identifying infrastructure gaps, thereby aiding JICA's efforts to improve the connectivity within the Bangladesh, Bhutan, India, Nepal (BBIN) trade corridor. This assistance is crucial for JICA's studies that focus on enhancing the efficiency and effectiveness of the trade routes among these nations.

Audit Report

I. Audit Report of Comptroller and Auditor General of India on Accounts of Land ports Authority of India



कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit, (Central Expenditure)
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली 110 002
Indraprastha Estate, New Delhi-110002

ए एम जी-II/एम ए आर/एल पी ए आई /8-2/2024-25 दिनांक 10.2024

सेवा मे,

सचिव, भारत सरकार,
गृह मन्त्रालय,
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001

विषय: वर्ष 2023-24 के लिए, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

महोदय,

मैं, **भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली** के वर्ष 2023-24 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित ससद के पटल पर रखने के लिए संलग्न कर रही हूँ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाये की 2023-24 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र को ससद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र ससद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आप के निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer)अंकित करें।

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखि प्रतिवेदन मान्य होगा।"

भवदीया,

सलग्नक: यथोपरि

— SD —
निदेशक (ए.एम.जी-II)

कृपया फाइल में उपलब्ध करें

Ph : +91-11-23454100
Fax +91-11-23702271

DGACR Building, I P Estate, New Delhi - 110002
E mail : dgacr@cag.gov.in

ए.एम.जी–II/एस.ए.आर/एल.पी.ए.आई /8-2/2024-25/411 दिनांक:13.10.2024

प्रति, प्रमाणित वार्षिक लेखे कि प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित, सहित, श्रीमती रेखा राईकर कुमार , सदस्य (वित्त), भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, प्रथम तल लोकनायक भवन,खान मार्केट नई दिल्ली-110511 को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है। वार्षिक लेखाओं की हिंदी प्रति की एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भेजी जाए।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब ये संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

संलग्नक:यथोपरि

सौम्या

निदेशक (ए.एम.जी–II)

Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of Land Port Authority of India (LPAI), New Delhi for the year ended 31st March, 2024.

We have audited the attached Balance Sheet of Land Port Authority of India (LPAI), New Delhi, for the year ended 31st March 2024, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 25(2) of Land Ports Authority of India Act 2010 (31 of 2010). These financial statements are the responsibility of LPAI Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity), and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted the audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material mis-statements. An audit includes examining, on a test basis, evidences and supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit except comment B.4.

ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance.

iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by LPAI as required under Section 25(1) of Land Port Authority of India Act, 2010.

iv) We further report that,

A Balance Sheet

A.1 Liabilities

A.1.1 Reserve & Surplus (Sch-2) – Rs. 2801.59 crore

A.1.1.1 LPAI has included the interest earned on Capital Grants amounting to Rs. 67.88 crore till 2023-24 under Reserve & Surplus instead of booking it as liability for remittance to the consolidated fund of India. This has resulted into overstatement of Reserve & Surplus and understatement of Current liabilities and Provisions by Rs. 67.88 crore.

B General

B.1 Prepayments under Current Assets, Loans, Advances, etc. includes an amount of Rs. 25.36 crore to M/s RITES for construction of ICPs. Though the work of ICPs was completed in January 2019 and the last project of ICP Dawki was withdrawn from M/s RITES during the year 2021-22, the advances of Rs. 25.36 crore are yet to be adjusted. LPAI should take necessary steps for adjustment of the same under intimation to audit.

B.2 Current Assets, Loans, Advances, etc. include an amount of Rs. 8.64 crore towards security deposit made for electricity connections. However, as per information provided to audit, security deposit for electricity connections amounted to Rs. of 4.46 crore as on 31.03.2024. This needs to be reconciled.

B.3 As per utilization certificate (UC) submitted to the Ministry, during the year, LPAI received capital grants of Rs. 470.00 crore for creation of capital assets and incurred expenditure amounting to Rs. 482.58 crore (excess expenditure being incurred from internal receipts). However, as per the Fixed Assets Schedule and Receipts & Payments Account of LPAI, it has incurred total expenditure on capital assets for the year amounted to Rs. 495.96 crore. This needs to be reconciled. Further, reasons for difference in the amount booked for capital expenditure in the accounts and UC have not been furnished to audit.

B.4 An amount of Rs. 124.02 crore has been shown as Prepayments under Sch-11, Current Assets, Loans & Advances. These prepayment figures are advances given to the PMC/Contractors against the works. Year-wise breakup of the same were not provided to audit. In the absence of the same, pendency as well as timely recovery/settlement of these advances could not be verified. Further, these should be depicted as "Advance to contractors/PMC against works" instead of prepayment. This was also pointed out in previous SAR, but no remedial action has been taken by LPAI.

B.5 During the audit of accounts for the year 2022-23, it was observed that additions in the Asset Register (2022-23) of ICP Raxaul and ICP DBN Kartarpur of Rs. 11.49 lakh and Rs. 31.80 lakh, were shown as Rs. 27.70 lakh and Rs. 2.64 crore respectively in the working sheet of accounts provided by LPAI which needed reconciliation. However, the remedial action in this connection is yet to be taken by LPAI.

C Grants in Aid

The position of grant-in-aid received during the year and its utilization for the year is as below:

(figures in crores)

Opening Balance	**Nil**
Grants received from Ministry of Home Affairs	Rs. 533.50 crore (Capital-Rs. 470.00 crore, General – Rs. 55.00 crore & Salary -Rs. 8.50 crore)
Total available fund	Rs. 533.50 crore
Funds Surrendered	Rs. 1.38 (General- Rs. 1.31 crore and Salary- Rs. 0.07 crore)
Expenditure	Rs. 532.12 crore (Capital- Rs. *470.00 crore, General – Rs. 53.69 crore & Salary – Rs. 8.43 crore)
Unspent balance	**Nil**

Thus at the year end, LPAI had **Nil** unspent balance from the government grants.

*The total capital expenditure during the year amounted to Rs. 495.96 crore against the capital grant of Rs. 470.00 crore. The excess expenditure was incurred from internal sources of LPAI.

D Management Letter:

Deficiencies, which have not been included in the Audit Report, have been brought to the notice of the LPAI through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

v) Subject to our observation in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the book of accounts.

vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

(a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of Land Ports Authority of India (LPAI), as on 31st March, 2024 and

(b) In so far as it relates to Income and Expenditure Account of the ***Deficit*** *for the year ended on that date.*

For and on behalf of C& AG of India

Place: New Delhi
Dated: 17/10/24

(Rajiv Kumar Pandey)
Director General of Audit (Central Expenditure)
New Delhi

Compliance of SAR Audit Observation for the FY 2023-24

S. No.	Observation	Reply
A A.1 A.1.1 A.1.1.1	**Balance Sheet** **Liabilities** **Reserve & Surplus-₹2801.59 crore (Schedule-2)** LPAI has included the interest earned on Capital Grants amounting to ₹67.88 crore till 2023-24 under Reserve & Surplus instead of booking it as liability for remittance to the Consolidated fund of India. This has resulted into overstatement of Reserve & Surplus and under statement of Current liabilities and provisions by ₹67.88 crore	The interest amount will be remitted to the Consolidated Fund of India as per Rule 230 (8) of GFR. Henceforth, amount will be shown in Annual Statement of Accounts for FY 2024-25 under Current Liabilities and Provision Schedule no.7 as suggested.
B. B.1	General Prepayments under current Assets, Loans, Advances, etc. includes an amount of ₹ 25.36 crore to M/s RITES for construction of ICPs. Though the work of ICPs was completed in January 2019 and the last project of ICP Dawki was withdrawn from M/s RITES during the year 2021-22, the advances of ₹ 25.36 crore are yet to be adjusted. LPAI should take necessary steps for adjustment of the same under intimation to audit.	Amount of ₹67.88 crores which is the interest earned on the Capital Grant pertaining to the bank accounts maintained by RITES on behalf of LPAI (₹ 59.83 crore) and IRCON (₹8.05 crore) pertaining to 7 projects namely Moreh, Petrapole, Jogbani, Raxaul, Agartalal, Dawki, Rupaidiha (Boundary wall) vide 7 different accounts. The closure and settlement of the account is finalised Total interest as per GFR 230(8) will be transferred to the PAO, MHA (Consolidated Fund of India) by RITES The balance amount of Rs 1.46 Crore will be transferred to the LPAI by M/s. RITES under intimation to audit.

<table>
<tr><th>S. No.</th><th>Observation</th><th>Reply</th></tr>
<tr><td>B.2</td><td>Current Assets, Loans, advances, etc. include an amount of ₹8.64 crore towards security deposit made for electricity connections. However, as per information provided to audit, security deposit for electricity connections amounted to ₹4.46 crore as on 31.03.2024. This needs to be reconciled.</td><td>An amount of ₹ 4.18 crore was given for the laying of HT Line work at ICP Dawki, which needs to be included in the fixed assets. Therefore, an amount of ₹ 4.18 crore (₹ 8.64 Crore – Rs 4.46 Crore) needs to be transferred under fixed assets head. This will be rectified in the FY 2024-25 Annual Accounts under intimation to audit.</td></tr>
<tr><td>B.3</td><td>As per utilization certificate (UC) submitted to the Ministry, during the year, LPAI received capital grants of ₹470.00 crore for creation of capital assets and incurred expenditure amounting to ₹482.58 crore (excess expenditure being incurred from internal receipts). However, as per the Fixed Assets Schedule and Receipts & Payments Account of LPAI, the total expenditure on capital assets for the year amounted to ₹ 495.96 crore, This needs to be reconciled. Further, reasons for difference in the amount booked for capital expenditure in the accounts and UC have not been furnished to audit.</td><td>The difference in the amount is due to the reason that LPAI is doing expenditure from the Receipt head also. Details of the same are as follows :
<table><tr><td>Professional Expenses Capital for under construction ICPs</td><td>₹6.70 Crore</td></tr><tr><td>Security Deposit with Electricity Board</td><td>₹6.51 Crore</td></tr><tr><td>Domestic Travel Capital for under construction ICPs</td><td>₹0.20 Crore</td></tr><tr><td>Fixed Assets</td><td>₹469.17 Crore</td></tr></table>
Details of ₹495.96 Crore addition made during the FY 2023-24 as per books of Account for the FY 2023-24, is as follows which is reconciled and was furnished to audit.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>S. No.</th><th>Observation</th><th>Reply</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Capital Grant (Fixed Assets)</td><td>469.17 Crore</td></tr>
<tr><td>Advance to Contractor/PMC (Prepayments) (Fixed Assets)</td><td>₹18.18 Crore</td></tr>
<tr><td>General Grant (LPAI HQ)</td><td>₹2.42 Crore</td></tr>
<tr><td>Revenue (Vehicle Fixed Assets)</td><td>₹1.05</td></tr>
<tr><td>General Grant (Computer & Other Fixed Assets)</td><td>₹5.14 Crore</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>B.4</td><td>An amount of ₹124.02 crore has been shown as prepayments under Schedule-11, Current Assets Loans & Advances. These prepayments figure are advances given to the PMC/Contractors against the works. Year wise breakup of the same were not provided to the Audit. In the absence of the same, pendency as well as timely recovery/settlement of these advances could not be verified. Further, these should be depicted as "Advance to contractors/PMC against works" instead of prepayment..</td><td>The details of ₹ 124.02 crore as stated under SAR observation are here by enclosed again.</td></tr>
<tr><td>B.5</td><td>During the audit of accounts for the year 2022-23, it was observed that additions in the Assets Register (2022-23) of ICP Raxaul and DBN Kartarpur of ₹ 11.49 lakh and ₹ 31.80 lakh, were shown as ₹ 27.70 lakh and ₹ 2.64 crore respectively in the working sheet of accounts provided by LPAI which needed reconciliation.</td><td>The difference is due to the reason that value of land and building, is not included in the Asset Register. As per Annual Statement of Accounts for the FY 2023-24 ₹482.58 Crore spent in the Following Accounting head:
<table>
<tr><th>Land Port</th><th>Asset Register</th><th>Accounts</th><th>Difference</th></tr>
<tr><td>Raxaul</td><td>₹11.49 lakh</td><td>₹27.70 lakh</td><td>₹16.21 lakh</td></tr>
<tr><td>DBN Kartapur</td><td>₹31.80 lakh</td><td>₹2.64 crore</td><td>₹2.32 crore</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

S. No.	Observation	Reply
		The Same will be incorporated in the LPAI Assets Registers & will be incorporated during FY 2024-25 Annual Statement of Accounts.

Annexure

1. Adequacy of Internal Audit System

LPAI do not have any Internal Audit Department and the Internal Audit of LPAI was conducted till 2018-19 by Pr. PAO of the Ministry of Home Affairs and till 2021-22 by CA.

2. Adequacy of Internal Control System

There are 28 MIP against 59 sanctioned strengths in LPAI including ICPs. Moreover, LPAI hired 919 staff through outsourcing and posted at LPAI Hqrs. and ICPs. Due to substantial vacancies of regular staff, important tasks are being performed through contractual staff which depicts weak internal control system in LPAI.

3. System of Physical Verification of Assets

(i) Physical verification of Fixed Assets has been conducted for the year 2023-24. Physical Verification report was not provided to audit.

(ii) Copies of physical verification reports of Fixed Assets last conducted were also not provided to audit.

4. System of Physical Verification of Inventory

Physical verification of Inventory has been conducted for the year 2023-24. Physical Verification report was not provided to audit.

5. Regularity in payment of statutory dues

No payment over six months in respect of statutory dues was outstanding as on 31.03.2024.

सौम्या परिहार
निदेशक(ए.एम.जी–II)

ए.एम.जी–II/एस.ए.आर/एल पी ए आई /8-2/2024-25/५१३

कार्यालय महानिदेशक
लेखापरीक्षा, (केन्द्रीय व्यय)
इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली 110 002
Office of the Director General of Audit
(Central Expenditure)
Indraprastha Estate, New Delhi - 110 002
दिनाँक: 17.10.2024

प्रबंधन पत्र

महोदया,

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-24 के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा कर ली गयी है और मेरे कार्यालय के पत्र संख्या ए.एम.जी–II/एस.ए.आर/एल पी ए आई /8-2/2024-25/५१३ दिनाँक 17.10.24 के द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी कर दिया गया है। लेखापरीक्षा के दौरान कुछ अनियमितताएँ एवं कमियाँ ध्यान में आई है जिन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया है। इन कमियों को संलग्न अनुबन्ध में दर्शाया गया है।

अतः इस पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मेरा अनुरोध है कि इन अनियमितताओं एवं कमियों पर उचित सुधारात्मक कार्यवाही की जाये।

सादर,

भवदीया,

सौम्या

संलग्नक: यथोपरि।

निदेशक (ए.एम.जी-II)

श्रीमती रेखा राईकर कुमार,
सदस्य (वित),
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण,
प्रथम तल लोकनायक भवन,
खान मार्केट
नई दिल्ली-110511

Telephone : 91-11-23454100, Fax : 91-11-23702271, E-mail : dgace@cag.gov.in

Annexure to Management Letter

1. An amount of Rs. 19.56 lakh has been worked out by LPAI after adjustment, against the claims of M/s RITES for Rs. 10.41 crore for outstanding bills towards consultancy fees. However, the same has not been shown under Current Liabilities by LPAI. This resulted in understatement of Current Liabilities & Provisions and overstatement of Corpus/Capital Fund by Rs. 19.56 lakh. This was also pointed out last year, but no remedial action has been taken by LPAI.
2. During the year 2022-23, LPAI depicted an amount of Rs. 1.03 lakh as additions to LPAI HQ building. However, as LPAI HQ is operating on a rented building, the additions made in the Fixed Assets were incorrect and the same should have been depicted as Expenditure for the year. This resulted in overstatement of Fixed Assets and understatement of Expenditure by Rs. 1.03 lakh. This was also pointed out in previous year report, but remedial action is yet to be taken by LPAI.
3. Current Assets, Loans, Advances, etc includes sundry debtors amounting to Rs. 4.08 crore. However, as per the ledger provided, the sundry debtors amounted to Rs. 4.07 crore. This needs to be reconciled. Further, year-wise details of the sundry debtors was not provided to audit. This was also pointed out last year, but no action has been taken by LPAI.
4. An amount of Rs. 1.23 crore is shown as TDS/Others TDS under Schedule -11, Current Assets, Loans & Advances. This should have been shown as "TDS Receivable" instead of "TDS/Others TDS" in the accounts of LPAI as this was receivable by LPAI. The same may be rectified and LPAI should make efforts to get the refund of same at the earliest. This was also pointed out last year, but no action has been taken by LPAI.

Compliance to management letter

	Audit Observation	Reply
1.	An amount of Rs.19.56 lakh for outstanding bills towards consultancy fees, the claims of M/s RITES for Rs.10.41 crore for outstanding bills towards consultancy fees, However, the same has not been shown under Current Liabilities by LPAI. This resulted in understatement of Current Liabilities & Provisions and overstatement of Corpus/ Capital Fund by Rs.19.56 lakh. This was also pointed out last year, but no remedial action has been taken by LPAI	The issue has been taken up with RITES, and the settlement of advances given to RITES & closure of bank accounts is under process. The final amount will be worked out and the same will be taken into account in FY 2024-25, under intimation to audit
2.	During the year 2022-23, LPAI depicted an amount of Rs. 1.03 lakh as additions to LPAI HQ building. However, as LPAI HQ is operating on a rented building, the additions made in the Fixed Assets were incorrect and the same should have been depicted as Expenditure for the year. This resulted in overstatement of Fixed Assets and understatement of Expenditure by Rs.1.03 lakh. This was also pointed out in previous year report, but remedial action is yet to be taken by LPAI.	The amount of Rs.1.03 lakh as mentioned under 'Fixed Asset' will be adjusted in the Expenditure Accounting head in the next FY 2024-25 Annual Accounts, under intimation to audit
3.	Current assets, Loans, Advances, etc include sundry debtors amounting to Rs. 4.08 crore. However, as per the ledger provided, the sundry debtors amounting to Rs. 4.07 crore. This needs to be reconciled. Further, year-wise details of the sundry debtors was not provided to audit. This was also pointed out last year, but no action has been taken by LPAI.	According to Schedule No. 11, the amount shown in Sundry Debtors is Rs. 4.08 crore, which matches with the amount shown in the accounting ledger. Therefore, it can be stated that there is no difference.
4.	An amount of Rs.1.23 crore is shown as TDS/other TDS under Schedule-11 Current Assets, Loans & Advances. This should have been shown as "TDS Receivable" instead of "TDS/Others TDS" in the accounts of LPAI as this was receivable by LPAI. The same may be rectified and LPAI should make efforts to get the refund of same at the earliest. This was also pointed out last year, but no action has been taken by LPAI	The SAR Audit observation for compliance in FY 2024-25 Accounts head 'Other TDS' and 'TDS' to be changed to 'TDS Receivable' has been noted and the same will be depicted in Schedule-11 Annual Account for the FY 2024-25. Income tax return for FY 2022-23 and 2023-24 has been filed. The refund is claimed and will be credited after the return is processed.

Balance Sheet Income and Expenditure Accounts and Schedules Forming Part of Balance Sheet 2023-24

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली
31.03.2024 को तुलन पत्र
THE LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA, NEW DELHI
BALANCE SHEET AS AT 31.03.2024

(आंकड़े ₹ में)
(Figures in ₹)

कोष/पूंजी निधि एवं देयताएं CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES	अनुसूची Schedule	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
1	2	3	4
कोष/पूंजी निधि एवं देयताएँ CORPUS/CAPITAL FUND	1	(4,73,82,53,540)	(4,01,85,11,400)
आरक्षण एवं अतिशेष RESERVES AND SURPLUS	2	28,01,59,18,771	22,98,65,05,864
चिन्हित/अक्षय निधियाँ EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	3	7,08,27,903	32,23,00,000
प्रत्याभूत ऋण एवं उधार राशियाँ SECURED LOANS AND BORROWINGS	4		
अप्रत्याभूत ऋण एवं उधार राशियाँ UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5		
आस्थगित ऋण देयताएँ DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6		
चालू देयताएँ एवं प्रावधान CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	46,29,40,911	46,41,99,894
कुल TOTAL		23,81,14,34,045	19,75,44,94,358
परिसम्पतियाँ ASSETS			
स्थाई परिसम्पतियाँ FIXED ASSESTS	8	21,16,69,57,459	17,33,22,78,770
निवेश–चिन्हित/अक्षय निधियों से INVESTMENTS-FROM EARMARKED/			
अक्षय निधियाँ ENDOWMENT FUNDS	9		
निवेश–अन्य INVESTMENTS-OTHERS	10	25,50,00,000	
चालू परिसम्पतियाँ : ऋण, अग्रिम आदि CURRENT ASSETS; LOANS, ADVANCES ETC.	11	2,38,94,76,586	2,42,22,15,588
विविध व्यय MISCELLANEOUS EXPENDITURE			
(बट्टे खाते डालने अथवा समायोजित करने की सीमा तक नहीं) (to the extent not written off or adjusted)			
कुल TOTAL		23,81,14,34,045	19,75,44,94,358
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
आकस्मिक देयताएँ एवं लेखों पर टिप्पणियाँ CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

(रेखा रायकर कुमार)
सदस्य वित्त
(Rekha Raikar Kumar)
Member (Finance)

दिनांक Dated: 26.06.24
स्थान Place: नई दिल्ली

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

(आदित्य मिश्रा)
अध्यक्ष
(Aditya Mishra)
Chairman

आदित्य मिश्रा / ADITYA MISHRA
अध्यक्ष / Chairman
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Govt. of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली–110511/ Khan Market, New Delhi-110511

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

THE LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA, NEW DELHI

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31.03.2024

(आंकड़े ₹ में)
(Figures in ₹)

आय (A) INCOME	अनुसूची Schedule	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
1	2	3	4
बिक्री/सेवा से आय Income from sales/Service	12	60,19,81,677	28,28,24,271
अनुदान/सब्सिडी Grants/Subsidies	13	62,12,32,471	35,25,00,000
शुल्क/अभिदान Fees/Subscriptions	14	1,95,18,422	1,73,65,127
निवेश से हुई आय (विधियों में हस्तांतरित करने से चिन्हित/अक्षय निधियों से निवेश पर आय) Income from Investments (Income on Investment From earmarked/endowment Funds transferred to funds)	15		
रॉयल्टी/प्रकाशन आदि से आय Income from Royalty,Publication etc.	16		
अर्जित ब्याज Interest Earned	17	3,96,48,076	1,30,90,601
अन्य Other Income	18	5,67,268	17,05,490
स्टॉक में तैयार माल एवं प्रगति पर कार्यों में वृद्धि (कमी) Increase/(decrease) in stock of Finished goods and works-In-progress	19		
कुल (क) TOTAL (A)		1,28,29,47,914	66,74,85,488
व्यय (ख) (B) EXPENDITURE			
स्थापना व्यय Establishment Expenses	20	29,73,14,061	25,97,62,404
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि Other Administrative Expenses etc.	21	58,06,07,110	33,00,13,110
अनुदानों पर व्यय, सब्सिडी आदि Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	-	-
ब्याज Interest	23	-	-
मूल्यह्रास (अनुसूची 8 के समकक्ष वर्ष के अंत में कुल) Prior Period Depreciation (Short Dep charged for previous years)		-	
Depreciation (Net Total at the year-end correponding to Schedule 8)	8	1,12,47,68,883	65,81,25,526
कुल (ख) TOTAL (B)		2,00,26,90,054	1,24,79,01,040
व्यय से अधिक आय का शेष Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		(71,97,42,140)	(58,04,15,552)
विनिर्दिष्ट करें) Transfer to Special Reserve (Specify each) Transfer to/ from General Reserve.			
शेषअधिशेष /(घाटा) जिसे कोष / पूंजी में अग्रेनीत BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND		(71,97,42,140)	(58,04,15,552)
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
आकस्मिक देयताऐं एवं लेखों पर टिप्पणियाँ CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

(रेखा रायकर कुमार)
सदस्य वित
(Rekha Raikar Kumar)
Member (Finance)
दिनांक Dated: 26.06.24
स्थान Place: नई दिल्ली / New Delhi
डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan

(आदित्य मिश्रा)
अध्यक्ष
(Aditya Mishra)
Chairman
आदित्य मिश्रा / ADITYA MISHRA
अध्यक्ष / Chairman
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Govt. of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110511/ Khan Market, New Delhi-110511

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली
31.03.2024 को तुलन पत्र के अंग के रूप में टिप्पणियाँ
THE LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA, NEW DELHI
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2024

(आंकड़े ₹ में)
(Figures in ₹)

अनुसूची – 1 SCHEDULE 1	इस वर्ष Current Year		गत वर्ष Previous Year	
कोष / पूंजी निधि CORPUS /CAPITAL FUND:				
वर्ष के प्रारम्भ में शेष Balance as at the beginning of the year	(4,01,85,11,400)		(3,43,80,95,849)	
जोड़ा: कोष; पूंजी निधियों में योगदान Add: Contributions towards Corpus Capital Funds				
घटाया: पूंजी निधियों से हस्तांतरित (Deduct): Transfer from capital funds				
जोड़ (घटाया): आय एवं व्यय लेखा से हस्तांतरित विल आय / (व्यय) का शेष Add/(Deduct): Balance of net income/ (expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account	(71,97,42,140)		(58,04,15,552)	
वर्ष के अंत में शेष				
BALANCE AS AT THE YEAR END	(4,73,82,53,540)	-	(4,01,85,11,400)	-

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

(₹ आंकड़ो में)
(Figures in ₹)

अनुसूची – 2 SCHEDULE 2	चालू वर्ष Current Year		गत वर्ष Previous Year	
आरक्षित एवं अधिशेष **RESERVES AND SURPLUS:**				
1. पूंजी आरक्षण Capital Reserve:				
पिछले लेखा के अनुसार As per last Account	22,98,65,05,864		19,76,52,20,555	
वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	4,70,00,00,000		3,22,12,85,309	
पूंजीगत अनुदान पर ब्याज Interest on Capital Grant	7,79,40,810			
चिन्हित / अक्षय निधियाँ Capitalized EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	25,14,72,097			
अंत शेष Closing Balance		28,01,59,18,771		22,98,65,05,864
सरकार को प्रेषण Remittance to the Government				
(2) पुनर्मूल्यांकन आरक्षित Revaluation Reserve:				
पिछले लेखा के अनुसार As per last Account				
वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year				
घटाया: वर्ष के दौरान कटौतियाँ Less: Deductions during the year				
(3) विशेष आरक्षित Special Reserve:				
पिछले लेखा के अनुसार As per last Account				
वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year				
घटाया: वर्ष के दौरान कटौतियाँ Less: Deductions during the year				
(4) सामान्य आरक्षित General Reserve :				
पिछले लेखा के अनुसार As per last Account				
वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year				
घटाया: वर्ष के दौरान कटौतियाँ Less: Deductions during the year				
कुल TOTAL		28,01,59,18,771		22,98,65,05,864

***Note : Opening Balance of Grant amounting to Rs.2298,65,05,864/- is included interest amount of Rs.60,08,85,714/-**
प्रारम्भिक शेष रुपए 2298,65,05,864/- मे अनुदान पर अर्जित ब्याज की राशि रुपए 60,08,85,714/- भी सम्मिलित है।

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली
31.03.2024 को तुलन पत्र के अंग के रूप में अनुसूचियाँ
THE LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA, NEW DELHI
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2024

(आकड़े ₹ में)
(Figure in ₹)

अनुसूची – 3 SCHEDULE 3	निधि XX Fund XX	निधि YY Fund YY	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
चिन्हित/अक्षय निधियाँ EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS				
(क) निधियों का अवशेष Opening balance of the funds			32,23,00,000	34,21,90,101
(ख) निधियों में वृद्धि Additions to the Funds:				
(1) दान/अनुदान Donations/Grants (Ministry of Commerce)			-	-
(2) मैचिंग दान/अनुदान Matching Grant			-	-
(3) अन्य वृद्धि (विनिर्दिष्ट करें) Other addiotions (specify nature)			-	-
(क) ब्याज Interest			-	-
TOTAL (a+b) कुल (क + ख)	-		32,23,00,000	34,21,90,101
(ग) उपयोग निधियों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यय Utilisation/ Expenditure towards objectives of funds				
(1) पूंजि व्यय Capital Expenditure			(25,14,72,097)	
स्थायी परिसम्पत्ति Fixed assests				
अन्य Interest paid to Government of India				(1,98,90,101)
कुल Total:				
(2) राजस्व व्यय Revenue Expenditure				
वेतन, मज़दूरी एवं भत्ते आदि Salaries, Wages and Allowances etc.				
किराया Rent				
अन्य प्रशासनिक व्यय Other administrative Expenses				
कुल Total:				
Total (C) कुल (क)				
वर्ष के अंत में निवल शेष (क + ख + ग)				
NET BALANCE AS AT THE YEAR-END (a+b-c)			7,08,27,903	32,23,00,000

टिप्पणियाँ
(1) अनुदानों के साथ संलग्न शर्तों के आधार पर प्रकटन संबंधित शीर्षों के अन्तर्गत किए जाएगें।
(2) केन्द्र/राज्य सरकारों से प्राप्त योजनागत निधियों को अलग निधियों के रूप में दिखाया जाएगा तथा किसी

Notes-
(1.) Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants.
(2.) Plan Funds received from the Central/ State Governments are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other Funds.

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

(आंकड़े ₹ में)
(Figures in ₹)

अनुसूची – 4 SCHEDULE 4	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
प्रत्याभूत ऋण एवं उधार राशियाँ SECURED LOANS AND BORROWINGS:		
1. केन्द्र सरकार Central Government		
2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें) State Government (Specify)		
3. वित्त संस्थाएँ Financial Institutions		
(क) सावधिक ऋण (a) Term Loans		
(ख) प्रोदभूत एवं देय ब्याज (b) Interest accrued and due		
4. बैंक Banks:		
सावधिक ऋण Term Loans		
प्रोदभूत एवं देय ब्याज Interest accrued and due		
अन्य (विनिर्दिष्ट करें) Other Loans (Specify)		
प्रोदभूत एवं देय ब्याज Interest accrued and due		
5. अन्य संस्थाएँ एवं एजेंसियाँ Other Institutions and Agencies		
6. डिबेंचर एवं बॉण्ड Debentures and Bonds		
7. अन्य (विनिर्दिष्ट करें) others (Specify)		
कुल TOTAL	शून्य NIL	शून्य NIL
टिप्पणी: एक वर्ष के अंदर देय राशियाँ Note: Amounts due within one year		

Raiky

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

(आंकड़े ₹ में)
(Figures in ₹)

अनुसूची – 5 SCHEDULE 5	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
प्रत्यामूत ऋण एवं उधार राशियाँ **UNSECURED LOANS BORROWINGS**		
1. केन्द्र सरकार Central Government		
2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें) State Government (Specify)		
3. वित्त संस्थाएँ Financial Institutions		
4. बैंक Banks		
(क) सावधिक ऋण Term Loans		
(ख) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) Other Loans (Specify)		
5. अन्य संस्थाऐं एवं एजेंसियाँ Other Institutions and Agencies		
6. डिबेंचर एवं बाण्ड Debenture and Bonds		
7. सावधि जमा Fixed Deposits		
8. अन्य (विनिर्दिष्ट करें) Others (Specify)		
कुल TOTAL	शून्य NIL	शून्य NIL
टिप्पणी: एक वर्ष के अंदर देय राशियाँ Note: Amount due within one year		

(आंकड़े ₹ में)
(Figures in ₹)

अनुसूची – 6 SCHEDULE 6	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
आस्थगित ऋण देयताएँ **DEFERRED CREDIT LIABILITIES**		
पूंजी उपकरण तथा अन्य परिसंपत्तियों को बंधक रखने से प्राप्त स्वीकृतियाँ Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assests		
अन्य Other		
कुल TOTAL	शून्य NIL	शून्य NIL
टिप्पणी: एक वर्ष के अंदर देय राशियाँ Note: Amounts due within one year		

Rakar

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Rakar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली -110003 / Khan Market, New Delhi-110003

(Figures in ₹)

अनुसूची – 7 SCHEDULE 7	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
चालू देयताएँ एवं प्रावधान CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS		
क. चालू देयताएँ CURRENT LIABILITIES		
1.स्वीकृतियाँ Acceptances	37,51,45,373	32,42,69,470
2.सकल लेनदार Sundry Creditors		
(क) वस्तुओं के लिए (a) For Goods		
(ख) अन्य (सेवाओं के लिए) (b) Others (For Services)	71,68,799	71,98,442
3. पूंजी निधि देयताएँ Capital Grant Payble		
4. प्रोदभूत ब्याज लेकिन देय नहीं : Interest accrued but not due on:		
(क) प्रत्याभूत ऋण/उधार राशियाँ Secured Loans/borrowings		
(ख) अप्रत्याभूत ऋण/उधार राशियाँ Unsecured Loans/ borrowings		
5. सांविधिक देयताएँ Statutory Liabilities:		
(क) अतिशेष Overdue		
(ख) अन्य (जी.एस.टी. , जी.एस.टी.टी. डी.एस एवं टी.डी.एस.) Others (GST, GST TDS and TDS)	1,46,01,591	95,16,542
6. (क) अन्य चालू देयताएँ Other current Liabilities	350	1,722
(ख) सरकार को देय ब्याज Interest payable to Government	4,37,14,951	8,40,69,729
कुल (क) TOTAL (A)	44,06,31,064	42,50,55,906
ख. प्रावधान B. PROVISIONS		
1. कराधान के लिए For Taxation		
2. ग्रेच्यूटी Gratuity		
3. अधिवर्षिता/पैंशन Superannuation/ Pension		
4. संचित छुट्टी नकदीकरण Accumulated Leave Encashment		
5. व्यापार वारंटी/दावे Trade Warranties/ Claims		
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें) (a) Others (Specify) (Postage & Telephone, Electricity, Audit Fee H&T)	1,66,83,883	1,57,11,531
(क) अन्य (डाक एवं टेलीफोन, बिजली, ऑडिट शुल्क एच एंड टी)		
(b) Salary/ Wages Payable	56,25,984	2,28,88,665
(ख) वेतन/मजदूरी देय		
(c) Rent Payble		5,43,792
(ग) किराया		
कुल (क) TOTAL (B)	2,23,09,847	3,91,43,988
कुल (क + ख) TOTAL (A+B)	46,29,40,911	46,41,99,894

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

31.3.2024 को तुलन पत्र के अंग के रूप में अनुसूचियाँ

THE LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2024

(figure in ₹)

अनुसूची–8 SCHEDULE 8		सकल खण्ड GROSS BLOCK				मूल्यह्रास DEPRECIATION				निवल खण्ड NET BLOCK	
विवरण Description	मूल्यह्रास की दर Rate of Depreciation *	वर्ष के प्रारंभ में लागत/मूल्यांकन Cost/Valuation as at beginning of the year	वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	वर्ष के दौरान कटौतियाँ Addition/Deduction during the year	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन Cost/ Valuation the year end	वर्ष के प्रारंभ में As at the beginning of the year	वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	वर्ष के दौरान कटौतियाँ Addition/ Deductions during the year	वर्ष के अंत में कुल Total up to the year end	इस वर्ष Current year	पूर्व वर्ष Previous Year
क. स्थाई परिसम्पत्ति Fixed Assets											
1. भूमि Land											
(क) स्वामित्व Freehold		5,18,76,17,602			5,18,76,17,602				-	5,18,76,17,602	5,18,76,17,602
(ख) पट्टे पर Lease Hold											
2. भवन Building :											
(क) स्वामित्व वाली भूमि पर On Freehold Land	10.00%	8,21,46,73,502	1,42,48,11,482	3,65,80,25,036	13,29,75,10,020	3,55,55,43,566	89,55,87,356		4,45,11,30,922	8,84,63,79,098	4,65,91,29,936
(ख) पट्टे पर ली गई भूमि पर On Lease Hold Land											
(ग) मालिकाना फ्लैट/परिसर Ownership Flats/Premises											
(घ) सड़क से इतर भूमि पर अधिसंरचना Superstructures on Land not belonging to the entity											
3 संयंत्र मशीनरी एवं उपकरण Plant Machinery & Equipment	15.00%	14,41,43,028	83,59,521		15,05,02,549	7,37,48,197	1,14,28,312		8,51,74,509	6,53,28,040	7,03,96,831
4. वाहन Vehicles	40.00%	1,83,01,708	1,05,47,150		2,88,48,858	1,21,00,928	60,90,508		1,81,91,436	1,06,57,422	62,00,780
5. फर्नीचर, फिक्सचर Furniture, Fixtures	10.00%	31,62,96,460	6,33,84,670	26,14,594	38,22,97,744	11,51,58,086	2,49,39,854		14,00,97,942	24,21,99,802	20,11,40,392
6. अन्य उपस्कर Office Equipment	40.00%	22,90,13,296	19,83,41,097	70,90,132	43,44,44,527	15,80,56,335	7,69,14,305		23,49,70,640	19,94,73,887	7,09,56,963
7. कम्प्यूटर/अन्य सहायक स्मृति/सी.सी.टी.वी. Computer/Peripherals/CCTV	40.00%	12,67,00,492	96,44,587	1,83,920	13,65,28,999	8,69,37,907	1,91,01,505		10,60,39,412	3,04,89,586	3,97,62,586
8 विद्युत संस्थापन Electric Installation	40.00%	42,66,54,891	13,13,39,179	3,31,48,784	59,31,42,854	38,32,23,312	7,04,29,095		45,36,52,407	13,94,90,447	4,54,31,579
9. पुस्तकें Library Books											
10. ई डी आई संस्थापना EDI Installation	40.00%	10,56,04,936			10,56,04,936	10,13,40,576	21,05,744		10,34,46,320	31,58,616	52,64,361
11. नलकूप एवं जल आपूर्ति Tubewells & W Supply	15.00%	3,77,67,996	1,20,200		3,78,88,196	3,70,84,056	1,20,621		3,72,04,677	6,83,519	6,83,940
12 साइनेज Signage	10.00%	3,88,24,975	1,96,46,227		5,84,71,202	1,55,81,840	35,37,359		1,91,19,198	3,73,52,004	2,12,43,135
13 राष्ट्रीय ध्वज National Flag	15.00%	3,76,84,788	1,00,40,272		4,77,25,060	1,75,53,147	41,27,134		2,16,80,281	2,60,44,779	2,01,31,641
14 सौर ऊर्जा संयंत्र Solar Power Plant	40.00%	6,78,73,454			6,78,73,454	4,19,05,726	1,03,87,091		5,22,92,817	1,55,80,637	2,59,67,728
15 फुल बॉडी ट्रक स्केनर Full Body Truck Scanner	40.00%										
कुल Total		14,95,21,59,149	1,87,42,34,385	3,70,10,62,466	20,52,74,56,000	4,59,82,31,677	1,12,47,68,883		5,72,30,00,560	14,80,44,55,440	10,35,39,27,473
पूंजी कार्य प्रगति पर Capital Work -In Progress		6,97,83,51,297	3,08,53,25,168	(3,70,11,74,466)	6,36,25,02,019					6,36,25,02,019	6,97,83,51,297
पिछले वर्ष Previous Year		21,93,05,10,446	4,95,95,59,573		26,88,99,58,019	4,59,82,31,677	1,12,47,68,883		5,72,30,00,560	21,16,69,57,459	17,33,22,78,770
पट्टे पर दी गई भूमि On Lease Hold Land		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पिछले वर्ष Previous Year		18,38,70,66,785	3,54,34,43,661	-	21,93,05,10,446	3,94,01,06,151	65,81,25,526	-	4,59,82,31,677	17,33,22,78,770	14,44,69,60,635

(Written down values)

हॉ. रेखा रायक कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य वित्त / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

(आंकड़े ₹ में)
(Figures in ₹)

अनुसूची – 9 SCHEDULE 9	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
चिन्हित/अक्षय निधियों से निवेश INVESTMENTS FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में In Government Securities		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities		
3. शेयर Shares		
4. डिबेंचर तथा बॉण्ड Debentures and Bonds		
5. सहायक कंपनियाँ एवं संयुक्त उद्यम Subsidiaries and Joint Ventures		
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें) Others (to be specified)		
कुल TOTAL	शून्य NIL	शून्य NIL

(आंकड़े ₹ में)
(Figures in ₹)

अनुसूची – 10 SCHEDULE 10	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
निवेश–अन्य INVESTMENTS-OTHERS		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में In Government Securities		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों Other approved Securities		
3. शेयर 3. Shares		
4. डिबेंचर तथा बॉण्ड Debentures and Bonds		
5. सहायक कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यम Subsidiaries and Joint Ventures		
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें) Others (Short Term FDRs)	25,50,00,000	
कुल TOTAL	25,50,00,000	

Raikar

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

(आंकड़े ₹ में)
(Figures in ₹)

अनुसूची – 11 SCHEDULE 11	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
चालू परिसम्पतियाँ, ऋण, अग्रिम इत्यादि CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.		
अ. चालू परिसम्पतियाँ CURRENT ASSETS		
1. वस्तु सूची Inventories		
(क) स्टोर्स एवं स्पेयर्स Stores and Spares		
(ख) खुले औजार Loose Tools		
(ग) स्टॉक–इनट्रेड Stock-in-trade		
तैयार माल Finished Goods		
प्रगति पर Work-in-progress		
कच्चा माल Raw Materials		
2. सकल देनदार Sundry Debtors:		
(क) छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण Debts Outstanding for a period exceeding six months		
(ख) अन्य Others	4,08,35,369	4,00,75,631
3. हस्तगत नकदी (चैकों/ड्राफ्टों/एवं इम्प्रेस्ट सहित) Cash balance in hand (including cheques/ drafts and imprest)		
4. बैंक शेष Bank Balances:		
(क) अधिसूचित बैंकों के पास With Scheduled Banks:		
चालू खातों में -On Current Accounts		
जमा खातों में (मार्जिन मनी शामिल है) -On Saving Accounts (includes margin money)	86,30,67,446	79,51,29,708
(ख) गैर अधिसूचित बैंकों के पास With non-Scheduled Banks:		
चालू खातों में -On Current Accounts		
जमा खातों में -On Deposit Accounts		
बचत खातों में -OnSaving Accounts		
5. डाक बचत खाते Post Office- Saving Accounts		
कुल (क) Total (A)	90,39,02,815	83,52,05,339

Raby

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

(आंकड़े ₹ में)
(Figures in ₹)

अनुसूची – 11 SCHEDULE 11	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
चालू परिसम्पतियाँ, ऋण, अग्रिम इत्यादि (जारी) CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC. (Cond.)		
ब. ऋण, अग्रिम एवं परिसम्पतियाँ LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSESTS		
1. ऋण Loans:		
(क) कर्मचारियों को Staff	-	-
(ख) समान गतिविधियों / उद्देश्यों में संलग्न अन्य संस्थाएँ Other Entities engaged in activities/ objectives similar to that of the Entity		
(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) Others Temp. Advance	9,90,798	43,81,614
2. प्राप्त किए जाने वाले मूल्य नकदी अथवा वस्तु में प्राप्त योग्य अग्रिम एवं अन्य राशियाँ Advances and other amounts,recoverable in cash or in kind or for value to be recevied:		
(क) पूंजी लेखे में On Capital Account		
(ख) ठेकेदार/पीएमसी को पूर्व भुगतान Prepayments to the contractor/PMCs	1,24,02,55,092	1,49,99,37,843
(ग) पूर्वभुगतान पर ब्याज Interest on Prepayments	7,79,40,810	
(घ) अन्य टीडीएस 31.03.2023 तक Others TDS Upto 31.03.2023	53,08,427	1,00,60,995
(ङ) टीडीएस 01.04.2023 से 31.03.2024 तक TDS 01.04.2023 to 31.03.2204	70,38,974	
3. अर्जित आय Income Accrued;		
(क) आय Income from Custodian		
(ख) ब्याज Interest	1,85,59,675	11,58,185
(ग) ऋणों पर तथा अग्रिमों पर (बैंक खाता) On Loans and Advances (Bank Account)		
(घ) अन्य Others		-
प्राप्य जी.एस.टी. GST Receivable		1,41,101
(ङ) विद्युत बोर्ड के पास सुरक्षा जमा Security Deposits with Electricity Board	8,64,12,628	2,22,63,146
(च) फुल बॉडी ट्रक स्कैनर अग्रिम FBTS Advances	4,90,67,366	4,90,67,366
कुल (क) Total (B)	1,48,55,73,770	1,58,70,10,250
कुल (क+ख) Total (A+B)	2,38,94,76,586	2,42,22,15,588

Raika

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

(आंकड़े ₹ में)
(Figures in ₹)

अनुसूची – 12 SCHEDULE 12	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
बिक्री/सेवाओं से आय INCOME FROM SALE/SERVICES		
(1) बिक्री से आय Income from Sales		
(क) तैयार माल की बिक्री Sale of Finished Goods		
(ख) कच्चे माल की बिक्री Sale of Raw Material		
(ग) कबाड़ की बिक्री Sale of Scraps		
(2) सेवाओं से आय Income from Services	60,19,81,677	28,28,24,271
(क) श्रमिक तथा प्रसंस्करण शुल्क Labour and Processing Charges		
(ख) व्यवसायिक/कंसलटेंसी सेवाएँ Professional Services		
(ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली Agency Commission and Brokerage		
(घ) रख–रखाव सेवाएँ/उपकरण/परिसम्पत्ति Maintenance Services (Equipment/Property)		
(ङ) अन्य Others		
कुल (क) TOTAL	60,19,81,677	28,28,24,271

Note : During the FY 2023-24 income is shown in correct head which was previous year mentioned in profesional services

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली -110003 / Khan Market, New Delhi-110003

(आंकड़े ₹ में)
(Figures in ₹)

अनुसूची – 13 SCHEDULE 13		इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
एवं सब्सिडी GRANTS/SUBSIDIES (Irrevocable Grants & Subsidies Received)			
(1) केंद्रीय सरकार Central Government			
(क) अनुदान सहायता जनरल (राजस्व अनुदान) Grant-in-Aid General (Revenue Grant)	55,00,00,000	53,68,91,419	27,00,00,000
(ख) समर्पित शेष अनुदान सहायता जनरल (राजस्व अनुदान) (-) Surrendered balance of Grant-in-Aid General (Revenue Grant) (-)	(1,31,08,581)		
(ग) अनुदान सहायता वेतन(राजस्व अनुदान) Grant-in-Aid Salaries (Revenue Grant)	8,50,00,000	8,43,41,052	8,25,00,000
(घ) समर्पित शेष अनुदान सहायता वेतन (राजस्व अनुदान) (-) Surrendered Grant-in-Aid Salaries (Revenue Grant) (-)	(6,58,948)		
(2) राज्य सरकार State Government(s)			
(3) सरकारी एजेंसियाँ Government Agencies			
(4) संस्थाएँ / कल्याण निकाएँ Institutions/ Welfare Bodies			
(5) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन International Organisations			
(6) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) Others (Specify)			
कुल Total		62,12,32,471	35,25,00,000

Note: During the FY 2023-24 figure of Revenue Grant head wise bifercated, which was previous year mentioned in Central Government

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

(आंकड़े ₹ में)
(Figures in ₹)

अनुसूची – 14 SCHEDULE 14	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
शुल्क/सदस्यता शुल्क FEES/ SUBSCRIPTIONS		
(1) प्रवेश शुल्क Entrance Fees		
(2) वार्षिक शुल्क/सदस्यता शुल्क Annual Fees/ Subscriptions		
(3) सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क Seminar / Program Fees		
(4) कंसलटेंसी शुल्क Consultancy Fees		
(5) अन्य (किराया एवं अन्य) Others (Rental & others)	1,95,18,422	1,73,65,127
कुल Total	1,95,18,422	1,73,65,127
टिप्पणी:– प्रत्येक मद के लिए लेखाकरण नीतियाँ प्रकट की जाएंगी Note- Accounting Policies towards each item are to be disclosed.		

(आंकड़े ₹ में)
(Figure in ₹)

अनुसूची 15 SCHEDULE 15	चिन्हित निधि से निवेश Investment From Earmarked		निवेश अन्य Investment-Others	
निवेश से हुई आय INCOME FROM INVESTMENTS (निधियों में हस्तांतरित चिन्हित/अक्षय निधियों से निवेश पर आय) निधियों से निवेश पर आय) (Income on investment from Earmarked/ Endowment Funds transferred to Funds)	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
(1) ब्याज Interest				
(क) सरकारी प्रतिभूतियों पर On Government Securities				
(ख) अन्य बॉण्ड/डिबेंचर Other Bonds/Debentures				
(2) लाभांश Dividends				
(क) शेयरों पर On Shares				
(ख) म्यूचल फंड प्रतिभूतियों पर On Mutual Funds Securities				
(3) किराया Rents				
(4) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) Others (Specify)				
कुल TOTAL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL

अनुसूची – 16 SCHEDULE 16	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
रॉयल्टी प्रकाशन से आय INCOME FROM ROYALTY PUBLICATION (1) रॉयल्टी से आय Income from Royalty (2) प्रकाशनों से आय Income From Publications (3) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) Others (specify)		
कुल TOTAL	शून्य NIL	शून्य NIL

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूपि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

(आंकड़े ₹ में)
(Figures in ₹)

अनुसूची – 17 SCHEDULE 17	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
अर्जित ब्याज **INTEREST EARNED**		
(1) आवधिक जमा पर On Term Deposits;		
(क) अधिसूचित बैंकों के पास With Scheduled Banks	1,57,95,549	
(ख) गैर अधिसूचित बैंकों के पास With Non-Scheduled Banks		
(ग) संस्थाओं के पास With Institutions		
(घ) अन्य Others		
2. बचत खातों पर On Savings Accounts;		
(क) अधिसूचित बैंकों के पास With Scheduled Banks	2,38,52,527	1,30,90,601
(ख) गैर अधिसूचित बैंकों के पास With Non-Scheduled Banks		
(ग) डाकखाना बचत खाते Post Office Savings Accounts		
(घ) अन्य Others		
3. ऋणों पर On Loans;		
(क) कर्मचारी/स्टाफ Employees/Staff		
(ख) अन्य Others		
4. देनदारों एवं अन्य प्राप्त योग्य राशियों पर ब्याज Interest on Debtors and Others Receivables		
कुल TOTAL	3,96,48,076	1,30,90,601
स्रोत पर काटा गया कर सूचित किया जाए Note- Tax deducted at source to be indicated		

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली -110003 / Khan Market, New Delhi-110003

(आंकड़े ₹ में)
(Figures in ₹)

अनुसूची – 18 SCHEDULE 18	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
अन्य आय OTHER INCOME		
(1) बिक्री/परिसम्पति की बिक्री Profit on sale/disposal of Assets:		
क) स्वयं की परिसम्पति की Owned assets		1,97,251
ख) अनुदानों अथवा निशुल्क प्राप्त परिसम्पतियॉं Assets acquired out of grants,or received free of cost		
(2) निर्यात प्रोत्साहनों की वसूली Export Incentives realized		
(3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क Fees for Miscellaneous Services		
(4) विविध आय (निविदा बिक्री) Miscellaneous Income (Tender Sale)	5,67,268	15,08,239
कुल TOTAL	**5,67,268**	**17,05,490**

(Figures in ₹)

अनुसूची – 19 SCHEDULE 19	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/कमी एवं कार्य प्रगति पर INCREASE/DECREASE IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS		
(क) अन्त स्टॉक Closing stock		
- तैयार माल - Finished Goods		
- कार्य प्रगति पर - Work in Progress		
(ख) आरम्भिक स्टॉक Less:Opening Stock		
- तैयार माल - Finished Goods		
- कार्य प्रगति पर - Work in Progress		
निवल वृद्धि/कमी (क–ख) NET INCREASE/DECREASE (a-b)	शून्य NIL	शून्य NIL

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

(आंकड़े ₹ में)
(Figures in ₹)

अनुसूची – 20 SCHEDULE 20	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
स्थापना व्यय ESTABLISHMENT EXPENSES		
(i) वेतन और मजदूरी बोनस शामिल Salaries and Wages included bonus	29,35,22,760	25,93,48,687
(ii) भत्ते एवं बोनस Allowance and Bonus		
(iii) भविष्य निधि में योगदान Contribution to Provident Fund	19,73,806	2,22,381
(iv) अन्य निधि में योगदान Contribution to Other Fund (CGHS)	1,73,218	1,91,336
(v) कर्मचारी कल्याण व्यय Staff Welfare Expenses		
(vi) कर्मचारी के सेवानिवृत पर मिलने वाले लाभों पर व्यय Expenses on Employees' Retirement Terminal Benefits		
(vii) अन्य चिकित्सा प्रभार Others (Medical Treatments)	16,44,277	-
कुल TOTAL	29,73,14,061	25,97,62,404

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

(Figures in ₹)

अनुसूची – 21 SCHEDULE 21	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.		
(क) खरीद Purchases		
(ख) श्रमिक एवं प्रसंस्करण व्यय Labour and Processing Expenses		
(ग) ढुलाई एवं वाहन व्यय Cartage and Carriage Inwards		
(घ) विद्युत एवं पावर Electricity and Power (Net)	3,85,39,634	3,12,65,744
(ङ) जल प्रभार Water Charges	2,31,462	2,43,476
(च) बीमा Insurance		
(छ) मरम्मत एवं रख–रखाव Repairs and Maintenance	3,11,83,159	3,46,05,626
(ज) उत्पाद शुल्क Excise Duty/ Service Tax/GST		
(झ) किराया, दर एवं कर Rent, Rates and Taxes	1,34,40,294	1,34,42,374
(ञ) वाहन चालन एवं रख–रखाव अटारी मे बस Vehicles Running and Maintenance	1,55,74,287	1,39,82,562
(ट) डाकखर्च, दूरभाष एवं संचार शुल्क Postage , Telephone and Maintenance	85,28,601	79,32,241
(ठ) प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी Printing and Stationary	69,33,136	54,97,721
(ड) यात्रा एवं सवारी व्यय Travelling and Conveyance Expenses		-
(ण) गोष्ठी/कार्यशालाओं पर व्यय Expenses on Seminar/Workshops and Event	9,93,24,849	-
(त) सदस्यता शुल्क व्यय Subscription Expenses (News Papers)	2,45,225	1,84,242
(थ) बैंक प्रभार Bank Charges	2,42,532	1,63,413
(द) लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक Auditors Remuneration	17,62,340	26,015
(न) अतिथि सत्कार व्यय Hospitality Expenses	23,84,794	35,44,184
(प) व्यवसायिक शुल्क Professional Charges	20,39,87,170	12,45,09,294
(फ) बागवानी के खर्च Horticulture Expenses		-
(ब) प्रदूषण नियंत्रण प्रभार Pollution control Charges		
(भ) हैंडलिंग और परिवहन शुल्क Handling and Transportation Charges	12,07,64,993	6,74,49,085
(म) यात्रा Domestic Travelling	1,47,74,514	1,08,68,970
(य) विदेश यात्रा Foreign Travel	1,00,157	61,912
(र) विज्ञापन एवं प्रचार Advertisement and Publicity	4,800	5,72,888
(ल) कार्यलय व्यय Office expenses	2,25,85,163	1,56,63,364
कुल TOTAL	58,06,07,110	33,00,13,110

Raikar

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

(आंकड़े ₹ में)
(Figures in ₹)

अनुसूची – 22 SCHEDULE 22	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
अनुदानों, सब्सिडी आदि पर व्यय EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.		
(क) संस्थानों/संगठनों आदि को दिया गया अनुदान Grants given to Institutions/ Organisations		
(ख) संस्थानों/संगठनों को दी गई सब्सिडी Subsidies given to Institutions/ Organisations		
कुल TOTAL	NIL	NIL
Note- Name of the Entities,their activities along with the amount of Grants/ Subsidies are to be disclosed. टिप्पणी: संस्थाओं का नाम, उनकी गतिविधियाँ तथा अनुदान/सब्सिडी को प्रकट किया जाएगा		

(आंकड़े ₹ में)
(Figures in ₹)

अनुसूची – 23 SCHEDULE 23	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
ब्याज INTEREST		
(क) सावधि ऋणों पर On Fixed Loans		
(ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित) On Other Loans (including Bank Charges)		
(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) Others (specify)		
कुल TOTAL	शून्य NIL	शून्य NIL

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

THE LAND PORT AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS
FOR THE YEAR ENDED 31.03.2024

SCHEDULE 24

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES :

1. **ACCOUNTING CONVENTION**

Basis of preparation of Financial Statements: The financial statements have been prepared under historical cost convention in accordance with generally accepted accounting principles. The Authority adopts accrual system of accounting unless otherwise stated. Revenue from ICPs, Rent and interest from Saving Bank Accounts and expenses such as salary, electricity, telephone, professional services and other misc. expenses are calculated on accrual basis.

The form of accounts has been prepared in the format prescribed under Section-13 of Chapter-IV and Section-14 of Chapter-V of the LPAI Act, 2010, which is in conformity with the format prescribed by Govt. of India vide its communication bearing no. F-4-21/2002-45 dated Feb 25, 2003.

2. **FIXED ASSETS**

- Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition. In respect of projects involving construction, related pre-operational expenses/income (including interest on loans/deposits for specified project prior to its completion) form part of the value of the assets capitalized. Assets have been capitalized as per details furnished by RITES, IRCON, shapoorji, MANIDCO and others PMC on the basis of running bills of the Contractor subject to adjustment at the time for settlement of final bill of each ICP.
- Fixed Assets received by way of non-monetary grants (others than towards the corpus funds) are capitalized at values stated by corresponding credit to Capital Reserve.
- Value of assets adjusted, wherever necessary, under the head addition/deletion during the year.

Raikar

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

3. DEPRECIATION

- Depreciation is provided on Written Down Values as per rates specified in the Income Tax Act, 1961 which is amortized over the residual life of the respective assets.
- In respect of additions to/deductions from fixed assets during the year, depreciation is considered on Written Down Values.

4. GOVERNMENT GRANTS/ SUBSIDIES

- **Grants-in-Aid:** The Grant in aid received from Ministry of Home Affairs, Government of India for the year considered on accrual basis and provision has been made based on Grants sanctioned during the year.
- **Capital Grants :** Government Grants of the nature of contribution towards capital cost of setting up projects are treated as Capital Reserve. Capital Grants received and interest accrued on it shown as Capital Reserve in Schedule 2 of the Balance Sheet.
- As per Rule-230(8) of General Financial Rule-2017 the interest earning on Grant in Aid amounting to Rs.4.37 crore is shown in the accounts as payable to consolidated fund of India, (PAO, Secretariat, MHA).
- Government Grants/ subsidy are accounted on realization basis.

5. LEASE

Lease rentals are expensed with reference to lease terms.

6. Provisions for retirement Benefits

- LPAI is a statutory organization established w.e.f. 01.03.2012. All the post in the organization are to be filled on deputation basis, there is no provision for retirement benefits at present in the Recruitment Rules of LPAI. The Officers/officials have to be repatriated to their parent office before retirement.

7. Taxation

In view of there being no taxable Income under Income Tax Act 1961, no provision for Income-Tax has been considered necessary.

(Rekha Raikar Kumar)
Member (Finance)
डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

(Aditya Mishra)
Chairman
आदित्य मिश्रा / ADITYA MISHRA
अध्यक्ष / Chairman
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Govt. of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली–110511/ Khan Market, New Delhi-110511

THE LAND PORT AUTHORITY OF INDIA, NEW DELHI
SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS
FOR THE YEAR ENDED 31.03.2024

SCHEDULE 25

CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

1. CONTINGENT LIABILITIES **(₹ in lakh)**

1.1 Claims against the Authority not acknowledged as Debts

Two cases of arbitration amounting to Rs1140.26 lakhs (ICP Agartala - Rs.978.43 lakhs, and Petrapole- Rs.161.83). Three case of forfeit of Bank Guarantee - Rs.366.86 lakh (M/s Dwarika Project), Rs.331.34 lakh (M/s T. K. Engineering) and one case of Rs.736.10 lakh (M/s Punj Lloyd)	**2574.56**

1.2 In respect of :

❖ Bank guarantees given by/on behalf of the Entity	NIL
❖ Letters of Credit opened by bank on behalf of the Entity	NIL
❖ Bills discounted with banks	NIL
❖ Claims from parties for non-execution of orders, but contested by the Entity	N.A

2. CAPITAL COMMITMENTS

Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances) (Previous year ₹532.21Cr crore)	790.00	Cr.

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

3. The Government has sanctioned Grants-in-Aid of ₹470 crore and ₹62.12 crore to meet Capital and Revenue expenditure respectively for the FY 2023-24

4. **CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES**

In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

An advance of Rs.7.36 crore have been released in favour of M/s Punj Lloyd on account of installation of FBTS at three ICP locations i.e. Attari, Raxaul and Petrapole @ of Rs.2.45 crores per ICP Location. Since the installation work of FBTS at ICP Attari was started in 2019-20 hence, Rs.2.45 crores out of Rs.7.36 crore have been shown as Work in Progress under the Fixed Assets Schedule no.8 and balance of Rs.490.67 lakh has been shown as FBTS advance under Schedule-11.

As regard encashment of BG of Rs.19.38 crore it is stated that the amount of Rs.7.36 crore out of Rs.19.38 crore has been encashed by the LPAI in its bank account with the direction of PM Division MHA vide their letter dated 25.02.2022 and Rs.12.02 crore out of Rs.19.38 crore has been encashed by PM Division.

(Rekha Raikar Kumar)
Member (Finance)
डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

(Aditya Mishra)
Chairman
आदित्य मिश्रा / ADITYA MISHRA
अध्यक्ष / Chairman
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Govt. of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली–110511/ Khan Market, New Delhi-110511

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
I.	**अनुक्रमणिका**	1–61
अध्याय 1: भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण पर एक नजर		
I.	भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण की स्थापना	3–6
II.	"स्वच्छ भारत, स्वच्छ भूमि पत्तन"	6
III.	वित्तीय वर्ष 2023 –24 की महत्वपूर्ण घटनाएं	7–9
IV.	मानव संसाधनों का सुदृढ़ करना	10
V.	भूमि पत्तनों के प्रकाशन और शोध पत्रिकाएँ	10–13
अध्याय 2 : वार्षिक वित्तीय परिणाम		
I.	वित्तीय वर्ष 2023 –24 के लिए वार्षिक वित्तीय परिणामों का सारांश	14–15
II.	दक्षता सुधार और राजस्व वृद्धि के लिए पहल	16
III.	वित्तीय प्रदर्शन और स्वीकृत परियोजनाओं का क्रियान्वयन	17–20
IV.	नई परियोजनाएं और विस्तार योजनाएं	20
अध्याय 3 : 2023 –24 के दौरान भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण की प्रगति		
I.	वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान व्यापार और यात्री आवाजाही	21
II.	वित्तीय वर्ष 2023–24 के मुख्य आंकडे और रेखाकंन	22–23
III.	वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक योजना	24
अध्याय 4: भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण की पहल		
1	जेंडर मेनस्ट्रीमिंग	25–27
II	भारत के भूमि पत्तनों पर स्थिरता को बढ़ावा देना	28–29
III	अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ क्षेत्रीय संपर्क और विकास पहलों में भागीदारी	29
अध्याय 5: लेखा – परीक्षा रिपोर्ट		
I.	भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के लेखाओं पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा – परीक्षा रिपोर्ट	30–36
II.	तुलन पत्र, आय और व्यय लेखे और अनुसूचियों, जो तुलन पत्र 2023–24 का अभिन्न भाग है	37–60

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण पर एक नजर

अध्याय 01

I. भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण की स्थापना



चित्र 1: डॉकी भूमि पत्तन, मेघालय का हवाई दृश्य

भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के माध्यम से भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई) की स्थापना की। भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम के तहत इसे भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर यात्रियों और माल की सीमा पार आवाजाही के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं (भूमि पत्तनों) को विकसित, स्वच्छ, संचालित और प्रबंधित करने का अधिदेश दिया गया है। सुदूर लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण यात्री और व्यापार पारगमन स्थानों पर अत्याधुनिक सुविधाओं का विकास भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

भूमि पत्तन सभी हितधारकों को एक छत के नीचे लाने के लिए सक्षम बुनियादी ढाँचा प्रदान करते हैं, जिसमें सीमा शुल्क, आप्रवासन, सीमा सुरक्षा बल (बीजीएफ), पौधे और पशु संगरोध, भूमि पत्तन स्वास्थ्य इकाइयाँ और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) शामिल हैं, परन्तु यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण ने मार्च 2024 में राष्ट्र को सेवा के 12 शानदार वर्ष पूरे कर लिए हैं और इस अवधि के दौरान बारह भूमि पत्तनों का विकास और संचालन किया है। पहला भूमि पत्तन, अटारी, पंजाब में, 2012 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक पारंपरिक व्यापार मार्ग पर विकसित और परिचालित किया गया था। शुरुआत से ही भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण डिजिटल तकनीक को एकीकृत करके और सुरक्षा उपायों को बढ़ाकर भूमि पत्तनों को अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचे के रूप में विकसित करने का प्रयास करता है, जो देश के क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक विकास के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण ने डॉकी(मेघालय),रुपेडिहा (उत्तर प्रदेश) और सबरूम (त्रिपुरा) में तीन अतिरिक्त भूमि पत्तनों को चालू किया। इनमें से प्रत्येक पत्तन का महत्वपूर्ण महत्व है और वे रणनीतिक रूप से स्थित हैं। डॉकी भूमि पत्तन मेघालय राज्य के शिलांग और बांग्लादेश के सिलहट जिले के बीच संपर्क प्रदान करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे क्षेत्र में पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलता है। रुपेडिहा भूमि पत्तन उत्तर प्रदेश राज्य का पहला पत्तन है और नेपाल को यात्री और व्यापार कनेक्टिविटी प्रदान करता है। भूमि पत्तन के खुलने से व्यापार यात्री यातायात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सबरूम भूमि पत्तन बांग्लादेश की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति का उपयोग बंगाल की खाड़ी के प्रवेश द्वार के रूप में करने के भारत के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप है।

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण भूमि पत्तनों का एक मजबूत नेटवर्क बनाने की परिकल्पना करता है जो न केवल आर्थिक लाभ को बढ़ावा देता है बल्कि पड़ोसी देशों के साथ राजनयिक संबंधों को भी मजबूत करता है।

अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, एलपीएआई भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत यथा परिभाषित अपने विजन, मिशन और प्रमुख कार्यों द्वारा निर्देशित है

हमारी परिकल्पना और उद्देश्य

परिकल्पना

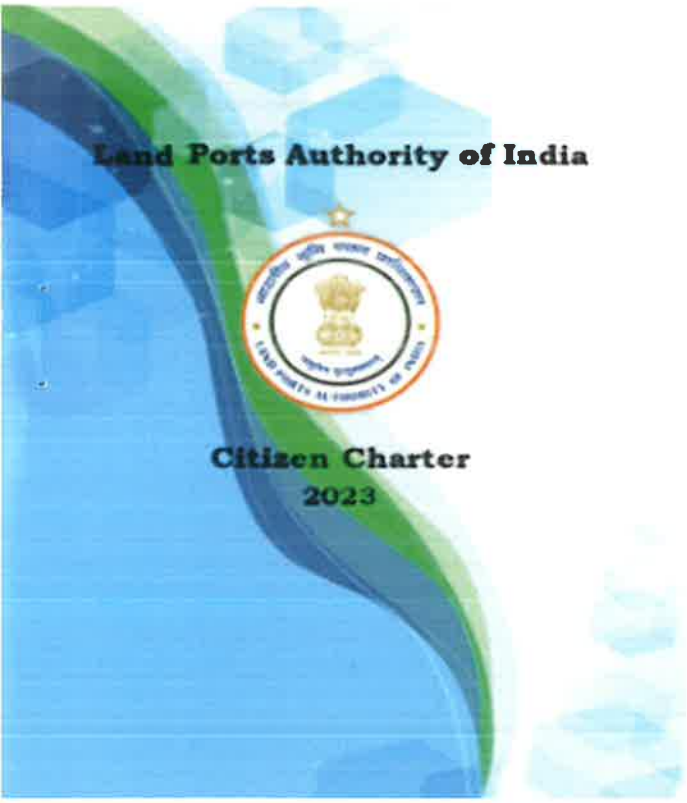
- स्तंभ 1: भूमि सीमा व्यापार की सुविधा प्रदान करना
- स्तंभ 2: सीमा क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाना।
- स्तंभ 3: सीमा सुरक्षा बढ़ाना।
- स्तंभ 4: कल्याण योजनाओं को बढ़ावा देना।
- स्तंभ 5: लोगों से लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना।

उद्देश्य

- भारत की सीमाओं पर भूमि पत्तनों का निर्माण करना।
- कार्गो और यात्री आवाजाही के लिए सुरक्षित, निर्बाध और कुशल प्रणाली प्रदान करना।
- सीमा पर ठहरने के समय और व्यापार लेनदेन लागत को कम करना।
- क्षेत्रीय व्यापार और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना।
- सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रक्रियाएं को अपनाना।

भा.भू.प.प्रा. के प्रमुख कार्य

- भूमि पत्तनों पर सुरक्षा अनिवार्यताओं को दूर करने के लिए उपयुक्त सिस्टम स्थापित करना।
- विनियामक एजेंसियों को स्थान और सुविधाएं उपलब्ध करवाना।
- मालगोदामों, कंटेनर डिपो और कार्गो परिसरों की स्थापना और रखरखाव करना।
- संचार, सुरक्षा, हैंडलिंग और स्कैनिंग उपकरण की योजना बनाना, खरीदना, स्थापित करना और उनका रखरखाव रखना।
- आग और अन्य खतरों और अन्य सुविधाओं की ,जैसा कि आवश्यक समझा जाए, रोकथाम और नियंत्रण सुनिश्चित करना।



भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई) ने सार्वजनिक सेवा वितरण के संबंध में नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से अपना नागरिक चार्टर तैयार और प्रकाशित किया है। यह दस्तावेज जनता को बुनियादी जानकारी प्रदान करता है और सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही के द्वार खोलता है, साथ ही शिकायतों के निपटान के लिए समयसीमा भी बताता है। एलपीएआई के नागरिक चार्टर की मुख्य रूपरेखाएँ निम्नानुसार प्रकार हैं –

1) कार्गो और यात्री सुविधाओं का विवरण
2) भूमि पत्तनों के संपर्क विवरण और कार्य घंटे
3) केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों का विवरण
4) शिकायत निवारण का विवरण

व्यापार और यात्रियों की सुविधा के लिए भूमि पत्तनों पर पद्धतियों और प्रक्रियाओं को और कारागर बनाने के लिए, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण ने अपने हितधारकों के प्रमुख कार्यों को एकीकृत करते हुए एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है। एसओपी अपने हितधारकों के लिए एक सहज अनुभव सुनिश्चित करता है और डुप्लिकेट प्रक्रियाओं को हटाता है।

31 मार्च 2024 तक परिचालन भूमि पत्तनों का विवरण

तालिका 1: बारह परिचालन भूमि पत्तन

क्र.सं.	स्थान	राज्य	सीमावर्ती देश	संचालन की प्रारम्भिक तारीख
1	अटारी	पंजाब	पाकिस्तान	13.04.2012
2	अगरतला	त्रिपुरा	बांग्लादेश	17.11.2013
3	पेट्रापोल	पश्चिम बंगाल	बांग्लादेश	12.02.2016
4	रक्सौल	बिहार	नेपाल	03.06.2016
5	जोगबनी	बिहार	नेपाल	15.11.2016
6	मोरेह	मणिपुर	म्यांमार	04.01.2019
7	सुतारकंडी	असम	बांग्लादेश	07.09.2019
8	डेरा बाबा नानक	पंजाब	पाकिस्तान	09.11.2019
9	श्रीमंतपुर	त्रिपुरा	बांग्लादेश	05.09.2020
10	डॉकी	मेघालय	बांग्लादेश	04.05.2023

क्र.सं.	स्थान	राज्य	सीमावर्ती देश	संचालन की प्रारम्भिक तारीख
11	रूपेडिया	उत्तर प्रदेश	नेपाल	01.06.2023
12	सवरूम	त्रिपुरा	बांग्लादेश	09.03.2024

तालिका 2: भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के सदस्य

क्र.सं.	भा.भू.प.प्रा. के बोर्ड सदस्य
1.	अध्यक्ष, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण
2.	सदस्य (योजना एवं विकास), भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण
3.	सदस्य (वित्त), भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण
4.	अपर सचिव और विधायी परामर्शदाता, कानून और न्याय मंत्रालय
5.	संयुक्त सचिव (बीएम–II) गृह मंत्रालय
6.	अपर सचिव, वाणिज्य विभाग
7.	संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण) कृषि एवं सहकारिता विभाग
8.	सीई (मॉनिटरिंग) सड़क परिवहन और राजमार्ग
9.	संयुक्त सचिव (डीपीए–III) विदेश मंत्रालय
10.	संयुक्त सचिव (बीएम) विदेश मंत्रालय
11.	संयुक्त सचिव (सेना) रक्षा मंत्रालय
12.	आयुक्त (सीमा शुल्क) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
13.	कार्यकारी निदेशक, यातायात परिवहन (इस्पात), रेलवे मंत्रालय
14.	अध्यक्ष, भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ
15.	आयुक्त और सचिव, गृह, राजनीतिक, पासपोर्ट सीमावर्ती क्षेत्र, सूचना और जनसंपर्क, राज्य सरकार, (असम, बिहार, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश)
16.	प्रधान आवासीय आयुक्त, पश्चिम बंगाल सरकार
17.	श्रमिक एवं व्यापारी संघ का प्रतिनिधि– अभी नामित होना बाकी है।

तालिका 3: वित्तीय वर्ष 2023–24 में भा.भू.प.प्रा. के पदाधिकारी

क्र.सं.	नाम	धारित पद	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्री आदित्य मिश्रा	अध्यक्ष	01.04.2023	31.03.2024
2	श्री संजीव गुप्ता	सदस्य (योजना व विकास)	01.04.2023	31.03.2024
3	श्रीमती रेखा रायकर कुमार	सदस्य (वित्त)	01.04.2023	31.03.2024
4	श्री विवेक वर्मा	सचिव	01.04.2023	31.03.2024

तालिका 4 : वित्तीय वर्ष 2023 – 24 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकें

क्र.सं.	बोर्ड की बैठक	तारीख और स्थान
1	32वीं बोर्ड बैठक	13 जुलाई 2023 को भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण मुख्यालय, नई दिल्ली में
2	33वीं बोर्ड बैठक	12 अक्टूबर, 2023 को भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण मुख्यालय, नई दिल्ली में
3	34वीं बोर्ड बैठक	24 जनवरी 2024 को भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण मुख्यालय, नई दिल्ली में

II. ''स्वच्छ भारत, स्वच्छ भूमि पत्तन''

प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन के अनुसार, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण ने अपने भूमि पत्तनों में सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया। इस पहल के दौरान, एलपीएआई ने पुराने रिकॉर्ड, फाइलों और दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक सफाई और व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि पुराने कागजातों का उचित तरीके से निपटान और संग्रह किया गया है। भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण मुख्यालय के अलावा, सफाई के प्रयास भूमि पत्तनों के परिसरों में भी बढ़ाए गए, जिसमें यात्री और कार्गो टर्मिनल भवन शामिल मुख्य भवन के हॉलवे और गोदाम क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया गया, जो अक्सर उच्च यातायात वाले क्षेत्र होते हैं। स्वच्छता पखवाड़े का उद्देश्य समग्र कार्य वातावरण को बढ़ाना, कर्मचारियों और आगंतुकों दोनों के लिए एक सुरक्षित और अधिक कुशल स्थान सुनिश्चित करना था। यह पहल सार्वजनिक सुविधाओं में स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ–साथ स्वच्छ और टिकाऊ कार्यस्थलों का रखरखाव करने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

III. 2023–24 की महत्वपूर्ण घटनाएँ

क) गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने 4 मई 2023 को मेघालय में भूमि पत्तन डॉकी का उद्घाटन किया। इस भूमि पत्तन से पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलने की आशा है।



ख) माननीय गृह मंत्री द्वारा जोगबनी में सीमा रक्षक बल आवास का उद्घाटन किया गया। एलपीएआई ने पुरुषों और महिलाओं के लिए बीजीएफ आवास उपलब्ध कराया है।



ग) एकीकृत जांच चौकियों और भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों के बुनियादी ढांचे पर बांग्लादेश–भारत उप–समूह की बैठक 4–5 नवंबर 2023 को ढाका में आयोजित की गई।



घ) 9 मार्च 2024 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा बांग्लादेश के महामहिम प्रधान मंत्री के साथ 'विकसित भारत विकसित पूर्वोत्तर ' कार्यक्रम के भाग के रूप में भूमि पत्तन सबरूम का वर्चुअल उद्घाटन किया गया।



ङ) माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने छात्रावास आवास का उद्घाटन किया और दूसरे कार्गो गेट (मैत्री द्वार) का भूमि पूजन किया। यह व्यापार को बढ़ावा देने और सीमा संपर्क बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ।



च) रुपेडिहा में उत्तर प्रदेश के पहले भूमि पत्तन का उद्घाटन 1 जून 2024 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री और नेपाल के महामहिम प्रधान मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।



छ) डॉकी भूमि पत्तन पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन। डॉकी में भारत, बांग्लादेश और भूटान के व्यापारियों की पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक का ऐतिहासिक क्षण।



ज) भूमि पत्तन पेट्रापोल से भारत और बांग्लादेश के बीच भारतीय रुपये में पहली बार शिपमेंट हुआ। भूमि पत्तन पेट्रापोल ने टाटा मोटर्स के नेतृत्व में ऐतिहासिक कदम उठाया है, जो रुपये में एल.सी. के माध्यम से निर्यात करता है। इससे भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।



ञ) डॉकी भूमि पत्तन से शिलांग के लिए दैनिक बस सेवा 12 मार्च 2023 को आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है।



ट) कुशल व्यापार सुविधा और सहयोग की दिशा में, जोगबनी भूमि पत्तन पर कार्गो संचालन और आप्रवासन प्रक्रियाओं को डिजिटल कर दिया गया है।



ठ) वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने सुनौली–भैरहवा भूमि पत्तन के शिलान्यास समारोह में वृक्षारोपण किया। भूमि पत्तन से पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलने की आशा है।



ड) एलपीएआई की लिंग नीति के अनुसार डेरा बाबा नानक शहर और भूमि पत्तन के बीच एलपीएआई की महिला कर्मचारियों के लिए निशुल्क दैनिक परिवहन सेवा शुरू की गई।



ढ) 21 जुलाई 2023 को श्रीमंतपुर भूमि पत्तन पर विदेशी मुद्रा विनिमय काउंटर का उद्घाटन किया गया।



ण) विभिन्न सरकारी संगठनों के विशेषज्ञों की एक टीम 17 मई 2023 को भूमि पत्तन अगरतला में एकत्रित हुई और सीमा पार आवाजाही के प्रारंभिक सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की।



IV. मानव संसाधन को मजबूत बनाना

1. मानव संसाधन विकास के लिए भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण की प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पहल सात आधारभूत स्तंभों पर आधारित हैः एक संरचित प्रशिक्षण कैलेंडर, ऑनलाइन सीखने के लिए iGOT कर्मयोगी भारत मंच का लाभ उठाना, विशेषज्ञों के नेतृत्व वाले सत्रों की विशेषता वाली मास्टरक्लास व्याख्यान श्रृंखला, आकर्षक चर्चाओं के लिए पोर्ट–साइड चौट पॉडकास्ट, एक विस्तारित इंटर्नशिप कार्यक्रम, आवश्यकता–आधारित प्रशिक्षण सत्र और लक्षित कार्यशालाएँ, सेमिनार और आउटरीच पहल।
2. वर्ष के दौरान, कई मुख्य उपलब्धियों ने प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण इकोसिस्टम के विकास को चिह्नित किया। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) MEA के तहत के साथ सहयोग शुरू किया गया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य क्षेत्रीय साझेदारी को बढ़ावा देना और भूमि पत्तन प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान–प्रदान करना है।
3. महत्वपूर्ण कौशल क्षेत्रों को संबोधित करने के लिए प्रमुख संस्थानों के साथ साझेदारी में प्रभावशाली प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की गई। राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी (NISA) हैदराबाद में प्रशिक्षण सत्रों का फोकस सुरक्षा प्रोटोकॉल और संकट प्रबंधन था, जबकि राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय (NFSC) नागपुर ने अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया पर दो सप्ताह का गहन कार्यक्रम आयोजित किया। सड़क यातायात शिक्षा संस्थान (आईआरटीई) फरीदाबाद ने सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) दिल्ली ने उन्नत सीमा पार व्यापार सुविधा कार्यक्रम पेश किए और होटल प्रबंधन संस्थान (आईएचएम) दिल्ली ने यात्री अनुभव और आतिथ्य को बढ़ाने के लिए सत्र आयोजित किए। वर्ष की एक और मुख्य उपलब्धि भूमि पत्तन, अटारी पर भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के पहले कर्मचारी उन्मुख कार्यक्रम का सफल संचालन करना था, जिसने कर्मचारियों को संगठनात्मक प्रथाओं और मूल्यों का एक संरचित परिचय प्रदान किया गया।
4. डिजिटल लर्निंग एलएंडडी ढांचे की आधारशिला बन गई, जिसमें 80% से अधिक कर्मचारी सक्रिय रूप से पळव्ज कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर लगे हुए हैं। इस पहल को एलपीएआई कर्मयोगी भारत (केबी) टैब के लॉन्च से और बढ़ावा मिला, जो एलपीएआई कर्मियों की जरूरतों के अनुरूप क्यूरेटेड सामग्री प्रस्तुत करता है, जिससे ज्ञान संसाधनों तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होती है।

5. भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के इंटर्नशिप कार्यक्रम ने प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों से युवा प्रतिभाओं को आकर्षित किया, जिससे स्मार्ट अवसंरचना और व्यापार सुविधा जैसे विषयों पर शोध की सुविधा मिली। इस पहल को बंग्लादेश,भूटान,भारत,नेपाल (बीबीआईएन) देशों तक विस्तारित करने, क्षेत्रीय सहयोग और जानकारी साझा करने को बढ़ावा देने की योजनाएँ चल रही हैं।

6. मास्टरक्लास व्याख्यान श्रृंखला एक प्रमुख पहल के रूप में उभरी, जो नेताओं(विचारकों) को भूमि पत्तन संचालन और प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए एक साथ लाती है।

7. अगरतला में अत्याधुनिक भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की गई, जिसे गहन (इमर्सिव) लर्निंग अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, केंद्र में आधुनिक क्लासरूम, ब्रेकआउट स्पेस और आवास हैं, जो एलपीएआई के क्षमता निर्माण प्रयासों के अगले चरण के लिए मंच तैयार करते हैं।



अटारी भूमि पत्तन पर आयोजित एलपीएआई कर्मचारी अभिमुखीकरण कार्यक्रम

V. भूमि पत्तनों के प्रकाशन और अनुसंधान पत्रिकाएँ

जैसे–जैसे सीमा पार व्यापार और यात्री आ तेजी से बढ़ रहा है, वैश्विक आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण आर्थिक विकास और क्षेत्रीय सहयोग का समर्थन करने के लिए कुशल सीमा प्रबंधन की आवश्यकता का पता लगाता है। एलपीएआई नीति, बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण और समावेशिता पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापार और यात्रा रुझानों को समझने और अनुकूलित करने के लिए सक्रिय रूप से शोध करता है। आंतरिक रूप से और थिंक टैंकों के साथ आयोजित प्राधिकरण का अनुसंधान, सीमा प्रक्रियाओं में सुधार करने और लैंगिक समावेशिता के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता के साथ मजबूत, उत्तरदायी भूमि पत्तन संचालन सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचागत सुधार और प्रौद्योगिकी अपनाने की जानकारी देता है। एलपीएआई सक्रिय रूप से रिपोर्ट रिलीज के माध्यम से अपने ज्ञान को प्रचारित करता है, जिसमें लॉजिस्टिक्स और व्यापार में शामिल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों की एक विविध श्रृंखला शामिल होती है, जो क्षेत्रीय उन्नति के लिए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है।



ऐसा ही एक अध्ययन, ''बीबीआईएन देशों में भूमि पत्तनों पर समन्वित सीमा प्रबंधन'' एलपीएआई के लिए ब्रीफ द्व ारा संचालित और जून 2023 में प्रकाशित भारत और उसके पड़ोसी देशों –नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बीच सहयोगात्मक प्रयासों के महत्व को रेखांकित करता है। अध्ययन में समन्वित सीमा प्रबंधन स्थापित करने के लिए एक कार्य योजना की रूपरेखा तैयार की गई है, जो सीमा पार व्यापार में तेजी लाने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए आवश्यक है। यह साझा बुनियादी ढांचे के विकास और नियामक प्रक्रियाओं के संरेखण सहित सामान्य सुविधा उपायों की व्यवहार्यता का सावधानीपूर्वक आकलन करता है।

दिसंबर 2023 में प्रकाशित ''जर्नल ऑफ लैंड पोर्ट्स एंड बॉर्डर इकोनॉमी अंक प्प'', जो एक सस्थागत पत्रिका है, सीमा प्रबंधन में प्रगति को दर्शाती है, जिसमें पारगमन बिंदुओं के विकास और उन्नयन के माध्यम से सीमा अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भारत की यात्रा पर प्रकाश डाला गया है। इस पत्रिका में शोध पत्र शामिल हैं जो व्यापार और विकास के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालते हैं, जो सीमा प्रबंधन के लिए भारत के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करते हैं।

सीयूटीएस इंटरनेशनल द्वारा अक्टूबर 2023 में प्रकाशित अध्ययन ''सीमा पार व्यापार में आसानीः भारत में एकीकृत जांच चौकी की स्थिति'', व्यापार और यात्री आवाजाही को सुविधाजनक बनाने में भूमि पत्तनों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देती है, जो विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सुविधा समझौता (टीएफए) के साथ भारत के अनुपालन में योगदान करती है। यह हितधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर भूमि पत्तनों पर बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार के लिए एक रोडमैप प्रदान करता है, जिसका लक्ष्य कार्गो रिलीज के समय को कम करना और सीमा प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है।

एलपीएआई द्वारा संचालित और महिला हाउसिंग ट्रस्ट द्वारा आयोजित अध्ययन ''भारत में भूमि पत्तनों को बढ़ावा देना'', सीमा पार व्यापार और परिवहन में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व की जांच करता है। यह रिपोर्ट 9 जनवरी 2024 को जारी की गई थी। अध्ययन में मूल्यांकन स्कोरिंग सूचकांक के साथ एक लिंग समावेशिता टूलकिट पेश किया गया है, जिसे भूमि पत्तनों पर लिंग प्रतिक्रिया को मापने और बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। संस्थागत, ढांचागत, सूचनात्मक और सामाजिक चुनौतियों को इंगित और संबोधित करके, टूलकिट का उद्देश्य सीमा पार गतिविधियों में महिलाओं की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि व्यापार लाभ अधिक समान रूप से प्रदान किए जाएं।

BRIEF द्वारा तैयार और मार्च 2024 में प्रकाशित ''भूमि पत्तनों के माध्यम से भारत और नेपाल के बीच यात्री आवाजाही की धारणा अध्ययन'' भारत–नेपाल की 1950 की शांति और मित्रता संधि के अनुसार माल और यात्रियों की सहज आवाजाही पर ध्यान केंद्रित करते हुए, भारत और नेपाल के बीच अद्वितीय संबंधों की जांच करता है। अध्ययन चुनौतियों की पहचान करता है और भूमि पत्तनों के माध्यम से यात्री आवाजाही के लिए सुधार, बीबीआईएन मोटर वाहन अधि ानियम के साथ संरेखित करने और द्विपक्षीय कनेक्टिविटी बढ़ाने का सुझाव देता है।

14 जुलाई 2023 को जारी ''भारत–म्यांमार सीमा पर सीमा कनेक्टिविटी को मजबूत करना'' अध्ययन, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भूमि पत्तन मोरेह में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डालता है। यह भूमि मार्गों की दक्षता को भुनाने, निर्यात क्षमता को अनलॉक करने और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए तेजी से बुनियादी ढांचे के विकास, व्यापार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने की सिफारिश करता है।

एलपीएआई विभिन्न संस्थागत पहल करता है जो जानकारी का प्रसार करने और भूमि सीमा व्यापार को सुव्यवस्थित करने के लिए हितधारकों के साथ मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।



एलपीएआई की अर्द्धवार्षिक पत्रिका, "गेटवे टू इंडियाः इनोवेटिंग. लीडिंग. ट्रांसफॉर्मिंग. वित्तीय वर्ष 2023–24" में भारत की सीमा क्रॉसिंग को आधुनिक बनाने के प्राधिकरण के मिशन का विस्तृत विवरण प्रदान किया गया है। यह भूमि पत्तन



प्रबंधन प्रणाली (एलपीएमएस) और परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली जैसी प्रमुख पहलों और तकनीकी प्रगति को दर्शाता है, जिसने प्रसंस्करण समय को काफी कम कर दिया है और परिचालन दक्षता में सुधार किया है। इस रिपोर्ट में व्यापार गलियारों को और बढ़ाने के लिए नए पत्तनों के उन्नयन और विकास की भावी योजनाओं के साथ स्थिरता और लैंगिक समावेशिता के प्रति एलपीएआई की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला गया है।

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई) के न्यूजलेटर के दो अंक ''एलपीएआई कनेक्ट'', हितधारक जुड़ाव के लिए एक प्रमुख उपकरण के रूप में कार्य करते है, जो परिचालन और आगामी भूमि पत्तनों पर हाल ही की गतिविधियों और विकास पर अपडेट प्रदान करते है। इसका उद्देश्य हितधारकों को सूचित करना और व्यापार सुविधा सुधारों के प्रभाव को व्यापक बनाना है, जिससे भारत के भूमि सीमा व्यापार को मजबूत किया जा सके।

वार्षिक वित्तीय परिणाम

अध्याय 02

I. वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक वित्तीय परिणामों का सारांश

(i) अनुदान सहायता

वित्तीय वर्ष 2023–24 में, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण को वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए गृह मंत्रालय से कुल 533.50 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्राप्त हुई। पूंजी, सामान्य और वेतन शीर्ष के तहत प्राप्त अनुदान सहायता क्रमशः 470.00 करोड़ रुपये, 55.00 करोड़ रुपये और 8.50 करोड़ रुपये थी।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कुल व्यय 544.70 करोड़ रुपये था। पूंजी, सामान्य और वेतन के संबंधित शीर्षों के लिए उपयोग 470.00 करोड़ रुपये, 53.69 करोड़ रुपये और 8.43 करोड़ रुपये था। पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए 12.58 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय आंतरिक प्राप्तियों से पूरा किया गया। 1.38 करोड़ रुपये की खर्च न की गई अनुदान राशि 31.03.2024 को मंत्रालय को स्वतः लौटा दी गई।

(ii) कोषागार एकल लेखा प्रणाली (पीएफएमएस)

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए कोषागार एकल लेखा (टीएसए) प्रणाली 01.04.2021 से भारतीय भूमि पत्न प्राधिकरण में लागू की गई थी।

1. फंड प्रवाह की दक्षता बढ़ाना
2. 'जस्ट इन टाइम' सिद्धांत को अपनाना
3. बेहतर नकदी प्रबंधन
4. निधि को पार्क करने से बचना
5. सरकारी उधारी को कम करना

(iii) आयकर के संबंध में

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण को वित्तीय वर्ष 2026–27 तक वैधता के साथ आय कर 03 – धारा 10 के खंड (23सी) के पहले प्रावधान के खंड (i) (धारा 10 के खंड (23सी) के उप–खंड (पअ) के तहत आने वाले आवेदन के लिए) के तहत टीडीएस से छूट दी गई है।

(iv) वस्तु एवं सेवा कर

वर्तमान में भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के पास विभिन्न राज्यों अर्थात् दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, बिहार, असम, मणिपुर, मेघालय और उत्तर प्रदेश के लिए कुल नौ जीएसटी पंजीकरण हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, विभिन्न भूमि पत्तनों के संबंध में, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण ने भारत सरकार को जीएसटी में ₹8.68 करोड़ और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के साथ सहमति के बाद देय जीएसटी के विरुद्ध समायोजित इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के रूप में ₹2.14 करोड़ का भुगतान किया है।

(v) अचल परिसंपत्तियां

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के पास 2116.70 करोड़ रुपये की अचल परिसंपत्तियां हैं। इन अचल परिसंपत्तियों में भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के कब्जे वाली भूमि, भवन, निर्माणाधीन निर्माण और अन्य अचल परिसंपत्तियां शामिल हैं:

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण ने अचल परिसंपत्तियों में ₹495.96 करोड़ की वृद्धि की और आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार अचल परिसंपत्तियों पर ₹112.48 करोड़ का मूल्यह्रास लगाया ।

तालिका 5: भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण की अचल परिसंपत्तियां (करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	भूमि	भवन	प्रगति पर कार्य	अन्य	कुल
2021-22	518.32	503.11	379.68	43.69	1,444.70
2022-23	518.76	465.91	697.84	50.72	1,733.23
2023-24	518.76	884.64	636.25	77.05	2,116.70

वित्तीय वर्ष 23–24 के दौरान अचल परिसंपत्तियों में 383.37 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है।

(vi) वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान उपार्जन :

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण ने कुल ₹66.17करोड़ की आय अर्जित की, जिसमें जमा पर ब्याज से ₹3.96 करोड़ और परिचालन भूमि पत्तनों से ₹62.21 करोड़ शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष	जमा पर ब्याज	भूमि पत्तनों से राजस्व	कुल
2021-22	1.33	26.76	28.09
2022-23	1.31	30.19	31.50
2023-24	3.96	62.21	66.17

(vii) 2023–24 के दौरान व्यय

सामान्य वित्तीय नियम–2017 के नियम–230(8) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान अनुदान सहायता – पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन पर अर्जित ब्याज, जो ₹4.37 करोड़ है, भारत की समेकित निधि (पीएओ, सचिवालय, गृह मंत्रालय) को भुगतान किया गया है।

तालिका 8: वित्तीय वर्ष 2022–23 / 2023–24 के लिए व्यय (करोड़ रुपये में)

		व्यय अनुदान		आंतरिक प्राप्ति से व्यय		कुल व्यय		समर्पण अनुदान	
वर्ष		2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
पूंजी	पिछले वर्ष का अप्रयुक्त शेष	0.07	Nil	Nil	Nil	0.07	NIL	Nil	Nil
	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	323.20	470.00	0.19	12.58	323.39	482.58	1.80	Nil
	उपयोग	323.27	470.00	0.19	12.58	323.46	482.58	Nil	Nil
सामान्य		27.00	53.69	12.55	Nil	39.55	53.69	Nil	1.31
वेतन		8.25	8.43	0.26	Nil	8.51	8.43	Nil	0.07
योग		358.52	532.12	13.00	12.58	371.52	544.70	1.80	1.38

II. दक्षता में सुधार और राजस्व वृद्धि के लिए पहल

1. सीबीआईसी द्वारा 15 प्रमुख पत्तनों को कवर करते हुए राष्ट्रीय समय रिलीज अध्ययन (एनटीआरएस), 2023 प्रकाशित किया गया। भूमि पत्तनों के संबंध में मुख्य परिणाम इस प्रकार थे:

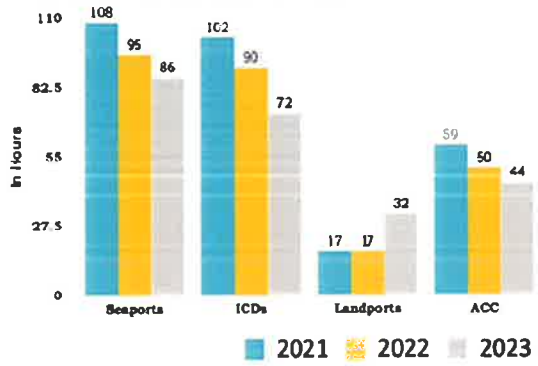
क) रिपोर्ट में दो महत्वपूर्ण भूमि पत्तनों – रक्सौल और पेट्रापोल को शामिल किया गया

ख) इन पत्तनों पर आयात रिलीज का समय 24 घंटे के एनटीएफएपी बेंचमार्क के मुकाबले 32 घंटे था और

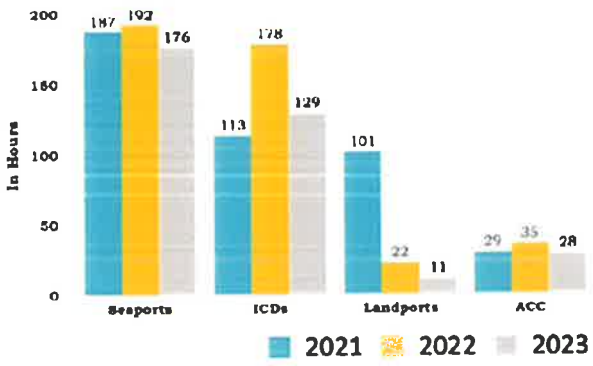
ग) औसत निर्यात रिलीज का समय 11 घंटे था, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 50: की पर्याप्त कमी हुई है।

नीचे दिया गया चार्ट 2021, 2022 और 2023 के लिए परिवहन के अन्य साधनों (समुद्र, वायु आदि) के साथ आयात और निर्यात निकासी समय की तुलना प्रदान करता है:

चित्र 3: घंटों में तुलनात्मक निर्यात समय रिलीज डेटो



प्रचवतज तमसमेंम जपउम



माचवतज तमसमेंम जपउम

2. भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई) ने पेट्रापोल भूमि पत्तन पर सीडब्ल्यूसी से कार्गो परिचालन का कार्यभार संभाला, जिससे कार्गो परिचालन से राजस्व में वृद्धि होने की संभावना है।

3. भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली के विकास के लिए काले लॉजिस्टिक्स को कार्य प्रदान किए गए, ताकि भूमि पत्तन परिचालन के निर्बाध डिजिटलीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके।

4. प्रबंधकों द्वारा विक्रेताओंध्एजेंसियोंधनिर्यातक–आयातकों तक पहुंच बनाई गई, उन्हें भूमि पत्तन अगरतला में अपने कार्यालयों को खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

5. एटीएम और ड्यूटी फ्री शॉप की शुरुआत के साथ श्रीमंतपुर भूमि पत्तन पर यात्री सुविधाओं में वृद्धि की गई।

6. मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी की सुविधा के लिए श्रीमंतपुर भूमि पत्तन पर गोमती नदी पर स्थायी जेटी का उद्घाटन किया गया।

7. भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण ने भूमि पत्तनों के विकास और यात्री एवं कार्गो आवागमन के आधार पर भूमि की आवश्यकता के आकलन के लिए मानक नीति विकसित की।

8. कई स्थानों पर एक्सेस कंट्रोल और सीसीटीवी की शुरुआत की गई।

III. स्वीकृत परियोजनाओं का परिचालन प्रदर्शन और प्रगति

क. व्यापार और राजस्वः

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान भूमि पत्तनों के माध्यम से 71,009.75 करोड़ रुपये के व्यापार करने की प्रक्रिया को सुगम बनाया गया। भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण ने भूमि पत्तनों पर प्रदान की गई सेवाओं से 30.03 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। व्यापार और राजस्व का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है। (कोविड के बाद)

तालिका 9: एल.पी.ए.आई. का तुलनात्मक व्यापार एवं राजस्व (करोड़ रु.)

भूमि पत्तन	व्यापार का मूल्य (करोड़ रुपये)			भूमि पत्तनों से राजस्व (करोड़ रुपये)		
	2021-22	2022-23	2023-24	2021-22	2022-23	2023-24
अगरतला	844.1	471.8	318.0	4.7	2.7	3.0
अटारी	3,002.4	2,257.6	3,887.0	0.5	7.8	18.1
डॉकी	NA	NA	133.0	NA	NA	4.0
डेरा बाबा नानक करतारपुर	NA	NA	NA	0.1	0.2	0.0
जोगबनी	10,423.0	8,747.4	7,916.0	4.1	2.1	5.0
मोरेह	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	0.0
पेट्रापोल	29,406.3	30,378.5	30,420.0	3.7	4.0	15.3
रक्सौल	33,227.4	33,881.7	27,860.0	10.2	10.4	13.2
श्रीमंतपुर	171.9	172.2	123.5	1.4	1.0	1.2
सुतारकंडी	498.1	410.6	352.3	1.5	1.9	2.3
कुल	**77,573.1**	**76,319.7**	**71,009.8**	**26.2**	**30.0**	**62.2**

* मई 2023 से कानून और व्यवस्था से संबंधित मुद्दे के कारण मोरेह भूमि पत्तन के माध्यम से कोई व्यापार नहीं हुआ।

ख. यात्री आवाजाही

पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान भूमि पत्तनों के माध्यम से यात्री आवाजाही को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 10: भूमि पत्तनों के माध्यम से यात्री आवाजाही

भूमि पतन	यात्रियों की संख्या (000 में)		
	2021-22	2022-23	2023-24
अगरतला	66.117	316.4	328.2
अटारी	16.191	67.7	71.5
डॉकी	NA	NA	88.7
डेरा बाबा नानक करतारपुर	31.869	91.3	99.6
जोगबनी	Nil	Nil	155
मोरेह	72	Nil	Nil
पेट्रापोल	289.255	1937	2323
रक्सौल	2.516	Nil	Nil
श्रीमंतपुर	Nil	51.08	86.75
सुतारकंडी	1.365	15.09	15.72
कुल	**407.385**	**2,478.57**	**3,168.47**

ग. स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में प्रगतिः

1. सरकार ने 17.12.2018 (सीसीएस) को निम्नलिखित परियोजनाओंध्योजनाओं की मंजूरी दी है। (जिसमें चरण–II की छह और सात नए स्थान शामिल हैं)। परियोजनाओंध्योजनाओं की स्थिति निम्नानुसार हैः –

तालिका 11: भूमि पत्तनों के माध्यम से यात्रियों की आवाजाही

क्र. सं.	स्थान	राज्य	सीमा	31.03.2024 तक की स्थिति
1	रुपेडिहा	उत्तर प्रदेश	नेपाल	आईसीपी रुपेडिहा का उद्घाटन 01 जून 2023 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री और नेपाल के महामहिम प्रधान मंत्री द्वारा किया गया।
2	सुनौली	उत्तर प्रदेश	नेपाल	भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया है। पीटीबी, सीटीबी गोदाम का निर्माण और अन्य विकास कार्य प्रगति पर हैं।
3	सुतारकंडी	असम	बांग्लादेश	भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण ने असम सरकार से बीटीसी 1 और बीटीसी 2 का अधिग्रहण किया। भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण द्वारा मौजूदा सीमा व्यापार केंद्र 1 और 2 से 2019 में परिचालन शुरू किया गया। भूमि पत्तन सुतारकंडी के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया है। भूमि पत्तन सुतारकंडी के यात्री टर्मिनल भवन, कार्गो टर्मिनल क्षेत्र के विकास का कार्य प्रगति पर है।
4	पेट्रापोल में यात्री टर्मिनल भवन (पीटीबी) का विकास	पश्चिम बंगाल	बांग्लादेश	95% कार्य पूरा हो चुका है।
5	चरण–1 आईसीपी के 7 स्थानों पर बीजीएफ आवास का विकास	–	–	अटारी, जोगबनी में निर्माण कार्य पूरा हो गया है पेट्रापोल, रक्सौल, अगरतला, मोरेह और डॉकी में कार्य प्रगति पर है।

6	04 स्थानों (अगरतला, डॉकी, जोगबनी और मोरेह) पर एफबीटीएस की स्थापना और 05 स्थानों (अगरतला, अटारी, पेट्रापोल, जोगबनी और रक्सौल) में आरडीई की स्थापना।	–	–	क्यूआर को अंतिम रूप दिए जाने के बाद एफबीटीएस स्थापना प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आरडीई की स्थापना पूरी हो गई है।
7	10 स्थानों अर्थात् हिल्ली, चांगराबंधा, कावर्पुछुहा, जयगांव, पानीटंकी, घोजाडांगा, बनबासा, महदीपुर, फुलबारी और भिट्टामोर में एकीकृत जांच चौकियों को विकसित करने के लिए भूमि अधिग्रहण और डीईआर की तैयारी के लिए "सैद्धांतिक रूप से" मंजूरी	–	–	सभी सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत स्थानों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। आईसीपी भिट्टामोर के विकास के लिए भूमि एलपीएआई के नाम पर स्थानांतरित कर दी गई है। आईसीपी बनबासा के विकास के लिए वन मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है। आईसीपी कावर्पुछुहा के विकास के लिए भूमि मिजोरम सरकार द्वारा लीज के आधार पर एलपीएआई को स्थानांतरित कर दी गई है। भिट्टामोर, कावर्पुछुहा और बनबासा में भूमि पत्तन के विकास के लिए पीआईबी नोट गृह मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 21 नवंबर 2024 को पश्चिम बंगाल में 07 आईसीपी के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए मंजूरी दे दी है। 07 आईसीपी के लिए भूमि अधिग्रहण अग्रिम चरण में है। सभी 07 स्थानों के संबंध में मांग राशि पश्चिम बंगाल सरकार के पास जमा कर दी गई है।

2. हाल ही में किए जा रहे या पूरे किए गए अन्य कार्य:

- भूमि पत्तन डेरा बाबा नानक, रुपेडिहा और डॉकी में सोलर ऊर्जा उत्पादनध्रूफ टॉप सोलर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की व्यवहार्यता।

- भूमि पत्तनों पर ट्रांसशिपमेंट शेड का काम प्रगति पर है।
- विभिन्न भूमि पत्तनों पर फायर स्टेशन, डॉरमेट्री का निर्माण और अन्य संवर्द्धन मरम्मत कार्य प्रगति पर हैं।
- आठ (08) आईसीपी पर रेडिएशन डिटेक्शन उपकरण की आपूर्ति, स्थापना, साइट स्वीकृति परीक्षण (एसएटी) और उसे चालू करने का कार्य करना।
- इस वित्तीय वर्ष में 12 परिचालन आईसीपी में से, रुपेडिहा को छोड़कर, 11 आईसीपी को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है ।

IV. नई परियोजनाएँ और विस्तार योजनाएँ

1. 26 भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों को भूमि पत्तनों में अपग्रेड करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, जैसे डालू, महेंद्रगंज, शेला बाजार, बोरसोरा, मनु, पुराना रघना बाजार, मुहुरीघाट, सिंगाबाद रेलवे स्टेशन, राधिकापुर रेलवे स्टेशन, चामुर्ची, बीरपारा, धुबरी स्टीमर। घाट, मानकाचर, गोलकगंज, रंगापानी, हतीसर, दरंगा, नामपोंग, जोखावथर, जोरिनपुई, बैरगनिया, भीमनगर, जयनगर, खुनवा, बरहनी और गौरीफंटा

2. पश्चिम बंगाल में 07 भूमि पत्तनों अर्थात् महदीपुर, घोजाडांगा, चांगराबांधा, हिली, फुलबारी, जयगांव और पानीटंकी के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण।

I. 2023–24 में व्यापार एवं यात्री गतिविधियाँ:

भूमि पत्तनों के माध्यम से 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 में आयात–निर्यात व्यापार एवं यात्री आवाजाही का ब्यौरा निम्नवर है :

टेबल 12: व्यापार एवं निर्यात आंकड़े

भूमि पत्तन	2021-22 (INR Cr.)			2022-23 (INR Cr.)			2023–24 (INR Cr.)		
	आयात	निर्यात	कुल	आयात	निर्यात	कुल	आयात	निर्यात	कुल
अगरतला	648.6	195.4	844.0	340.9	130.9	471.8	313.8	4.2	318.0
अट्टारी	2,977.4	25.0	3,002.4	2,212.1	45.5	2,257.6	3,887.5	-	3,887.5
डॉकी	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.0	126.0	134.0
डेरा बाबा नानक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जोगबनी	3,436.0	6,987.0	10,423.0	2,515.3	6,232.1	8,747.4	1,826.0	6,024.0	7,850.0
मोरेह	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पेट्रापोल	5,630.9	23,775.4	29,406.3	8,006.9	22,371.5	30,378.4	7,314.0	23,107.0	30,421.0
रक्सौल	NA	NA	33,227.4	31,825.0	2,056.9	33,881.9	1,790.0	26,073.0	27,863.0
श्रीमंतापुर	76.2	95.7	171.9	151.6	20.6	172.2	74.4	5.0	79.4
सुतारकंडी	389.5	108.6	498.1	208.8	201.8	410.6	219.6	133.4	352.9

*इस अवधि में रुपईडीहा और सबरूम के माध्यम से व्यापार नहीं हुआ

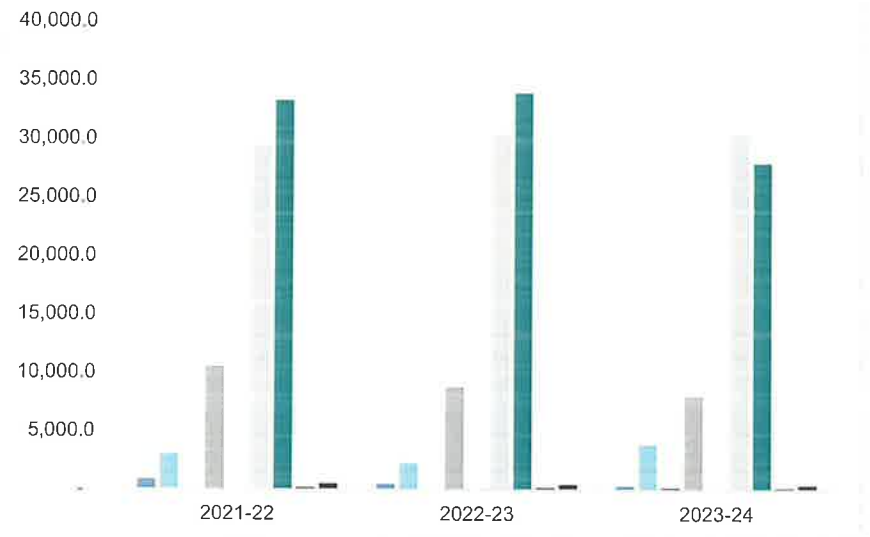
टेबल 13: यात्री आवाजाही आंकड़े

भूमि पत्तन	2021-22			2022-23			2023-24		
	आने वाले यात्री	जाने वाले यात्री	कुल	आने वाले यात्री	जाने वाले यात्री	कुल	आने वाले यात्री	जाने वाले यात्री	कुल
अगरतला	32,778.0	33,339.0	66,117.0	1,68,774.0	1,47,674.0	3,16,448.0	1,49,799.0	1,23,757.0	2,73,556.0
अट्टारी	7,210.0	8,981.0	16,191.0	37,605.0	30,142.0	67,747.0	38,707.0	32,856.0	71,563.0
डॉकी	NA	NA	NA	NA	NA	NA	45,726.0	42,999.0	88,725.0
डेरा बाबा नानक	-	31,869.0	31,869.0	-	91,383.0	91,383.0	-	99,578.0	99,578.0
जोगबनी	-	-	-	-	-	-	-	155.0	155.0
मोरेह	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पेट्रापोल	1,47,365.0	1,41,890.0	2,89,255.0	10,08,257.0	9,29,157.0	19,37,414.0	12,02,178.0	11,46,529.0	23,48,707.0
रक्सौल	-	-	-	-	-	-	-	-	-
श्रीमंतापुर	-	-	-	26,442.0	24,647.0	51,089.0	42,351.0	42,563.0	84,914.0
सुतारकंडी	832.0	958.0	1,790.0	7,667.0	7,432.0	15,099.0	7,827.0	7,897.0	15,724.0

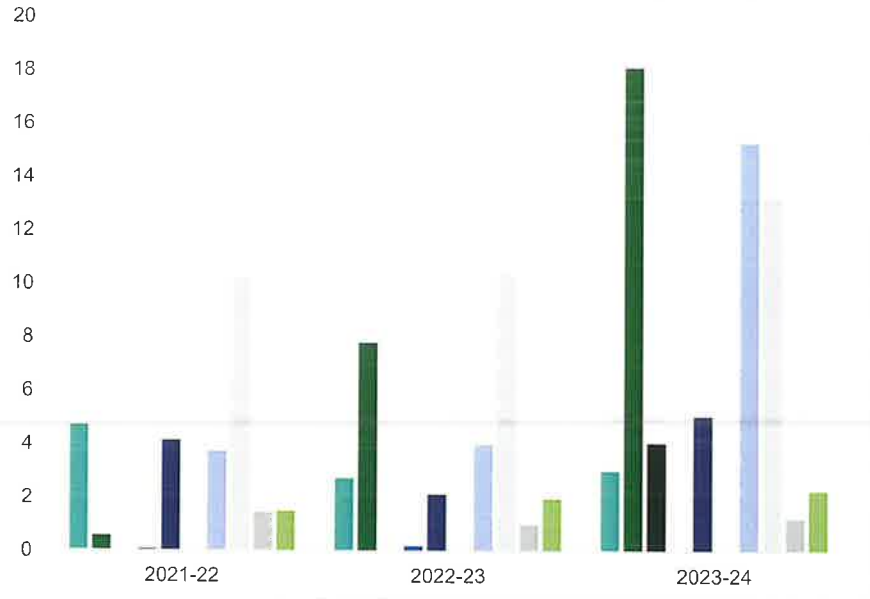
*इस अवधि में रुपईडीहा और सबरूम के माध्यम से यात्री आवाजाही नहीं हुई (नेपाल बॉर्डर पर स्थित भूमि पत्तनों से तीसरे देश के नागरिक ही आवागमन करते हैं)

II. मुख्य आंकड़े एवं ग्राफ

पिछले दो वित्तीय वर्षों 2022–23 और 2023–24 में भूमि पत्तनों के माध्यम से व्यापार की तुलनात्मक तस्वीर का चित्रण। आंतरिक उपार्जन



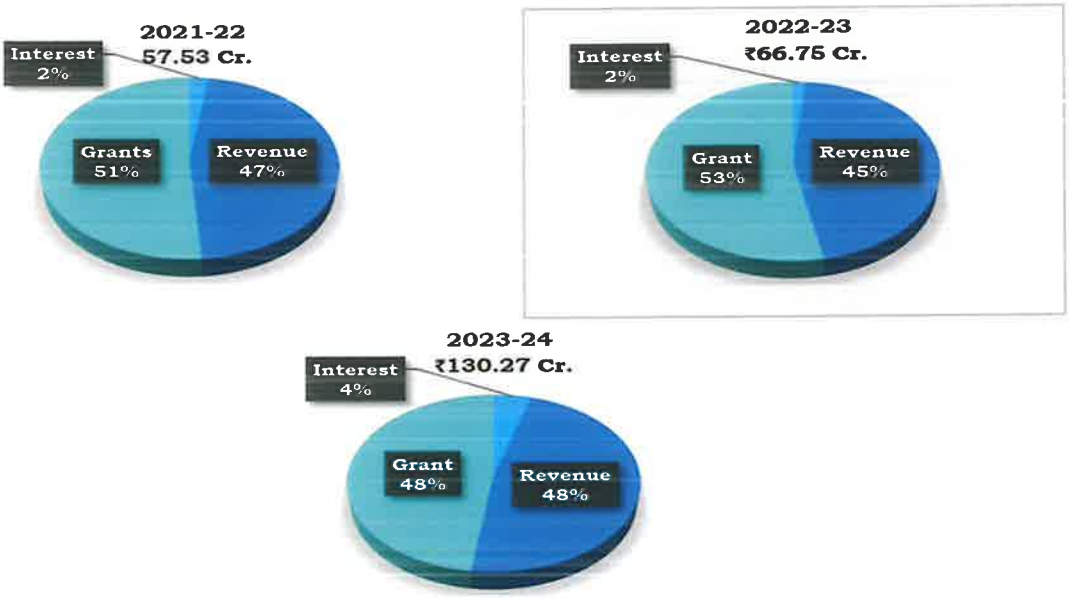
वित्तीय वर्ष 2022–23 और 2023–24 के दौरान संचालित भूमि पत्तनों से प्राप्त राजस्व नीचे दिए गए चार्ट के अनुसार है:



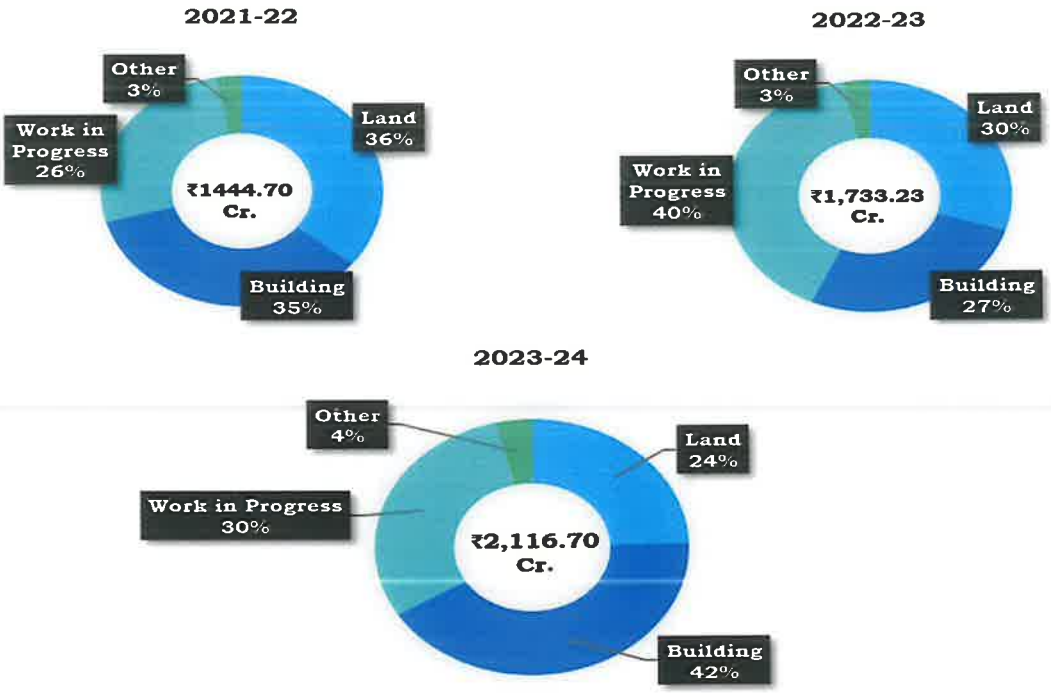
2023–24 के दौरान, पेट्रापोल भूमि पत्तन पर पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में अधिकतम राजस्व और अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है।

भूमि पत्तनों पर राजस्व प्राप्ति और व्यय चित्र के माध्यम से नीचे दिए गए चार्ट में दिखाया गया है।

चित्र : 6 राजस्व प्राप्ति का ब्यौरा



चित्रः 7 अचल संपत्तियां



वित्तीय वर्ष 2024–25 की वार्षिक योजना

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण असम राज्य में तीन नए सीमा व्यापार केन्द्रों नामत मनकाचर, गोलकगंज और दरांगा (दो भारत–बांग्लादेश सीमा पर और एक भारत–भूटान सीमा पर स्थित क्रमशः) को भूमि पत्तनों में परिवर्तित कर संचालित करने की प्रक्रिया में है। इसके अतिरिक्त संबंधित अनुभागों की नियोजित गतिविधियों में से कुछ निम्नलिखित हैं :

1. भूमि पत्तन डेरा बाबा नानक, रुपईडीहा और डॉकी में सौर ऊर्जा उत्पादनध्छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए व्यवहार्यता।
2. भूमि पत्तन सुनौली, सुतरकंडी और भिटामोर का विकास
3. पश्चिम बंगाल में 07 स्वीकृत भूमि पत्तनों के लिए भूमि अधिग्रहण।
4. गृह मंत्रालय द्वारा सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित प्रथम चरण के भाग के रूप में 26 भूमि सीमाशुल्क स्टेशनों को भूमि पत्तनों में उन्नयित करने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना।
5. अगरतला, रक्सौल, पेट्रापोल, डॉकी और मोरेह में सीमा रक्षा बलों और हितधारकों हेतु आवास–निर्माण करना।
6. भूमि पत्तनों के विकास के लिए मानक मानदंडों को तैयार करना।
7. मशीनीकरण, बुनियादी ढांचे में वृद्धि और डिजिटलीकरण जैसे अहम पहलुओं पर ध्यान देने के साथ–साथ विभिन्न भूमि पत्तनों पर मूलभूत सुविधाओं का विस्तार जारी है। इसमें कन्वेयर बेल्ट की स्थापना, फायर स्टेशनों, डॉर्मिटरी और बफर पार्किंग क्षेत्रों का निर्माण, साथ ही ट्रक ड्राइवरों के लिए शौचालय सुविधाओं का प्रावधान शामिल है।

राष्ट्रीय टीएफए और बहुराष्ट्रीय पहल के साथ संलग्न

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण द्वारा की गई पहल

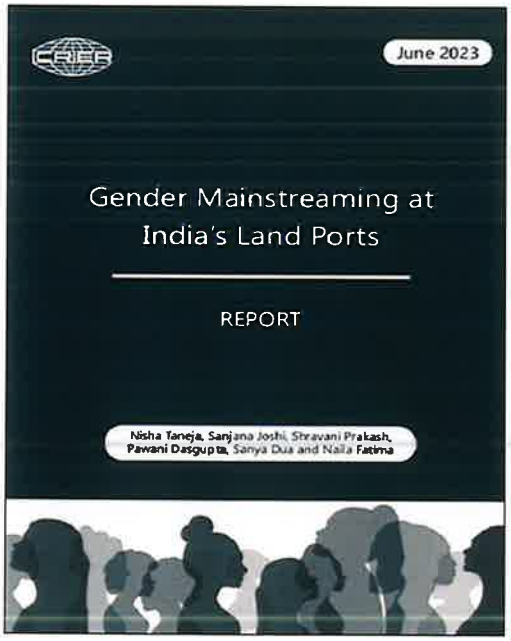
अध्याय 04

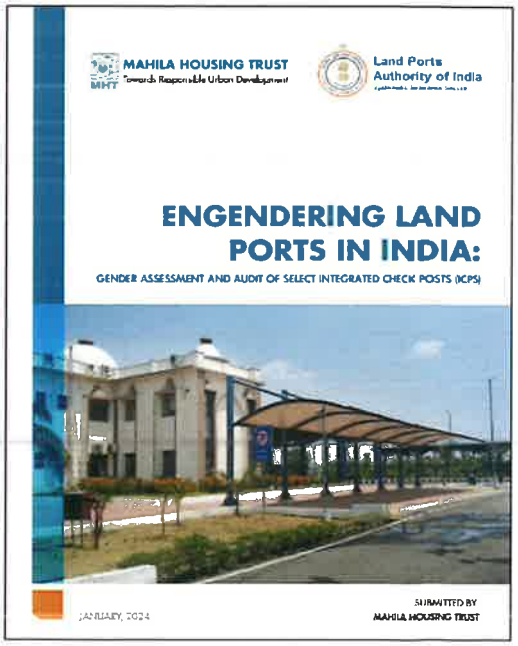
I. भारत के भूमि पत्तनों पर लिंग मुख्यधारा को आगे बढ़ाना

पारंपरिक रूप से पुरुष–केंद्रित व्यापार और रसद उद्योग को पहचानते हुए, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण ने निर्यातकों, आयातकों, सीमा शुल्क अधिकारियों, भूमि पत्तन प्रशासकों और सहायक कर्मियों जैसी भूमिकाओं सहित मूल्य श्रृंखला में लिंग मुख्यधारा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना (2020–2023) के एक्शन पॉइंट 27 के अनुपालन में, प्राधिकरण नें क्लरु5 के अनुसार, लैंगिक समानता का समर्थन करने वाले लिंग–अनुकूल कार्यस्थल बनाने के लिए संस्थागत सुधारों, क्षमता–निर्माण कार्यक्रमों और बुनियादी ढांचे में वृद्धि करने को महत्व दिया है।

भूमि पत्तनों पर लिंग–संवेदी उपायों का आकलन करने हेतु एक ऑडिट टूलकिट के विकास का समर्थन करने वाले अनुसंधान अध्ययन

प्राधिकरण ने जून 2023 में ICRIER द्वारा जारी ''जेंडर मेनस्ट्रीमिंग एट इंडियाज लैंड पोर्ट्स'' और जनवरी 2024 में महिला हाउसिंग ट्रस्ट (MHT) द्वारा जारी ''एनजेंडरिंग लैंड पोर्ट्स इन इंडिया: जेंडर असेसमेंट एंड ऑडिट ऑफ सेलेक्टेड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (ICP)'' जैसे शोध अध्ययनों का समर्थन किया। अध्ययन के हिस्से के रूप में, महिला हाउसिंग ट्रस्ट ने भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के लिए एक जेंडर टूलकिट विकसित किया है। यह टूलकिट भारत के भूमि पत्तनों पर लिंग–समावेशी सीमा पार व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। इन अध्ययनों के माध्यम से अवसंरचनात्मक और संस्थागत सुधारों दोनों की आवश्यकताओं के समझते हुए भूमि पत्तन पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर अंतराल की पहचान की जानी संभव हो सकी है।



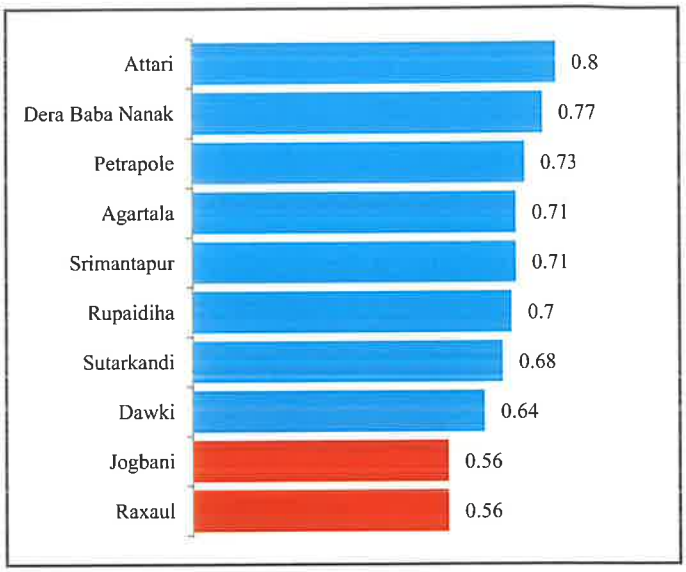


सभी भू–पत्तनों पर जेंडर को मुख्य धारा में लाने के लिए लघु, मध्यम और दीर्घावधि क कार्रवाई योग्य योजनाएं तैयार की गई हैं ५ इनमें जेंडर टूलकिट का विकास, जेंडर मुख्य धारा के उपायों के आधार पर भू–पत्तनों की रैंकिंग, लिंग–संवेदी कार्य योजना का कार्यान्वयन, आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) का गठन, भू–पत्तनों के

लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं तैयार करना और अन्य सरकारी और बहुपक्षीय संगठनों के साथ सहयोग करना शामिल है ताकि दोनों पक्षों का समान उद्धार हो सके। इन प्रयासों के माध्यम से, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरणका उद्देश्य एक समावेशी और सहायक पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए व्यापार और रसद में महिलाओं के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करना है।

भूमि पत्तनों के आकलन और रैंकिंग के लिए लिंग टूलकिट का विकास

भूमि पत्तनों पर लिंग समावेशिता के वर्तमान स्तर का मूल्यांकन करने के लिए भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण ने महिला हाउसिंग ट्रस्ट द्वारा तैयार टूलकिट पर आधारित एक संवर्धित लिंग टूलकिट विकसित किया है। इस टूलकिट को व्यापार और परिवहन क्षेत्रों में महिलाओं की विशिष्ट चुनौतियों और जरूरतों को समझने के लिए व्यापक अनुसंधान और डेटा संग्रह को नियोजित करके तैयार किया गया है। टूलकिट में चार आयामों– संस्थागत मुख्यधारा, सुलभ बुनियादी ढांचे, हितधारक सर्विसिंग और बाहरी वातावरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक उद्देश्य स्कोरिंग इंडेक्स (Objective Scoring Index) का उपयोग किया गया है ताकि सभी भूमि पत्तनों को 0 से 1 के पैमाने पर रैंक किया जा सके। भूमि पत्तन अटारी ने 0.8 अंक के साथ सबसे अधिक स्कोर किया, इसके बाद डेरा बाबा नानक 0.77 पर और पेट्रापोल 0.73 पर रहा। अगरतला और श्रीमंतपुर दोनों ने 0.71 का स्कोर किया, जबकि रुपईडीहा ने 0.7 का स्कोर किया। सुतरकंडी और डॉकी ने क्रमशः 0.68 और 0.64 अंक हासिल किए। जोगबनी और रक्सौल ने 0.56 अंक पाए, जिसमें उन क्षेत्रों को उजागर किया गया जहां लिंग मुख्यधारा में महत्वपूर्ण सुधारों की आवश्यकता है।



भूमि पत्तनों के लिए लिंग–संवेदी कार्य योजना की रूपरेखा

प्राधिकरण ने रक्षा, सुरक्षा और समावेशिता पर ध्यान केंद्रित करते हुए 30 अप्रैल, 2027 तक भूमि पत्तनों में लिंग मुख्यधारा को एकीकृत करने के लिए एक लिंग–संवेदी कार्य योजना विकसित की है। अवसंरचनात्मक सुविधाओं, कार्गो और यात्री आवागमन तथा प्रत्येक भूमि पत्तन के आस–पास के पारि–तंत्र के आधार पर एक चरण–वार कार्यान्वयन योजना तैयार की गई है। अप्रैल, 2024 और मार्च, 2025 के बीच कार्यान्वयन के लिए निर्धारित कार्य योजना को चार चरणों में संरचित किया गया है ु प्रथम चरण तीन महीने के भीतर प्राप्त होने वाले अल्पकालिक उपायों पर केंद्रित है, दूसरा चरण चार से आठ महीने के भीतर लागू करने योग्य मध्यम अवधि के उपायों को लक्षित करता है, जबकि तीसरा और चौथा चरण क्रमशः 8–12 महीने और 12 महीने से अधिक की आवश्यकता वाले दीर्घकालिक उपायों की रूपरेखा तैयार करते हैं। यह सात प्रमुख संकेतकों को लक्षित करता है: महिलाओं और बच्चों के अनुकूल आवश्यकताएँ, लिंग के अनुकूल कार्यस्थल, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, सार्वजनिक सुविधाएं, कल्याण सुविधाएं, सुरक्षा उपाय





और कर्मचारी क्षमता निर्माण। चरण–वार दृष्टिकोण प्रत्येक भूमि पत्तन पर समग्र पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए अनुकूलित व्यवधान सुनिश्चित करता है।

भूमि पत्तनों पर आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निव्वरण, प्रतिषेध और परितोष) अधिनियम, 2013 (POSH Act, 2013) के प्रावधानों के अनुरूप, प्राधिकरण ने अटारी, डॉकी और रक्सौल भूमि पत्तनों में ICC का गठन किया है। भूमि पत्तन अगरतला, डेरा बाबा नानक, जोगबनी, पेट्रापोल, रुपईडीहा, सुतरकंडी और श्रीमंतपुर से आंतरिक शिकायत समितियों (ICC) की स्थापना के लिए नामांकन प्रस्तुत किए गए हैं। सम्बंधित समितियां यौन उत्पीड़न की शिकायतों को संबोधित करेंगी, जागरूकता को बढ़ावा देंगी और विधि प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करेंगी, POSH अधिनियम, 2013 के अनुपालन को मजबूत करेंगी।

भूमि पत्तनों पर समावेशिता को बढ़ावा देने हेतु क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम

भूमि पत्तनों पर समावेशिता और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के दृष्टिकोण की आधारशिला हैं। प्राधिकरण ने दिसंबर 2023 में प्व्प्म्त के साथ "जेंडर मेनस्ट्रीमिंग एट इंडियाज लैंड पोर्ट्स" कार्यशाला की मेजबानी की थीप् इसका उद्देश्य भूमि पत्तनों पर संचालन प्रक्रियाओं और व्यवहारों में लिंग संबंधी विचारों को एकीकृत करने के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

साथ ही जनवरी, 2024 में सुरक्षित और समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने और भूमि पत्तनों पर व्यापक यौन उत्पीड़न नीतियों के विकास का समर्थन करने के लिए एक पॉश–केंद्रित "इक्विटी एंड रिस्पेक्ट" विषय पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया था।

इसके अतिरिक्त मार्च, 2024 में लैंड पोर्ट पेट्रापोल में एक लिंग संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें लिंग मुख्यधारा और इसके महत्व, कानूनी अधिकारों और रोकथाम तंत्र पर जोर देने के साथ च्ैभ् अधिनियम और लिंग संवेदीकरण के माध्यम से जागरूकता को बढ़ावा देने जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई। उक्त कार्यक्रमों के माध्यम से भूमि पत्तनों पर समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए स्थायी प्रणाली बनाने और सुधार उपायों को लागू करने के लिए सम्बंधित प्रबंधकों से वर्तमान रणनीतियों की जानकारी भी प्राप्त की गई।

वर्ष 2024–25 के लिए अपनी लिंग–संवेदी कार्य योजना में, प्राधिकरण भारत के भूमि पत्तनों में समावेशी, न्यायसंगत और सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना की प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

क) **संस्थागत सुधारः** भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण का लक्ष्य अपने कार्यबल में कम–से–कम 30% महिलाओं का होना सुनिश्चित करना, बाह्यस्रोत कर्मचारियों के लिये भर्ती नीतियों को संशोधित करना, मातृत्व अवकाश (90 दिनों के लिये अवैतनिक) प्रदान करना, लैंगिक मुख्यधारा की मानक संचालन प्रक्रियाएँ (SOP) तैयार करना, कर्मचारियों को परिवहन सुविधाएँ प्रदान करना और लिंग–पृथक सूचना एकत्र करना है।

ख) **बुनियादी सुविधाओं को बढ़ानाः** प्रमुख पहलों में महिला सुरक्षा स्टाफ रूम, टॉयलेट और स्वच्छता सुविधाएं, स्तनपान कक्ष, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन, बेबी डायपर चेंजिंग टेबल, पैनिक बटन, महिला वॉशरूम, महिला हेल्प डेस्क, पिंक रूम और फार्मेसी और सुविधा स्टोर स्थापित करना शामिल हैं।

ग) **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमः** ये कार्यक्रम समावेशिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु लैंगिक संवेदीकरण, मानसिक स्वास्थ्य, मानव तस्करी विरोधी, शून्य–सहिष्णुता नीतियों, POSH अधिनियम पर प्रशिक्षण और कौशल विकास और सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

घ) **सफलता की कहानियां और सर्वोत्तम अभ्यासः** उल्लेखनीय प्रयासों में सुश्री अन्नपूर्णी राजकुमार को सम्मानित करना, ड्राइवर प्रशिक्षण और सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना और सफेदपोश भूमिकाओं में महिलाओं की भर्ती के लिए रणनीति तैयार करना शामिल हैं।



LPAI का शोध–संचालित दृष्टिकोण प्रणालीगत अंतराल को संबोधित करता है, लिंग मुख्यधारा को बढ़ावा देता है और व्यापार और रसद में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। यह व्यापक रणनीति भारत के भूमि पत्तनों पर स्थायी और लिंग–समावेशी वातावरण बनाने के लिए भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

II. भारत के भूमि पत्तनों पर स्थिरता को बढ़ावा देना

वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (क्ळ) के अनुरूप, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अपने भूमि पत्तनों में स्थायी प्रथाओं को लागू कर रहा है। भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण भूमि पत्तनों को पर्यावरणीय रूप से सशक्त और ऊर्जा–कुशल व्यापार केंद्रों में बदलने के लिए क्ळ 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता), 7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा), 11 (सतत शहर और समुदाय), और 13 (जलवायु कार्रवाई) द्वारा निर्देशित एक सतत भूमि पत्तन नीति विकसित करने की योजना बना रहा है।

कार्बन उत्सर्जन में प्रमुख कारणों के समाधान हेतु प्रयास आरम्भ हो चुके हैं, जिनमें वाहनों से निकलने वाले धुएं और धूल से वायु प्रदूषण, ग्रिड बिजली पर निर्भरता और पानी, अपशिष्ट और मृदा प्रबंधन में चुनौतियाँ शामिल हैं। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (स्च्डै) की शुरूआत जैसे उपाय उत्सर्जन के प्राथमिक योगदानकर्ताओं को संबोधित करेंगे जैसे सीमा पार से ट्रकों के लंबे समय तक प्रतीक्षा समय को कम करना, धूल दमन प्रणाली लागू करना और हरित भूनिर्माण। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के साथ वर्षा जल संचयन, पुनर्चक्रण और उन्नत गुणवत्ता निगरानी प्रणालियों के माध्यम से जल संरक्षण इन प्रयासों के केंद्र में हैं।

9–10 सितंबर, 2023 को ळ20 शिखर सम्मेलन के दौरान, विश्व के नेताओं ने हरित विकास, ऊर्जा संक्रमण और सुरक्षा के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए दिल्ली घोषणा (क्मसीप क्मबसंतंजपवद) जारी की। ळ20 ने वैश्विक



अक्षय ऊर्जा क्षमता का विस्तार करने और 2030 तक एक व्यापक रणनीति के तहत इसे तीन गुणा करने का वचन दिया जिसका लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर रखने का प्रयास होगा I इन वैश्विक उद्देश्यों के अनुरूप, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अपने भूमि पत्तनों की स्थिरता को सक्रिय रूप से बढ़ा रहा है। इन पहलों के अनुपालन में सौर रूफटॉप सिस्टम को अपनाने के साथ–साथ डेरा बाबा नानक, डॉकी और रुपईडीहा जैसे प्रमुख पत्तनों पर सौर संयंत्र स्थापित किए गए हैं I इन प्रतिष्ठानों को अगरतला, पेट्रापोल, जोगबनी, रक्सौल, सुतरकंडी और सबरूम तक विस्तारित करने की योजना भी तैयार की जा रही है। इसके अतिरिक्त, रक्सौल, जोगबनी, पेट्रापोल, अगरतला और अटारी में सौर ऊर्जा से चलने वाली प्रकाश व्यवस्था को सफलतापूर्वक सुनिश्चित किया गया है और अब सुतरकंडी और श्रीमंतपुर में इसी तरह की प्रणालियों को लागू करने की योजना है। यह सभी भूमि पत्तनों में ऊर्जा स्वतंत्रता और कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अपशिष्ट प्रबंधन (Waste Management) पहलों में सभी भूमि पत्तनों पर पृथक्करण डिब्बे, अपशिष्ट में कमी और रीसाइक्लिंग में कर्मचारियों का प्रशिक्षण, और एकल–उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रस्तावित प्रतिबंध शामिल हैं। संयुक्त अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्थानीय व्यवसायों के साथ सहयोग पर भी विचार किया जा रहा है। भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अपने सभी परिचालन और आगामी भूमि पत्तनों पर गृहा (Green Rating for Integrated Habitat Assesment) दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है जो हरित वास्तुशिल्प प्रथाओं पर आधारित होने के साथ निर्माण और संचालन के दौरान प्राकृतिक संसाधनों के न्यूनतम उपयोग पर केंद्रित है।

भारत के जलवायु लक्ष्यों के अनुपालन हेतु भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों के साथ साझेदारी के माध्यम से नवाचार को चला रहा है और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा दे रहा है। हरित भविष्य में योगदान देने हेतु उक्त पहल भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण को स्थायी लॉजिस्टिक्स में अग्रणी के रूप में स्थापित करेगी जिससे भारत के भूमि पत्तनों की दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

III. अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और विकास पहलों में भागीदारी

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और विकास को मजबूत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ कई पहलों में सक्रिय रूप से शामिल है।

प्राधिकरण विश्व बैंक के एक्सेस प्रोग्राम में एक प्रमुख प्रतिभागी है I इस योजना का लक्ष्य दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय व्यापार में पुरानी व्यापार प्रक्रियाएं और अपर्याप्त बुनियादी ढांचा जैसी बाधाओं को दूर करना है। प्राधिकरण क्षेत्रीय नियामकों के साथ विश्व बैंक के ज्ञान विनिमय कार्यक्रमों में भी प्रतिभाग करता है और डिजिटल और भौतिक व्यापार अवसंरचना को उन्नत कर भारत के लोजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (LPI) रैंकिंग में सुधार करने पर बल देता है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण भारत की LPI स्थिति को प्रभावित करने के लिये क्च्प्ज् और विश्व बैंक का सहयोगी है I बदलती व्यापार आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राधिकरण B & Ready कार्यक्रम जैसी पहलों में भी योगदान देता है जिससे सीमा अवसंरचना तत्परता को बढ़ावा मिलता है।

प्राधिकरण रणनीतिक अंतर्दृष्टि और सूचना के माध्यम से SASEC आर्थिक गलियारों को विकसित करने में एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के प्रयासों का सक्रिय रूप से समर्थन करता है I यह दक्षिण पूर्व एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। प्राधिकरण ज्ञान विनिमय और अंतर्दृष्टि के माध्यम से, SASEC विजन प्लान 2024–26 और विजन 2035 में भी योगदान देता है, जिसका लक्ष्य सतत और समावेशी विकास है।

बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल (BBIN) व्यापार गलियारे के भीतर कनेक्टिविटी में सुधार के JICA के प्रयासों में प्राधिकरण ने बहुमूल्य जानकारी प्रदान करके और बुनियादी ढांचे के अंतराल की पहचान करके जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) की सहायता की है। इन देशों के बीच व्यापार मार्गों की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने में यह सहायता श्रप्ब। के अध्ययनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

ऑडिट रिपोर्ट

I. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण के खातों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit, (Central Expenditure)
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110 002
Indraprastha Estate, New Delhi-110002

सत्यमेव जयते

ए.एम.जी–II/एस.ए.आर/एल.पी.ए.आई /8-2/2024-25 दिनाँक: .10.2024

3454411

सेवा में,

25 OCT 2024 21 OCT 2024

3454411

सचिव, भारत सरकार,
गृह मंत्रालय,
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001

विषय: वर्ष 2023-24 के लिए, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

महोदय,

मैं, **भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली** के वर्ष 2023-24 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न कर रही हूँ|

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए |

कृपया यह सुनिश्चित किया जाये की 2023-24 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों |

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आप के निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है | पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer)अंकित करें|

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है| यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखि प्रतिवेदन मान्य होगा|"

भवदीया,

संलग्नक: यथोपरि

—SD—
निदेशक (ए.एम.जी–II)

Ph. : +91-11-23454100
Fax : +91-11-23702271
DGACR Building, I.P. Estate, New Delhi - 110002
E-mail : dgace@cag.gov.in

21 OCT 2024

ए.एम.जी–II/एस.ए.आर/एल.पी.ए.आई /8-2/2024-25/५११ दिनाँक: 17.10.2024

प्रति, प्रमाणित वार्षिक लेखे कि प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित, सहित, श्रीमती रेखा राईकर कुमार, सदस्य (वित), भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, प्रथम तल लोकनायक भवन,खान मार्केट नई दिल्ली-110511 को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है | वार्षिक लेखाओं की हिंदी प्रति की एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भेजी जाए |

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब ये संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए |

संलग्नक:यथोपरि

सौम्या
निदेशक (ए.एम.जी–II)

Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of Land Port Authority of India (LPAI), New Delhi for the year ended 31st March, 2024.

We have audited the attached Balance Sheet of Land Port Authority of India (LPAI), New Delhi, for the year ended 31st March 2024, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 25(2) of Land Ports Authority of India Act 2010 (31 of 2010). These financial statements are the responsibility of LPAI Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity), and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted the audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material mis-statements. An audit includes examining, on a test basis, evidences and supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit except comment B.4.

ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance.

iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by LPAI as required under Section 25(1) of Land Port Authority of India Act, 2010.

iv) We further report that,

A Balance Sheet

A.1 Liabilities

A.1.1 Reserve & Surplus (Sch-2) – Rs. 2801.59 crore

A.1.1.1 LPAI has included the interest earned on Capital Grants amounting to Rs. 67.88 crore till 2023-24 under Reserve & Surplus instead of booking it as liability for remittance to the consolidated fund of India. This has resulted into overstatement of Reserve & Surplus and understatement of Current liabilities and Provisions by Rs. 67.88 crore.

B General

B.1 Prepayments under Current Assets, Loans, Advances, etc. includes an amount of Rs. 25.36 crore to M/s RITES for construction of ICPs. Though the work of ICPs was completed in January 2019 and the last project of ICP Dawki was withdrawn from M/s RITES during the year 2021-22, the advances of Rs. 25.36 crore are yet to be adjusted. LPAI should take necessary steps for adjustment of the same under intimation to audit.

B.2 Current Assets, Loans, Advances, etc. include an amount of Rs. 8.64 crore towards security deposit made for electricity connections. However, as per information provided to audit, security deposit for electricity connections amounted to Rs. of 4.46 crore as on 31.03.2024. This needs to be reconciled.

B.3 As per utilization certificate (UC) submitted to the Ministry, during the year, LPAI received capital grants of Rs. 470.00 crore for creation of capital assets and incurred expenditure amounting to Rs. 482.58 crore (excess expenditure being incurred from internal receipts). However, as per the Fixed Assets Schedule and Receipts & Payments Account of LPAI, it has incurred total expenditure on capital assets for the year amounted to Rs. 495.96 crore. This needs to be reconciled. Further, reasons for difference in the amount booked for capital expenditure in the accounts and UC have not been furnished to audit.

Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of Land Port Authority of India (LPAI), New Delhi for the year ended 31st March, 2024.

We have audited the attached Balance Sheet of Land Port Authority of India (LPAI), New Delhi, for the year ended 31st March 2024, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 25(2) of Land Ports Authority of India Act 2010 (31 of 2010). These financial statements are the responsibility of LPAI Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity), and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted the audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material mis-statements. An audit includes examining, on a test basis, evidences and supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit except comment B.4.

ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance.

iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by LPAI as required under Section 25(1) of Land Port Authority of India Act, 2010.

iv) We further report that,

A Balance Sheet

A.1 Liabilities

A.1.1 Reserve & Surplus (Sch-2) – Rs. 2801.59 crore

A.1.1.1 LPAI has included the interest earned on Capital Grants amounting to Rs. 67.88 crore till 2023-24 under Reserve & Surplus instead of booking it as liability for remittance to the consolidated fund of India. This has resulted into overstatement of Reserve & Surplus and understatement of Current liabilities and Provisions by Rs. 67.88 crore.

B General

B.1 Prepayments under Current Assets, Loans, Advances, etc. includes an amount of Rs. 25.36 crore to M/s RITES for construction of ICPs. Though the work of ICPs was completed in January 2019 and the last project of ICP Dawki was withdrawn from M/s RITES during the year 2021-22, the advances of Rs. 25.36 crore are yet to be adjusted. LPAI should take necessary steps for adjustment of the same under intimation to audit.

B.2 Current Assets, Loans, Advances, etc. include an amount of Rs. 8.64 crore towards security deposit made for electricity connections. However, as per information provided to audit, security deposit for electricity connections amounted to Rs. of 4.46 crore as on 31.03.2024. This needs to be reconciled.

B.3 As per utilization certificate (UC) submitted to the Ministry, during the year, LPAI received capital grants of Rs. 470.00 crore for creation of capital assets and incurred expenditure amounting to Rs. 482.58 crore (excess expenditure being incurred from internal receipts). However, as per the Fixed Assets Schedule and Receipts & Payments Account of LPAI, it has incurred total expenditure on capital assets for the year amounted to Rs. 495.96 crore. This needs to be reconciled. Further, reasons for difference in the amount booked for capital expenditure in the accounts and UC have not been furnished to audit.

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए एसएआर ऑडिट अवलोकन का अनुपालन

उत्तर क्र.सं.	कथन	उत्तर
ए ए 1 ए 1.1	**बैलेंस शीट देनदारियां** आरक्षित और अधिशेष– ₹2801.59 करोड़ (अनुसूची–2) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण ने 2023–24 तक 67.88 करोड़ रुपये के पूंजीगत अनुदान पर अर्जित ब्याज को भारत के समेकित निधि में प्रेषण के लिए देयता के रूप में बुक करने के बजाय रिजर्व एंड सरप्लस के तहत जमा किया है। इसके परिणामस्वरूप आरक्षित और अधिशेष का अधिक विवरण और चालू देनदारियों और प्रावधानों के विवरण के तहत ₹ 67.88 करोड़ का बढ़ा चढ़ाकर विवरण दिया गया है।	ब्याज राशि GFR के नियम 230 (8) के अनुसार भारत की समेकित निधि में प्रेषित की जाएगी। इसके बाद, राशि को वित्त वर्ष 2024–25 के लिए खातों के वार्षिक विवरण में वर्तमान देनदारियों और प्रावधान के अनुसूची संख्या 7 के तहत, लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए, दिखाया जाएगा।
जन्म। ख.1	**सामान्य** चालू परिसंपत्तियों, ऋणों, अग्रिमों आदि के अंतर्गत पूर्व भुगतानों में भूमि पत्तनों के निर्माण के लिए मैसर्स राइट्स को डी गई ₹ 25.36 करोड़ की राशि शामिल है। हालांकि पत्तनों का काम जनवरी 2019 में पूरा हो गया था और भूमि पत्तन डॉकी की अंतिम परियोजना को वर्ष 2021–22 के दौरान मैसर्स राइट्स से वापस ले लिया गया था, लेकिन 25.36 करोड़ रुपये के अग्रिमों को अभी भी समायोजित किया जाना बाकी है। भा.भू.प.प्रा. को लेखा परीक्षा की सूचना के तहत इसके समायोजन के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।	भा.भू.प.प्रा. (59.83 करोड़ रुपये) एवं IRCON (8.05 करोड़ रुपये) हेतु राइट्स द्वारा रखे गए बैंक खातों में 7 परियोजनाओं नामत मोरेह, पेट्रापोल, जोगबनी, रक्सौल, अगरतला, डॉकी, रुपईडीहा (चारदीवारी) से संबंधित पूंजीगत अनुदान से अर्जित ब्याज राशी 67.88 करोड़ रुपये है। इन खतों को बंद करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। GFR 230 (8) के अनुसार कुल ब्याज राइट्स द्वारा PAO, गृह मंत्रालय (भारत की समेकित निधि) में स्थानांतरित किया जाएगा। शेष 1.46 करोड़ रुपये की राशि, लेखा परीक्षा को सूचना देते हुए, मैसर्स राइट्स द्वारा प्राधिकरण को हस्तांतरित की जाएगी।

उत्तर क्र.सं.	कथन	उत्तर
ख.2	वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋण, अग्रिम आदि में बिजली कनेक्शन के लिए किए गए सुरक्षा जमा राशि के रूप में ₹ 8.64 करोड़ की राशि शामिल है। हालांकि, लेखापरीक्षा को प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, बिजली कनेक्शन के लिए सुरक्षा जमा राशि 31.03.2024 को 4.46 करोड़ रुपये थी। इसमें स्पष्टता की आवश्यकता है।	भूमि पत्तन डॉकी में भ्ज लाइन को बिछाने के काम के लिए 4.18 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी, जिसे अचल संपत्तियों में शामिल करने की आवश्यकता है। तदनुसार, अचल संपत्ति शीर्ष के तहत ₹ 4.18 करोड़ (₹ 8.64 करोड़ – ₹ 4.46 करोड़) की राशि स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। इसे, लेखा परीक्षा को सूचित करते हुए, वित्त वर्ष 2024–25 के वार्षिक खातों में ठीक कर दिया जाएगा।
ख.3	मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए उपयोग प्रमाण–पत्र (न्जपसपेंजपवद ब्मतजपपिबंजम) के अनुसार, वर्ष के दौरान, भा.भू.प.प्रा. ने पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए 470.00 करोड़ रुपए का पूंजीगत अनुदान प्राप्त किया और 482.58 करोड़ रुपए (आंतरिक प्राप्तियों से किया जा रहा अतिरिक्त व्यय) की राशि का व्यय किया। हालांकि, भा.भू.प.प्रा. की स्थायी संपत्ति अनुसूची और प्राप्तियां और भुगतान खाते के अनुसार, वर्ष के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों पर कुल व्यय ₹ 495.96 करोड़ था, इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, खातों और उपयोग प्रमाणपत्रों में पूंजीगत व्यय के लिए बुक की गई राशि में अंतर के कारणों को लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।	राशि में अंतर का कारण है कि भा.भू.प. प्रा. रसीद शीर्ष से भी व्यय कर रहा है। उसका विवरण इस प्रकार है: वित्त वर्ष 2023–24 के लिए खातों के वार्षिक विवरण के अनुसार निर्माणाधीन भूमि पत्तन हेतु व्यावसायिक व्यय पूंजी – ₹ 6.70 करोड़ बिजली बोर्ड में सुरक्षा जमा राशी – ₹6.51 करोड़ निर्माणाधीन भूमि पत्तनों पर यात्रा हेतु पूँजी – ₹0.20 करोड अचल संपत्ति – ₹469.17 करोड़ वित्त वर्ष 2023–24 के लिए खाता पुस्तकों के अनुसार वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान किए गए ₹ 495.96 करोड़ के अतिरिक्त व्यय का विवरण इस प्रकार है, इसका मिलान किया गया है और लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया था

<table>
<tr><th>उद्धार क्र.सं.</th><th>कथन</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>पूंजीगत अनुदान (अचल संपत्ति)</td><td>₹469.17 करोड़</td></tr>
<tr><td>ठेकेदार/पीएमसी को अग्रिम भुगतान (पूर्व भुगतान) (अचल संपत्ति</td><td>₹18.18 करोड़</td></tr>
<tr><td>सामान्य अनुदान (भा.भू.प.प्रा. मुख्यालय)</td><td>₹ 2.42 करोड़</td></tr>
<tr><td>राजस्व (वाहन अचल संपत्ति)</td><td>₹ 1.05 करोड</td></tr>
<tr><td>सामान्य अनुदान (कंप्यूटर और अन्य अचल संपत्ति)</td><td>₹ 5.14 करोड</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>ख.4</td><td>₹124.02 करोड़ की राशि अनुसूची–11 चालू संपत्ति ऋण और अग्रिम के तहत पूर्व भुगतान के रूप में दिखाई गई है।
ये पूर्व भुगतान आंकड़े कार्यों के लिए पीएमसी/ठेकेदारों को दिए गए</td><td>124.02 करोड़ रुपए का ब्यौरा, जैसा कि SAR लेखा परीक्षा अवलोकन में पाया गया है, पुनः संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>ख.5</td><td>वर्ष 2022–23 के खातों की लेखा परीक्षा के दौरान, भा.भू.प.प्रा. द्वारा उपलब्ध कराए गए लेखा पत्रों में यह देखा गया कि आईसीपी रक्सौल और डेरा बाबा नानक करतारपुर के संपत्ति रजिस्टर (2022–23) में 11.49 लाख रुपये और 31.80 लाख रुपये के परिवर्धन को क्रमशः ₹ 27.70 लाख और ₹ 2.64 करोड़ के रूप में दिखाया गया था, जिसमे सुधार की आवश्यकता है।</td><td>अंतर इस कारण से है कि भूमि और भवन का मूल्य संपत्ति रजिस्टर में शामिल नहीं है। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए खातों के वार्षिक विवरण के अनुसार निम्नलिखित लेखा शीर्ष में ₹ 482.58 करोड़ खर्च किए गए:
<table>
<tr><th>भूमि पत्तन</th><th>परिसंपत्ति रजिस्टर</th><th>खाते</th></tr>
<tr><td>रक्सौल</td><td>₹11.49 लाख रुपये</td><td>₹27.70 लाख रुपये</td></tr>
<tr><td>डेरा बाबा नानक, करतारपुर</td><td>₹31.80 लाख रुपये</td><td>₹2.64 करोड़ रुपये</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

उत्तर क्र.सं.	कथन	उत्तर
		उक्त राशियों को संपत्ति रजिस्टरों में अंकित किया जाएगा और लेखा परीक्षा को सूचना देते हुए वित्त वर्ष 2024–25 के वार्षिक लेखा विवरण के दौरान परिलक्षित किया जाएगा।

Annexure

1. Adequacy of Internal Audit System

LPAI do not have any Internal Audit Department and the Internal Audit of LPAI was conducted till 2018-19 by Pr. PAO of the Ministry of Home Affairs and till 2021-22 by CA.

2. Adequacy of Internal Control System

There are 28 MIP against 59 sanctioned strengths in LPAI including ICPs. Moreover, LPAI hired 919 staff through outsourcing and posted at LPAI Hqrs. and ICPs. Due to substantial vacancies of regular staff, important tasks are being performed through contractual staff which depicts weak internal control system in LPAI.

3. System of Physical Verification of Assets

(i) Physical verification of Fixed Assets has been conducted for the year 2023-24. Physical Verification report was not provided to audit.

(ii) Copies of physical verification reports of Fixed Assets last conducted were also not provided to audit.

4. System of Physical Verification of Inventory

Physical verification of Inventory has been conducted for the year 2023-24. Physical Verification report was not provided to audit.

5. Regularity in payment of statutory dues

No payment over six months in respect of statutory dues was outstanding as on 31.03.2024.

सत्यमेव जयते

सौम्या परिहार
निदेशक(ए.एम.जी–II)

ए.एम.जी–II/एस.ए.आर/एल पी ए आई /8-2/2024-25/413

कार्यालय महानिदेशक
लेखापरीक्षा,(केन्द्रीय व्यय)
इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली - 110 002
Office of the Director General of Audit
(Central Expenditure)
Indraprastha Estate, New Delhi - 110 002
दिनाँक: 21.10.2024

प्रबंधन पत्र 21 OCT 2024

महोदया,

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-24 के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा कर ली गयी है और मेरे कार्यालय के पत्र संख्या ए.एम.जी–II/एस.ए.आर/एल पी ए आई /8-2/2024-25/५१० दिनाँक 17.10.24 के द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी कर दिया गया है। लेखापरीक्षा के दौरान कुछ अनियमितताएँ एवं कमियाँ ध्यान में आई है जिन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया है। इन कमियों को संलग्न अनुबन्ध में दर्शाया गया है।

अतः इस पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मेरा अनुरोध है कि इन अनियमितताओं एवं कमियों पर उचित सुधारात्मक कार्यवाही की जाये।

सादर,

भवदीया,

संलग्नक: यथोपरि।

सौम्या

निदेशक (ए.एम.जी-II)

श्रीमती रेखा राईकर कुमार,
सदस्य (वित),
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण,
प्रथम तल लोकनायक भवन,
खान मार्केट
नई दिल्ली-110511

Telephone : 91-11-23454100, Fax : 91-11-23702271, E-mail : dgace@cag.gov.in

Annexure to Management Letter

1. An amount of Rs. 19.56 lakh has been worked out by LPAI after adjustment, against the claims of M/s RITES for Rs. 10.41 crore for outstanding bills towards consultancy fees. However, the same has not been shown under Current Liabilities by LPAI. This resulted in understatement of Current Liabilities & Provisions and overstatement of Corpus/Capital Fund by Rs. 19.56 lakh. This was also pointed out last year, but no remedial action has been taken by LPAI.
2. During the year 2022-23, LPAI depicted an amount of Rs. 1.03 lakh as additions to LPAI HQ building. However, as LPAI HQ is operating on a rented building, the additions made in the Fixed Assets were incorrect and the same should have been depicted as Expenditure for the year. This resulted in overstatement of Fixed Assets and understatement of Expenditure by Rs. 1.03 lakh. This was also pointed out in previous year report, but remedial action is yet to be taken by LPAI.
3. Current Assets, Loans, Advances, etc includes sundry debtors amounting to Rs. 4.08 crore. However, as per the ledger provided, the sundry debtors amounted to Rs. 4.07 crore. This needs to be reconciled. Further, year-wise details of the sundry debtors was not provided to audit. This was also pointed out last year, but no action has been taken by LPAI.
4. An amount of Rs. 1.23 crore is shown as TDS/Others TDS under Schedule -11, Current Assets, Loans & Advances. This should have been shown as "TDS Receivable" instead of "TDS/Others TDS" in the accounts of LPAI as this was receivable by LPAI. The same may be rectified and LPAI should make efforts to get the refund of same at the earliest. This was also pointed out last year, but no action has been taken by LPAI.

प्रबंधन पत्र का अनुपालन

	लेखापरीक्षा अवलोकन	उत्तर
1.	परामर्शी शुल्क के रूप में बकाया बिलों के लिए 1956 लाख रुपए की राशि, परामर्श शुल्क के लिए बकाया बिलों के लिए मैसर्स राइट्स के दावों के लिए 10.41 करोड़ रुपएकी राशि, तथापि, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण द्वारा वर्तमान देयताओं के अंतर्गत इसे नहीं दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं और प्रावधानों को कम करके आंका गया और कॉरपसध्पूंजी निधि का 19.56 लाख रुपये का अधिक विवरण दिया गया। यह पिछले साल भी इंगित किया गया था, लेकिन भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण द्वारा कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	इस मुद्दे को राइट्स के साथ उठाया गया है और राइट्स को दिए गए अग्रिमों का निपटान और बैंक खातों को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है। अंतिम देय राशि का आंकलन किया जाएगा और ऑडिट को सूचना देते हुए वित्त वर्ष 2024–25 में इसे ध्यान में रखा जाएगा।
2.	वर्ष 2022–23 के दौरान, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण ने मुख्यालय भवन में 1.03 लाख रुपये की राशि को परिवर्धन के रूप में दर्शाया। हालांकि, चूंकि प्राधिकरण मुख्यालय किराए के भवन पर काम कर रहा है, इसलिए अचल संपत्तियों में किए गए परिवर्धन गलत थे और इसे वर्ष के व्यय के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप स्थाई परिसंपत्तियों का अधिक विवरण और व्यय का 1.03 लाख रुपए कम विवरण दिया गया। यह पिछले वर्ष की रिपोर्ट में भी इंगित किया गया था, लेकिन प्राधिकरण द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई की जानी बाकी है।	'स्थाई परिसंपत्तियों के अंतर्गत उल्लिखित 103 लाख रुपये की राशि को ऑडिट की सूचना के तहत अगले वित्त वर्ष 2024–25 के वार्षिक खातों में व्यय लेखा शीर्ष में समायोजित किया जाएगा।
3.	वर्तमान संपत्तियों, ऋण, अग्रिमों आदि में 4.08 करोड़ रुपये के विविध देनदार शामिल हैं। हालांकि, प्रदान किए गए खाता बही के अनुसार, विविध देनदारों की राशि 4.07 करोड़ रुपये है। इसमें स्पष्टता की आवश्यकता है। इसके अलावा, विविध देनदारों का वर्ष–वार ब्यौरा लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। यह पिछले साल भी इंगित किया गया था, लेकिन प्राधिकरण द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।	अनुसूची संख्या 11 के अनुसार, विविध देनदारों में दिखाई गई राशि 4.08 करोड़ रुपये है, जो लेखा बही में दिखाई गई राशि से मेल खाती है। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि कोई अंतर नहीं है।
4.	अनुसूची–11 चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों के तहत 1.23 करोड़ रुपये की राशि टीडीएस/अन्य टीडीएस के रूप में दिखाई गई है। इसे प्राधिकरण के खातों में ''टीडीएस/अन्य टीडीएस'' के बजाय ''टीडीएस प्राप्य'' के रूप में दिखाया जाना चाहिए था क्योंकि यह प्राधिकरण द्वारा प्राप्य था। इसे ठीक किया जा सकता है और एलपीएआई को जल्द से जल्द रिफंड प्राप्त करने के प्रयास करने चाहिए। यह पिछले साल भी इंगित किया गया था, लेकिन प्राधिकरण द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।	वित्त वर्ष 2024–25 लेखा शीर्ष में ऑडिट अवलोकन 'अन्य टीडीएस' और 'टीडीएस' को 'टीडीएस प्राप्य' में बदलने के लिए अनुपालन हेतु नोट किया गया है और इसे वित्त वर्ष 2024–25 के लिए अनुसूची–11 वार्षिक खाते में दर्शाया जाएगा। वित्त वर्ष 2022–23 और 2023–24 के लिए आयकर रिटर्न फाइल किया गया है। धनवापसी का दावा पेश कर दिया गया है और रिटर्न संसाधित होने के बाद जमा कर दिया जाएगा।

तुलन पत्र आय और व्यय खाते और अनुसूचियां तुलन पत्र 2023–24 का हिस्सा बनती हैं।

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली
31.03.2024 को तुलन पत्र
THE LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA, NEW DELHI
BALANCE SHEET AS AT 31.03.2024

(आंकड़े ₹ में)
(Figures in ₹)

कोष/पूंजी निधि एवं देयताएँ CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES	अनुसूची Schedule	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
1	2	3	4
कोष/पूंजी निधि एवं देयताएँ CORPUS/CAPITAL FUND	1	(4,73,82,53,540)	(4,01,85,11,400)
आरक्षण एवं अतिशेष RESERVES AND SURPLUS	2	28,01,59,18,771	22,98,65,05,864
चिन्हित/अक्षय निधियाँ EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	3	7,08,27,903	32,23,00,000
प्रत्याभूत ऋण एवं उधार राशियाँ SECURED LOANS AND BORROWINGS	4		
अप्रत्याभूत ऋण एवं उधार राशियाँ UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5		
आस्थगित ऋण देयताएँ DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6		
चालू देयताएँ एवं प्रावधान CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	46,29,40,911	46,41,99,894
कुल TOTAL		23,81,14,34,045	19,75,44,94,358
परिसम्पतियाँ ASSETS			
स्थाई परिसम्पतियाँ FIXED ASSESTS	8	21,16,69,57,459	17,33,22,78,770
निवेश–चिन्हित/अक्षय निधियों से INVESTMENTS-FROM EARMARKED/ अक्षय निधियाँ ENDOWMENT FUNDS	9		
निवेश–अन्य INVESTMENTS-OTHERS	10	25,50,00,000	
चालू परिसम्पतियाँ : ऋण, अग्रिम आदि CURRENT ASSETS; LOANS, ADVANCES ETC.	11	2,38,94,76,586	2,42,22,15,588
विविध व्यय MISCELLANEOUS EXPENDITURE (बट्टे खाते डालने अथवा समायोजित करने की सीमा तक नहीं) (to the extent not written off or adjusted)			
कुल TOTAL		23,81,14,34,045	19,75,44,94,358
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
आकस्मिक देयताएँ एवं लेखों पर टिप्पणियाँ CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

(रेखा रायकर कुमार)
सदस्य वित्त
(Rekha Raikar Kumar)
Member (Finance)

(आदित्य मिश्रा)
अध्यक्ष
(Aditya Mishra)
Chairman

दिनांक Dated: 26.06.24
स्थान Place: नई दिल्ली New Delhi

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

आदित्य मिश्रा / ADITYA MISHRA
अध्यक्ष / Chairman
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Govt. of India
लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली–110511/ Khan Market, New Delhi-110511

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली
31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा
THE LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA, NEW DELHI
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31.03.2024

(आंकड़े ₹ में)
(Figures in ₹)

आय (A) INCOME	अनुसूची Schedule	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
1	2	3	4
बिक्री/सेवा से आय Income from sales/Service	12	60,19,81,677	28,28,24,271
अनुदान/सब्सिडी Grants/Subsidies	13	62,12,32,471	35,25,00,000
शुल्क/अभिदान Fees/Subscriptions	14	1,95,18,422	1,73,65,127
निवेश से हुई आय (निधियों में हस्तांतरित करने से चिन्हित/अक्षय निधियों से निवेश पर आय) Income from Investments (Income on Investment From earmarked/endowment Funds transferred to funds)	15		
रॉयल्टी/प्रकाशन आदि से आय Income from Royalty,Publication etc.	16		
अर्जित ब्याज Interest Earned	17	3,96,48,076	1,30,90,601
अन्य Other Income	18	5,67,268	17,05,490
स्टॉक में तैयार माल एवं प्रगति पर कार्यों में वृद्धि (कमी) Increase/(decrease) in stock of Finished goods and works-in-progress	19		
कुल (क) TOTAL (A)		1,28,29,47,914	66,74,85,488
व्यय (ख) (B) EXPENDITURE			
स्थापना व्यय Establishment Expenses	20	29,73,14,061	25,97,62,404
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि Other Administrative Expenses etc.	21	58,06,07,110	33,00,13,110
अनुदानों पर व्यय, सब्सिडी आदि Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	-	-
ब्याज Interest	23	-	-
मूल्यह्रास (अनुसूची 8 के समकक्ष वर्ष के अंत में कुल) Prior Period Depreciation (Short Dep charged for previous years)		-	
Depreciation (Net Total at the year-end correponding to Schedule 8)	8	1,12,47,68,883	65,81,25,526
कुल (ख) TOTAL (B)		2,00,26,90,054	1,24,79,01,040
व्यय से अधिक आय का शेष Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		(71,97,42,140)	(58,04,15,552)
विनिर्दिष्ट करें) Transfer to Special Reserve (Specify each) Transfer to/ from General Reserve.			
शेषअधिशेष /(घाटा) जिसे कोष / पूंजी में अग्रेनीत BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND		(71,97,42,140)	(58,04,15,552)
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखों पर टिप्पणियाँ CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

(रेखा रायकर कुमार)
सदस्य वित्त
(Rekha Raikar Kumar)
Member (Finance)
दिनांक Dated: 26.06.24
स्थान Place: New Delhi
Dr. Rekha Raikar Kumar / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan

(आदित्य मिश्रा)
अध्यक्ष
(Aditya Mishra)
Chairman
आदित्य मिश्रा / ADITYA MISHRA
अध्यक्ष / Chairman
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Govt. of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली–110511/ Khan Market, New Delhi-110511

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली
31.03.2024 को तुलन पत्र के अंग के रूप में टिप्पणियाँ
THE LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA, NEW DELHI
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2024

(आंकड़े ₹ में)
(Figures in ₹)

अनुसूची – 1 SCHEDULE 1	इस वर्ष Current Year		गत वर्ष Previous Year	
कोष / पूंजी निधि CORPUS /CAPITAL FUND:				
वर्ष के प्रारम्भ में शेष Balance as at the beginning of the year	(4,01,85,11,400)		(3,43,80,95,849)	
जोड़ा: कोष; पूंजी निधियों में योगदान Add: Contributions towards Corpus Capital Funds				
घटाया: पूंजी निधियों से हस्तांतरित (Deduct): Transfer from capital funds				
जोड़ (घटाया): आय एवं व्यय लेखा से हस्तांतरित विल आय / (व्यय) का शेष Add/(Deduct): Balance of net income/ (expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account	(71,97,42,140)		(58,04,15,552)	
वर्ष के अंत में शेष		-		-
BALANCE AS AT THE YEAR END	(4,73,82,53,540)	-	(4,01,85,11,400)	-

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

(₹ आंकड़ो में)
(Figures in ₹)

अनुसूची – 2 SCHEDULE 2	इस वर्ष Current Year		भत वर्ष Previous Year	
आरक्षित एवं अधिशेष RESERVES AND SURPLUS:				
1. पूंजी आरक्षण Capital Reserve:				
पिछले लेखा के अनुसार As per last Account	22,98,65,05,864		19,76,52,20,555	
वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	4,70,00,00,000		3,22,12,85,309	
पूंजीगत अनुदान पर ब्याज Interest on Capital Grant	7,79,40,810			
चिन्हित/अक्षय निधियाँ Capitalized EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	25,14,72,097			
अंत शेष Closing Balance		28,01,59,18,771		22,98,65,05,864
सरकार को प्रेषण Remittance to the Government				
(2) पुनर्मूल्यांकन आरक्षित Revaluation Reserve:				
पिछले लेखा के अनुसार As per last Account				
वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year				
घटाया: वर्ष के दौरान कटौतियाँ Less: Deductions during the year				
(3) विशेष आरक्षित Special Reserve:				
पिछले लेखा के अनुसार As per last Account				
वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year				
घटाया: वर्ष के दौरान कटौतियाँ Less: Deductions during the year				
(4) सामान्य आरक्षित General Reserve :				
पिछले लेखा के अनुसार As per last Account				
वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year				
घटाया: वर्ष के दौरान कटौतियाँ Less: Deductions during the year				
कुल TOTAL		28,01,59,18,771		22,98,65,05,864

*Note : Opening Balance of Grant amounting to Rs.2298,65,05,864/- is included interest amount of Rs.60,08,85,714/-
प्रारम्भिक शेष रुपए 2298,65,05,864/- मे अनुदान पर अर्जित ब्याज की राशि रुपए 60,08,85,714/- भी सम्मिलित है।

Raikar

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली
31.03.2024 को तुलन पत्र के अंग के रूप में अनुसूचियाँ
THE LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA, NEW DELHI
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2024

(आंकड़े ₹ में)
(Figure in ₹)

अनुसूची – 3 SCHEDULE 3	निधि XX Fund XX	निधि YY Fund YY	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
चिन्हित/अक्षय निधियाँ EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS				
(क) निधियों का अथशेष Opening balance of the funds			32,23,00,000	34,21,90,101
(ख) निधियों में वृद्धि Additions to the Funds:				
(1) दान/अनुदान Donations/Grants (Ministry of Commerce)			-	-
(2) मैचिंग दान/अनुदान Matching Grant			-	-
(3) अन्य वृद्धि (विनिर्दिष्ट करें) Other addiotions (specify nature)			-	-
(क) ब्याज Interest			-	-
TOTAL (a+b) कुल (क + ख)	-		32,23,00,000	34,21,90,101
(ग) उपयोग निधियों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यय Utilisation/ Expenditure towards objectives of funds				
(1) पूंजि व्यय Capital Expenditure			(25,14,72,097)	
स्थायी परिसम्पत्ति Fixed assests				
अन्य Interest paid to Government of India				(1,98,90,101)
कुल Total:				
(2) राजस्व व्यय Revenue Expenditure				
वेतन, मज़दूरी एवं भत्ते आदि Salaries, Wages and Allowances etc.				
किराया Rent				
अन्य प्रशासनिक व्यय Other administrative Expenses				
कुल Total:				
Total (C) कुल (क)				
वर्ष के अंत में निवल शेष (क + ख + ग)				
NET BALANCE AS AT THE YEAR-END (a+b-c)			7,08,27,903	32,23,00,000

टिप्पणियाँ
(1) अनुदानों के साथ संलग्न शर्तों के आधार पर प्रकटन संबंधित शीर्षों के अन्तर्गत किए जाएगें।
(2) केन्द्र/राज्य सरकारों से प्राप्त योजनागत निधियों को अलग निधियों के रूप में दिखाया जाएगा तथा किसी

Notes-
(1.) Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants.
(2.) Plan Funds received from the Central/ State Governments are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other Funds.

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

(आंकड़े ₹ में)
(Figures in ₹)

अनुसूची – 4 SCHEDULE 4	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
प्रत्याभूत, ऋण एवं उधार राशियाँ SECURED LOANS AND BORROWINGS:		
1. केन्द्र सरकार Central Government		
2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें) State Government (Specify)		
3. वित्त संस्थाएँ Financial Institutions		
(क) सावधिक ऋण (a) Term Loans		
(ख) प्रोदभूत एवं देय ब्याज (b) Interest accrued and due		
4. बैंक Banks:		
सावधिक ऋण प्रोदभूत एवं देय ब्याज Term Loans Interest accrued and due		
अन्य (विनिर्दिष्ट करें) प्रोदभूत एवं देय ब्याज Other Loans (Specify) Interest accrued and due		
5. अन्य संस्थाएँ एवं एजेंसियाँ Other Institutions and Agencies		
6. डिबेंचर एवं बॉण्ड Debentures and Bonds		
7. अन्य (विनिर्दिष्ट करें) others (Specify)		
कुल TOTAL	शून्य NIL	शून्य NIL
टिप्पणी: एक वर्ष के अंदर देय राशियाँ Note: Amounts due within one year		

Raiky

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

(आंकड़े ₹ में)
(Figures in ₹)

अनुसूची – 5 SCHEDULE 5	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
प्रत्यभूत ऋण एवं उधार राशियाँ UNSECURED LOANS BORROWINGS		
1. केन्द्र सरकार Central Government		
2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें) State Government (Specify)		
3. वित्त संस्थाएँ Financial Institutions		
4. बैंक Banks		
(क) सावधिक ऋण Term Loans		
(ख) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) Other Loans (Specify)		
5. अन्य संस्थाएँ एवं एजेंसियाँ Other Institutions and Agencies		
6. डिबेंचर एवं बाण्ड Debenture and Bonds		
7. सावधि जमा Fixed Deposits		
8. अन्य (विनिर्दिष्ट करें) Others (Specify)		
कुल TOTAL	शून्य NIL	शून्य NIL
टिप्पणी: एक वर्ष के अंदर देय राशियाँ Note: Amount due within one year		

(आंकड़े ₹ में)
(Figures in ₹)

अनुसूची – 6 SCHEDULE 6	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
आस्थगित ऋण देयताएं DEFERRED CREDIT LIABILITIES		
पूंजी उपकरण तथा अन्य परिसंपत्तियों को बंधक रखने से प्राप्त स्वीकृतियां Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assests		
अन्य Other		
कुल TOTAL	शून्य NIL	शून्य NIL
टिप्पणी: एक वर्ष के अंदर देय राशियाँ Note: Amounts due within one year		

Raikar

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली -110003 / Khan Market, New Delhi-110003

(Figures in ₹)

अनुसूची – 7 SCHEDULE 7	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
चालू देयताएँ एवं प्रावधान CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS		
क. चालू देयताएँ CURRENT LIABILITIES		
1.स्वीकृतियाँ Acceptances		
2.सकल लेनदार Sundry Creditors	37,51,45,373	32,42,69,470
(क) वस्तुओं के लिए (a) For Goods		
(ख) अन्य (सेवाओं के लिए) (b) Others (For Services)		
3. पूंजी निधि देयताएँ Capital Grant Payble	71,68,799	71,98,442
4. प्रोद्भूत ब्याज लेकिन देय नहीं : Interest accrued but not due on:		
(क) प्रत्याभूत ऋण/उधार राशियाँ Secured Loans/borrowings		
(ख) अप्रत्याभूत ऋण/उधार राशियाँ Unsecured Loans/ borrowings		
5. सांविधिक देयताएँ Statutory Liabilities:		
(क) अतिशेष Overdue		
(ख) अन्य (जी.एस.टी. , जी.एस.टी.टी. डी.एस एवं टी.डी.एस.) Others (GST, GST TDS and TDS)	1,46,01,591	95,16,542
6. (क) अन्य चालू देयताएँ Other current Liabilities	350	1,722
(ख) सरकार को देय ब्याज Interest payable to Government	4,37,14,951	8,40,69,729
कुल (क) TOTAL (A)	44,06,31,064	42,50,55,906
ख. प्रावधान B. PROVISIONS		
1. कराधान के लिए For Taxation		
2. ग्रेच्यूटी Gratuity		
3. अधिवर्षिता/पेंशन Superannuation/ Pension		
4. संचित छुट्टी नकदीकरण Accumulated Leave Encashment		
5. व्यापार वारंटी/दावे Trade Warranties/ Claims		
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें) (a) Others (Specify) (Postage & Telephone, Electricity, Audit Fee H&T)		
(क) अन्य (डाक एवं टेलीफोन, बिजली, ऑडिट शुल्क एच एंड टी)	1,66,83,883	1,57,11,531
(b) Salary/ Wages Payable		
(ख) वेतन/मजदूरी देय	56,25,984	2,28,88,665
(c) Rent Payble		
(ग) किराया		5,43,792
कुल (क) TOTAL (B)	2,23,09,847	3,91,43,988
कुल (क + ख) TOTAL (A+B)	46,29,40,911	46,41,99,894

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

31.3.2024 को तुलन पत्र के अंग के रूप में अनुसूचियाँ

THE LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2024

(figure in ₹)

अनुसूची–8 SCHEDULE 8		सकल ब्लाक GROSS BLOCK				मूल्यक्षय DEPRECIATION				निवल ब्लाक NET BLOCK	
विवरण Description	मूल्यह्रास की दर Rate of Depreciation *	वर्ष के प्रारंभ में लागत/मूल्यांकन Cost/Valuation as at beginning of the year	वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	वर्ष के दौरान अटेशियां Addition/Deductions during the year	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन Cost/ Valuation the year end	वर्ष के प्रारंभ में As at the beginning of the year	वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	वर्ष के दौरान अटीतियां Addition/ Deductions during the year	वर्ष के अंत में कुल Total up to the year end	इस वर्ष Current year	गत वर्ष Previous Year
क. स्थाई परिसम्पत्ति Fixed Assets											
1. भूमि Land											
(अ) स्वामित्व Freehold		5,18,76,17,602			5,18,76,17,602				-	5,18,76,17,602	5,18,76,17,602
(ब) पट्टे पर Lease Hold											
2. भवन Building :											
(क) स्वामित्व वाली भूमि पर On Freehold Land	10.00%	8,21,46,73,502	1,42,48,11,482	3,65,90,25,038	13,29,75,10,020	3,55,55,43,566	89,55,87,356		4,45,11,30,922	8,84,63,79,098	4,65,91,29,936
(ख) पट्टे पर ली गई भूमि पर On Lease Hold Land											
(ग) मालिकाना फ्लैट/परिसर Ownership Flats/Premises											
(घ) संस्था से इतर भूमि पर अवसंरचना Superstructures on Land not belonging to the entity											
3 संयंत्र मशीनरी एवं उपस्कर Plant Machinery & Equipment	15.00%	14,41,43,028	83,59,521		15,05,02,549	7,37,48,197	1,14,28,312		8,51,74,509	6,53,28,040	7,03,95,831
4 वाहन Vehicles	40.00%	1,83,01,708	1,05,47,150		2,88,48,858	1,21,00,928	60,90,508		1,81,91,436	1,06,57,422	62,00,780
5. फर्नीचर, फिक्सचर Furniture, Fixture	10.00%	31,62,98,480	6,33,84,670	26,14,594	38,22,97,744	11,51,56,088	2,49,39,854		14,00,97,942	24,21,99,802	20,11,40,392
6. अन्य उपस्कर Office Equipment	40.00%	22,90,13,298	19,83,41,097	70,90,132	43,44,44,527	15,80,55,335	7,69,14,305		23,49,70,640	19,94,73,887	7,09,56,963
7. कम्प्यूटर/अन्य सहायक सामग्री/सी.सी.टी.वी. Computer/Peripherals/CCTV	40.00%	12,67,00,492	96,44,587	1,83,920	13,65,28,999	8,69,37,907	1,91,01,505		10,60,39,412	3,04,89,586	3,97,62,586
8 विद्युत संस्थापन Electric Installation	40.00%	42,86,54,891	13,13,39,179	3,31,48,784	59,31,42,854	38,32,23,312	7,04,29,095		45,36,52,407	13,94,90,447	4,54,31,579
9. पुस्तकें Library Books											
10. ई डी आई संस्थापना EDI Installation	40.00%	10,66,04,936			10,66,04,936	10,13,40,576	21,05,744		10,34,46,320	31,58,616	52,64,361
11. नलकूप एवं जल आपूर्ति Tubewells & W Supply	15.00%	3,77,67,996	1,20,200		3,78,88,196	3,70,84,056	1,20,621		3,72,04,677	6,83,519	6,83,940
12 संकेतक Signage	10.00%	3,68,24,975	1,96,46,227		5,64,71,202	1,55,81,840	35,37,359		1,91,19,198	3,73,52,004	2,12,43,135
13 राष्ट्रीय ध्वज National Flag	15.00%	3,76,84,786	1,00,40,272		4,77,25,060	1,75,53,147	41,27,134		2,16,80,281	2,60,44,779	2,01,31,641
14 सौर ऊर्जा संयंत्र Solar Power Plant	40.00%	6,78,73,454			6,78,73,454	4,19,05,726	1,03,87,091		5,22,92,817	1,55,80,637	2,59,67,728
15 फुल बॉडी ट्रक स्कैनर Full Body Truck Scanner	40.00%				-				-		
कुल Total		14,95,21,59,149	1,87,42,34,385	3,70,10,62,466	20,52,74,56,000	4,59,82,31,677	1,12,47,68,883		5,72,30,00,560	14,80,44,55,440	10,35,39,27,473
पूंजी कार्य प्रगति पर Capital Work-in Progress		6,97,83,51,297	3,08,53,25,188	(3,70,11,74,466)	6,36,25,02,019					6,36,25,02,019	6,97,83,51,297
		21,93,05,10,446	4,95,95,59,573		26,88,99,58,019	4,59,82,31,677	1,12,47,68,883		5,72,30,00,560	21,16,69,57,459	17,33,22,78,770
पट्टे पर भूमि Previous Year		18,38,70,86,785	3,54,34,43,681		21,93,05,10,446	3,94,01,06,151	65,81,25,526		4,59,82,31,677	17,33,22,78,770	14,44,69,80,635

(Written down values)

डॉ. रेखा रंजक शर्मा / Dr. Rekha Ranjak Kumar
सदस्य वित्त / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

(आंकड़े ₹ में)
(Figures in ₹)

अनुसूची – 9 SCHEDULE 9	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
चिन्हित/अक्षय निधियों से निवेश INVESTMENTS FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में In Government Securities		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities		
3. शेयर Shares		
4. डिबेंचर तथा बॉण्ड Debentures and Bonds		
5. सहायक कंपनियाँ एवं संयुक्त उद्यम Subsidiaries and Joint Ventures		
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें) Others (to be specified)		
कुल TOTAL	शून्य NIL	शून्य NIL

(आंकड़े ₹ में)
(Figures in ₹)

अनुसूची – 10 SCHEDULE 10	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
निवेश–अन्य INVESTMENTS-OTHERS		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में In Government Securities		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों Other approved Securities		
3. शेयर 3. Shares		
4. डिबेंचर तथा बॉण्ड Debentures and Bonds		
5. सहायक कम्पनियाँ एवं संयुक्त उद्यम Subsidiaries and Joint Ventures		
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें) Others (Short Term FDRs)	25,50,00,000	
कुल TOTAL	25,50,00,000	

Raikar

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

(आंकड़े ₹ में)
(Figures in ₹)

अनुसूची – 11 SCHEDULE 11	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
चालू परिसम्पतियाँ, ऋण, अग्रिम इत्यादि CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.		
अ. चालू परिसम्पतियाँ CURRENT ASSETS		
1. वस्तु सूची Inventories		
(क) स्टोर्स एवं स्पेयर्स Stores and Spares		
(ख) खुले औजार Loose Tools		
(ग) स्टॉक–इनट्रेड Stock-in-trade		
तैयार माल Finished Goods		
प्रगति पर Work-in-progress		
कच्चा माल Raw Materials		
2. सकल देनदार Sundry Debtors:		
(क) छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण Debts Outstanding for a period exceeding six months		
(ख) अन्य Others	4,08,35,369	4,00,75,631
3. हस्तगत नकदी (चैकों/ड्राफ्टों/एवं इम्प्रेस्ट सहित) Cash balance in hand (including cheques/ drafts and imprest)		
4. बैंक शेष Bank Balances:		
(क) अधिसूचित बैंकों के पास With Scheduled Banks:		
चालू खातों में -On Current Accounts		
जमा खातों में (मार्जिन मनी शामिल है) -On Saving Accounts (includes margin money)	86,30,67,446	79,51,29,708
(ख) गैर अधिसूचित बैंकों के पास With non-Scheduled Banks:		
चालू खातों में -On Current Accounts		
जमा खातों में -On Deposit Accounts		
बचत खातों में -OnSaving Accounts		
5. डाक बचत खाते Post Office- Saving Accounts		
कुल (क) Total (A)	90,39,02,815	83,52,05,339

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

(आंकड़े ₹ में)
(Figures in ₹)

अनुसूची – 11 SCHEDULE 11	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
चालू परिसम्पतियाँ, ऋण, अग्रिम इत्यादि (जारी) CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC. (Cond.)		
ब. ऋण, अग्रिम एवं परिसम्पतियाँ LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSESTS		
1. ऋण Loans:		
(क) कर्मचारियों को Staff	-	-
(ख) समान गतिविधियों/उद्देश्यों में संलग्न अन्य संस्थाएँ Other Entities engaged in activities/ objectives similar to that of the Entity		
(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) Others Temp. Advance	9,90,798	43,81,614
2. प्राप्त किए जाने वाले मूल्य नकदी अथवा वस्तु में प्राप्त योग्य अग्रिम एवं अन्य राशियाँ Advances and other amounts,recoverable in cash or in kind or for value to be recevied:		
(क) पूंजी लेखे में On Capital Account		
(ख) ठेकेदार/पीएमसी को पूर्व भुगतान Prepayments to the contractor/PMCs	1,24,02,55,092	1,49,99,37,843
(ग) पूर्वभुगतान पर ब्याज Interest on Prepayments	7,79,40,810	
(घ) अन्य टीडीएस 31.03.2023 तक Others TDS Upto 31.03.2023	53,08,427	1,00,60,995
(ङ) टीडीएस 01.04.2023 से 31.03.2024 तक TDS 01.04.2023 to 31.03.2204	70,38,974	
3. अर्जित आय Income Accrued;		
(क) आय Income from Custodian		
(ख) ब्याज Interest	1,85,59,675	11,58,185
(ग) ऋणों पर तथा अग्रिमों पर (बैंक खाता) On Loans and Advances (Bank Account)		
(घ) अन्य Others		-
प्राप्य जी.एस.टी. GST Receivable		1,41,101
(ङ) विद्युत बोर्ड के पास सुरक्षा जमा Security Deposits with Electricity Board	8,64,12,628	2,22,63,146
(च) फुल बॉडी ट्रक स्कैनर अग्रिम FBTS Advances	4,90,67,366	4,90,67,366
कुल (क) Total (B)	1,48,55,73,770	1,58,70,10,250
कुल (क+ख) Total (A+B)	2,38,94,76,586	2,42,22,15,588

Raikar

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

(आंकड़े ₹ में)
(Figures in ₹)

अनुसूची – 12 SCHEDULE 12	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
बिक्री/सेवाओं से आय INCOME FROM SALE/SERVICES		
(1) बिक्री से आय Income from Sales		
(क) तैयार माल की बिक्री Sale of Finished Goods		
(ख) कच्चे माल की बिक्री Sale of Raw Material		
(ग) कबाड़ की बिक्री Sale of Scraps		
(2) सेवाओं से आय Income from Services	60,19,81,677	28,28,24,271
(क) श्रमिक तथा प्रसंस्करण शुल्क Labour and Processing Charges		
(ख) व्यवसायिक/कंसलटेंसी सेवाएँ Professional Services		
(ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली Agency Commission and Brokerage		
(घ) रख–रखाव सेवाएँ/उपकरण/परिसम्पत्ति Maintenance Services (Equipment/Property)		
(ङ) अन्य Others		
कुल (क) TOTAL	60,19,81,677	28,28,24,271

Note : During the FY 2023-24 income is shown in correct head which was previous year mentioned in profesional services

Raily

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

(आंकड़े ₹ में)
(Figures in ₹)

अनुसूची – 13 SCHEDULE 13		इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
एवं सब्सिडी GRANTS/SUBSIDIES (Irrevocable Grants & Subsidies Received)			
(1) केंद्रीय सरकार Central Government			
(क) अनुदान सहायता जनरल (राजस्व अनुदान) Grant-in-Aid General (Revenue Grant)	55,00,00,000	53,68,91,419	27,00,00,000
(ख) समर्पित शेष अनुदान सहायता जनरल (राजस्व अनुदान) (-) Surrendered balance of Grant-in-Aid General (Revenue Grant) (-)	(1,31,08,581)		
(ग) अनुदान सहायता वेतन(राजस्व अनुदान) Grant-in-Aid Salaries (Revenue Grant)	8,50,00,000	8,43,41,052	8,25,00,000
(घ) समर्पित शेष अनुदान सहायता वेतन (राजस्व अनुदान) (-) Surrendered Grant-in-Aid Salaries (Revenue Grant) (-)	(6,58,948)		
(2) राज्य सरकार State Government(s)			
(3) सरकारी एजेंसियाँ Government Agencies			
(4) संस्थाएँ/कल्याण निकाएँ Institutions/ Welfare Bodies			
(5) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन International Organisations			
(6) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) Others (Specify)			
कुल Total		**62,12,32,471**	**35,25,00,000**

Note: During the FY 2023-24 figure of Revenue Grant head wise bifercated, which was previous year mentioned in Central Government

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

(आंकड़े ₹ में)
(Figures in ₹)

अनुसूची – 14 SCHEDULE 14	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
शुल्क/सदस्यता शुल्क FEES/ SUBSCRIPTIONS		
(1) प्रवेश शुल्क Entrance Fees		
(2) वार्षिक शुल्क/सदस्यता शुल्क Annual Fees/ Subscriptions		
(3) सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क Seminar / Program Fees		
(4) कंसलटेंसी शुल्क Consultancy Fees		
(5) अन्य (किराया एवं अन्य) Others (Rental & others)	1,95,18,422	1,73,65,127
कुल Total	1,95,18,422	1,73,65,127
टिप्पणी:– प्रत्येक मद के लिए लेखाकरण नीतियाँ प्रकट की जाएंगी Note- Accounting Policies towards each item are to be disclosed.		

(आंकड़े ₹ में)
(Figure in ₹)

अनुसूची 15 SCHEDULE 15	निधि से निवेश Investment From Earmarked		निवेश अन्य Investment-Others	
निवेश से हुई आय INCOME FROM INVESTMENTS (निधियों में हस्तांतरित चिन्हित/अक्षय निधियों से निवेश पर आय) निधियों से निवेश पर आय) (Income on investment from Earmarked/ Endowment Funds transferred to Funds)	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
(1) ब्याज Interest				
(क) सरकारी प्रतिभूतियों पर On Government Securities				
(ख) अन्य बॉण्ड/डिबेंचर Other Bonds/Debentures				
(2) लाभांश Dividends				
(क) शेयरों पर On Shares				
(ख) म्यूचल फंड प्रतिभूतियों पर On Mutual Funds Securities				
(3) किराया Rents				
(4) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) Others (Specify)				
कुल TOTAL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL

अनुसूची – 16 SCHEDULE 16	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
रॉयल्टी प्रकाशन से आय INCOME FROM ROYALTY PUBLICATION		
(1) रॉयल्टी से आय Income from Royalty		
(2) प्रकाशनों से आय Income From Publications		
(3) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) Others (specify)		
कुल TOTAL	शून्य NIL	शून्य NIL

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

(आंकड़े ₹ में)
(Figures in ₹)

अनुसूची – 17 SCHEDULE 17	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
अर्जित ब्याज INTEREST EARNED		
(1) आवधिक जमा पर On Term Deposits;		
(क) अधिसूचित बैंकों के पास With Scheduled Banks	1,57,95,549	
(ख) गैर अधिसूचित बैंकों के पास With Non-Scheduled Banks		
(ग) संस्थाओं के पास With Institutions		
(घ) अन्य Others		
2. बचत खातों पर On Savings Accounts;		
(क) अधिसूचित बैंकों के पास With Scheduled Banks	2,38,52,527	1,30,90,601
(ख) गैर अधिसूचित बैंकों के पास With Non-Scheduled Banks		
(ग) डाकखाना बचत खाते Post Office Savings Accounts		
(घ) अन्य Others		
3. ऋणों पर On Loans;		
(क) कर्मचारी/स्टाफ Employees/Staff		
(ख) अन्य Others		
4. देनदारों एवं अन्य प्राप्त योग्य राशियों पर ब्याज Interest on Debtors and Others Receivables		
कुल TOTAL	3,96,48,076	1,30,90,601
स्रोत पर काटा गया कर सूचित किया जाए Note- Tax deducted at source to be indicated		

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

(आंकड़े ₹ में)
(Figures in ₹)

अनुसूची – 18 SCHEDULE 18	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
अन्य आय OTHER INCOME		
(1) बिक्री/परिसम्पति की बिक्री Profit on sale/disposal of Assets:		1,97,251
क) स्वयं की परिसम्पति की Owned assets		
ख) अनुदानों अथवा निशुल्क प्राप्त परिसम्पतियॉं Assets acquired out of grants,or received free of cost		
(2) निर्यात प्रोत्साहनों की वसूली Export Incentives realized		
(3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क Fees for Miscellaneous Services		
(4) विविध आय (निविदा बिक्री) Miscellaneous Income (Tender Sale)	5,67,268	15,08,239
कुल TOTAL	**5,67,268**	**17,05,490**

(Figures in ₹)

अनुसूची – 19 SCHEDULE 19	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/कमी एवं कार्य प्रगति पर INCREASE/DECREASE IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS		
(क) अन्त स्टॉक Closing stock		
- तैयार माल - Finished Goods		
- कार्य प्रगति पर - Work in Progress		
(ख) आरम्भिक स्टॉक Less:Opening Stock		
- तैयार माल - Finished Goods		
- कार्य प्रगति पर - Work in Progress		
निवल वृद्धि/कमी (क–ख) NET INCREASE/DECREASE (a-b)	शून्य NIL	शून्य NIL

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

(आंकड़े ₹ में)
(Figures in ₹)

अनुसूची – 20 SCHEDULE 20	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
स्थापना व्यय ESTABLISHMENT EXPENSES		
(i) वेतन और मजदूरी बोनस शामिल Salaries and Wages included bonus	29,35,22,760	25,93,48,687
(ii) भत्ते एवं बोनस Allowance and Bonus		
(iii) भविष्य निधि में योगदान Contribution to Provident Fund	19,73,806	2,22,381
(iv) अन्य निधि में योगदान Contribution to Other Fund (CGHS)	1,73,218	1,91,336
(v) कर्मचारी कल्याण व्यय Staff Welfare Expenses		
(vi) कर्मचारी के सेवानिवृत पर मिलने वाले लाभों पर व्यय Expenses on Employees' Retirement Terminal Benefits		
(vii) अन्य चिकित्सा प्रभार Others (Medical Treatments)	16,44,277	-
कुल TOTAL	29,73,14,061	25,97,62,404

Raikar

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

(Figures in ₹)

अनुसूची – 21 SCHEDULE 21	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.		
(क) खरीद Purchases		
(ख) श्रमिक एवं प्रसंस्करण व्यय Labour and Processing Expenses		
(ग) ढुलाई एवं वाहन व्यय Cartage and Carriage Inwards		
(घ) विद्युत एवं पावर Electricity and Power (Net)	3,85,39,634	3,12,65,744
(ङ) जल प्रभार Water Charges	2,31,462	2,43,476
(च) बीमा Insurance		
(छ) मरम्मत एवं रख–रखाव Repairs and Maintenance	3,11,83,159	3,46,05,626
(ज) उत्पाद शुल्क Excise Duty/ Service Tax/GST		
(झ) किराया, दर एवं कर Rent, Rates and Taxes	1,34,40,294	1,34,42,374
(ञ) वाहन चालन एवं रख–रखाव अटारी मे बस Vehicles Running and Maintenance	1,55,74,287	1,39,82,562
(ट) डाकखर्च, दूरभाष एवं संचार शुल्क Postage , Telephone and Maintenance	85,28,601	79,32,241
(ठ) प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी Printing and Stationary	69,33,136	54,97,721
(ड) यात्रा एवं सवारी व्यय Travelling and Conveyance Expenses		-
(ण) गोष्ठी/कार्यशालाओं पर व्यय Expenses on Seminar/Workshops and Event	9,93,24,849	-
(त) सदस्यता शुल्क व्यय Subscription Expenses (News Papers)	2,45,225	1,84,242
(थ) बैंक प्रभार Bank Charges	2,42,532	1,63,413
(द) लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक Auditors Remuneration	17,62,340	26,015
(न) अतिथि सत्कार व्यय Hospitality Expenses	23,84,794	35,44,184
(प) व्यवसायिक शुल्क Professional Charges	20,39,87,170	12,45,09,294
(फ) बागवानी के खर्च Horticulture Expenses		-
(ब) प्रदूषण नियंत्रण प्रभार Pollution control Charges		
(भ) हैंडलिंग और परिवहन शुल्क Handling and Transportation Charges	12,07,64,993	6,74,49,085
(म) यात्रा Domestic Travelling	1,47,74,514	1,08,68,970
(य) विदेश यात्रा Foreign Travel	1,00,157	61,912
(र) विज्ञापन एवं प्रचार Advertisement and Publicity	4,800	5,72,888
(ल) कार्यलय व्यय Office expenses	2,25,85,163	1,56,63,364
कुल TOTAL	58,06,07,110	33,00,13,110

Raikar

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

(आंकड़े ₹ में)
(Figures in ₹)

अनुसूची – 22 SCHEDULE 22	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
अनुदानों, सब्सिडी आदि पर व्यय EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC. (क) संस्थानों/संगठनों आदि को दिया गया अनुदान Grants given to Institutions/ Organisations (ख) संस्थानों/संगठनों को दी गई सब्सिडी Subsidies given to Institutions/ Organisations		
कुल TOTAL	NIL	NIL
Note- Name of the Entities,their activities along with the amount of Grants/ Subsidies are to be disclosed. टिप्पणी: संस्थाओं का नाम, उनकी गतिविधियों तथा अनुदान/सब्सिडी को प्रकट किया जाएगा		

(आंकड़े ₹ में)
(Figures in ₹)

अनुसूची – 23 SCHEDULE 23	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
ब्याज INTEREST (क) सावधि ऋणों पर On Fixed Loans (ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित) On Other Loans (including Bank Charges) (ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) Others (specify)		
कुल TOTAL	शून्य NIL	शून्य NIL

Raikar

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए अनुसूचियाँ, जो लेखा का अभिन्न भाग है

अनुसूची 24

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ:

1. लेखा परंपरा

वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार: वित्तीय विवरणों को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत तैयार किया गया हैं। प्राधिकरण लेखांकन की प्रोद्भव प्रणाली को अपनाता है, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया जाए। एकीकृत जांच चौकियों से राजस्व, किराया और बचत बैंक खातों से ब्याज तथा वेतन, बिजली, टेलीफोन, व्यावसायिक सेवाएँ और अन्य विविध व्ययों जैसे व्यय की प्रोद्भव आधार पर गणना की जाती हैं।

लेखों के प्रारूप को भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 के अध्याय-IV की धारा-13 और अध्याय-V की धारा-14 के तहत निर्धारित प्रारूप में तैयार किया गया है, जो भारत सरकार द्वारा उसकी संचार संख्या एफ-4-21/2002-45 दिनांक 25 फरवरी, 2003 के अनुसार निर्धारित प्रारूप के अनुरुप है।

2. अचल परिसंपतियां

- अचल परिसंपतियों को अधिग्रहण की लागत पर बताया गया है, जिसमें आवक भाड़ा, शुल्क और कर तथा अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं। निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं के संबंध में, संबंधित पूर्व-संचालन व्यय/आय (निर्दिष्ट परियोजना के पूरा होने से पहले ऋण/जमा पर ब्याज सहित) पूंजीकृत परिसंपतियों के मूल्य का भाग हैं। राइट्स, इरकॉन, शापूरजी, मणिडको और अन्य पीएमसी द्वारा ठेकेदार के चालू बिलों के आधार पर प्रस्तुत विवरणों के अनुसार परिसंपतियों को पूंजीकृत किया गया है, बशर्ते कि प्रत्येक एकीकृत जांच चौकी के अंतिम बिल के निपटान के समय उसका समायोजन कर दिया जाए।
- गैर-आर्थिक अनुदान (कॉर्पस फंड के अलावा) के माध्यम से प्राप्त अचल परिसंपतियों को पूंजी आरक्षिति(रिजर्व) में संगत क्रेडिट द्वारा बताए गए मूल्यों पर पूंजीकृत किया जाता है।
- वर्ष के दौरान, आवश्यक होने पर, परिवर्धन/विलोपन शीर्ष के अंतर्गत परिसंपतियों का मूल्य समायोजित किया गया है।

रायकरकुमार

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

3. मूल्यह्रास

- आयकर अधिनियम, 1961 में निर्दिष्ट दरों के अनुसार रिटर्न डाउन(अंकित) मूल्यों पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, जिसे संबंधित परिसंपत्तियों की शेष अवधि पर परिशोधित किया गया है।
- वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि/कटौतियों के संबंध में, मूल्यह्रास अंकित मूल्यों (रिटर्न डाउन मूल्य) पर आंका गया है।

4. सरकारी अनुदान/सब्सिडी

- **अनुदान सहायता:** वर्ष के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता को प्रोद्भवन आधार पर माना जाता है और वर्ष के दौरान स्वीकृत अनुदानों के आधार पर प्रावधान किया गया है।
- **पूंजी अनुदान:** परियोजनाओं को स्थापित करने की पूंजी लागत के लिए अंशदान के रूप में सरकारी अनुदान राशि को पूंजी रिजर्व माना जाता है। प्राप्त पूंजी अनुदान और उस पर अर्जित ब्याज को तुलन पत्र(बैलेंस शीट) की अनुसूची 2 में पूंजी रिजर्व के रूप में दिखाया गया है।
- सामान्य वित्तीय नियम-2017 के नियम-230(8) के अनुसार, 4.37 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता राशि पर अर्जित ब्याज को भारत की समेकित निधि (पीएओ, सचिवालय, गृह मंत्रालय) को देय खातों में दर्शाया गया है।

- सरकारी अनुदान/सब्सिडी का वसूली के आधार पर लेखा-जोखा रखा जाता है।

5. पट्टा(लीज्ड)

पट्टे का किराया लीज्ड की शर्तों के अनुसार व्यय किया जाता है।

6. सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान

- भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण एक सांविधिक संगठन है, जिसकी स्थापना 01.03.2012 से हुई है। संगठन में सभी पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हैं, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के भर्ती नियमों में वर्तमान में सेवानिवृत्ति लाभों का कोई प्रावधान नहीं है। अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले अपने मूल कार्यालय में वापस भेजा जाना है।

7. कराधान

आयकर अधिनियम 1961 के तहत कोई कर योग्य आय नहीं होने के मद्देनजर, आयकर के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है।

रायकरकुमार

(रेखा रायकर कुमार)
सदस्य (वित्त)

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

(आदित्य मिश्रा)
अध्यक्ष

आदित्य मिश्रा / ADITYA MISHRA
अध्यक्ष / Chairman
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Govt. of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली–110511/ Khan Market, New Delhi-110511

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली
31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए अनुसूचियाँ, जो लेखा का अभिन्न भाग है

अनुसूची 25

आकस्मिक देयताएँ और लेखा-टिप्पणियाँ

		(₹ लाख में)
1.	आकस्मिक देयताएँ	
1.1	प्राधिकरण के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया	
	मध्यस्थता के दो मामले जिनकी राशि 1140.26 लाख रुपये है (आईसीपी अगरतला - 978.43 लाख रुपये, और पेट्रापोल - 161.83 रुपये)। बैंक गारंटी जब्त करने के तीन मामले - 366.86 लाख रुपये (मैसर्स द्वारिका प्रोजेक्ट), 331.34 लाख रुपये (मैसर्स टी.के. इंजीनियरिंग) और 736.10 लाख रुपये का एक मामला (मैसर्स पुंज लॉयड)	2574.56
1.2	निम्नलिखित के संबंध में:	
	❖ सत्ता द्वारा/की ओर से दी गई बैंक गारंटी	शून्य
	❖ सत्ता की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख पत्र	1
	❖ बैंकों के पास भुनाए गए बिल	शून्य
	❖ आदेशों के गैर-निष्पादन के लिए पार्टियों से दावे,	लागू नहीं
2.	पूंजी प्रतिबद्धताएँ	
	पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं का अनुमानित मूल्य,जिनका प्रावधान नहीं किया गया (निवल अग्रिम) (पिछले वर्ष ₹532.21 करोड़)	790.00 करोड़

रायकरकुमार

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

3. सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत और राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए क्रमशः ₹470 करोड़ और ₹62.12 करोड़ की अनुदान सहायता मंजूर की है।

4. **चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम**

प्रबंधन की राय में, चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का सामान्य व्यवसाय के दौरान प्राप्ति पर मूल्य कम से कम तुलन पत्र (बैलेंस शीट) में दर्शाई गई कुल राशि के बराबर है।

तीन एकीकृत जांच चौकी अर्थात् अटारी, रक्सौल और पेट्रापोल पर एफबीटीएस की स्थापना के लिए मैसर्स पुंज लॉयड के पक्ष में 2.45 करोड़ रुपये प्रति एकीकृत जांच चौकी स्थान की दर से 7.36 करोड़ रुपये का अग्रिम जारी किया गया है। चूंकि एकीकृत जांच चौकी अटारी में एफबीटीएस की स्थापना का कार्य 2019-20 में शुरू हुआ था, इसलिए 7.36 करोड़ रुपये में से 2.45 करोड़ रुपये को अचल परिसंपत्ति अनुसूची संख्या 8 के तहत कार्य प्रगति पर दिखाया गया है और 490.67 लाख रुपये की शेष राशि को अनुसूची-11 के तहत एफबीटीएस अग्रिम के रूप में दिखाया गया है।

19.38 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी के नकदीकरण के संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण द्वारा 19.38 करोड़ रुपये में से 7.36 करोड़ रुपये की राशि पीएम डिवीजन गृह मंत्रालय के उनके पत्र दिनांक 25.02.2022 के निर्देशानुसार अपने बैंक खाते में भुना ली गई है और 19.38 करोड़ रुपये में से 12.02 करोड़ रुपये पीएम डिवीजन द्वारा भुना लिए गए हैं।

(रेखा रायकर कुमार)
सदस्य (वित्त)

डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003

(आदित्य मिश्रा)
अध्यक्ष

आदित्य मिश्रा / ADITYA MISHRA
अध्यक्ष / Chairman
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Govt. of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110511/ Khan Market, New Delhi-110511

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली
THE LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA, NEW DELHI
31.03.2024को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान
RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE YEAR ENDED ON 31.03.2024

(राशि- रूपये में)
(Amount- Rs.)

प्राप्तियां RECEIPTS	इस वर्ष CURRENT YEAR	पत्त वर्ष PREVIOUS YEAR	भुगतान PAYMENTS	इस वर्ष CURRENT YEAR	पत्त वर्ष PREVIOUS YEAR
1 प्रारंभिक 1. Opening Balances			1. व्यय 1. Expenses		
(अ) हस्तगत नकदी a) Cash in Hand	-	-	(क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के समतुल्य) a) Establishment Expenses	29,73,14,061	25,97,62,404
(ब) बैंक शेष b) Bank Balances			(ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21 के समतुल्य) b) Administrative Expenses	58,06,07,110	33,00,13,110
i) चालू खाते I) In Current Accounts	-	-	(corresponding to schedule 21) 1. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के विरुद्ध किया गया भुगतान (निधि का नाम अथवा प्रत्येक परियोजना के लिए किये गए भुगतान सहित परियोजनाओं का उल्लेख		
ii) In Deposit Accounts	-	-			
iii) बचत खाते iii) In Saving Accounts	79,51,29,708	88,35,33,475	2. Payments made, against funds for various projects (Name of the fund or projects should be shown alongwith the particulars of payments made for each project		
2 प्राप्त अनुदान 2. Grants Received			(ग) a) FDTS Advance		
(अ) भारत सरकार से a) From Government of India					
i) पूंजी अनुदान i) Capital Grant	4,70,00,00,000	3,23,20,39,410	3. निवेश एवं जमा राशि 3. Investment and Deposit made	25,50,00,000	-
ii) राजस्व अनुदान ii) Revenue Grant	63,50,00,000	35,25,00,000	4. स्थाई परिसम्पतियों एवं पूंजी कार्यों पर व्यय		
(ब) अर्जित ब्याज iii) Interest	22,77,219	1,28,40,289	4. Expenditure on Fixed Assets & CWIP		
(स) राज्य सरकार से b) From State Government			(क) स्थायी परिसम्पतियों एवं पूंजी कार्यों पर व्यय		
(ग) अन्य स्रोत से (विवरण) c) From Other Sources (Details)			A) Purchase of Fixed Assets	1,87,42,14,385	1,19,15,92,493
			B) Add depreciation for the year C) Less interest accrude d) advances to contractors Total (A+B)-C)+D=		
3 भनाया का नकदी 3. Encashment of investment			(ख) पूंजी कार्य प्रगति पर व्यय		
(क) निधियां/अन्य निधियों से			b) Expenditure on Capital WIP	3,08,53,25,188	2,35,18,51,168
(ख) ऋण की निधियों से (ब्याज) b) Interest Still	-	-	5. रिफंड एवं अधिशेषधन/ ऋण 5. Refunds of Surplus Money/Loans		
ग) वर्तमान में दायित्व c) Net Current Liability	20,19,70,765	11,73,54,198	(क) राज्य सरकार को b) To State Government		
4. प्राप्त ब्याज 4. Interest Received			ग) शुद्ध अदत्यक्ष व्यय c) Net Receivable from attari	-	-
(अ) बैंक जमा पर a) On Bank Deposits (Saving)	1,88,30,454	1,37,64,539	d) Net Sundry Assets	-	-
(ब) ऋण, अग्रिम आदि b) Loans, Advances etc.	-	-	ग) सुरक्षा जमा राशि e) Security Deposit	9,23,00,981	10,21,08,333
c) Misc.			f) Payment for utilisation of Capital Grant	9,42,48,259	
5. अन्य (निर्दिष्ट करें) 5. Others (Receivable)					
(अ) किराए पर प्राप्तियाँ a) Rent Receipts	1,95,18,422	1,73,65,127	6. वित्त प्रभार 6. Finance Charges (Interest)		
(ब) अटारी से राजस्व b) Revenue from operations	66,26,02,680	33,05,33,040	7. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें) 7. Other Payments (Specify)		
6.Any Other Receipts a) Security Deposit	-	-	(क) टी.डी.एस जमाएँ a) TDS		
b) Misc. Receipts (other income received)	11,73,08,032	8,20,59,008	(ख) बैंक शुल्क b) Bank Charges	-	
c) Income Tax Receipts	18,18,071	13,68,960	c) Interest		
7. Any other Receipts (Temp. advance)	41,36,695	27,08,009	d) Temp.Advances (Net)	1,64,94,816	1,56,08,838
8. Receivable from attari	-	-	e) Net GST Payable देय जीएसटी		
9. Secured Advance Kartarpur	-	-	8 अन्य शेष 8. Closing Balance		
10.GST CWC	-	-	(अ) हस्तगत नकदी a) Cash in Hand		
11. TDS Receivable net			(ब) बैंक शेष b) Bank Balances		
			i) चालू खाते i) In Current Accounts		
			ii) जमा खाते II) In Deposit Accounts		
			iii) बचत खाते iii) In Saving Accounts	86,30,67,446	79,51,29,708
कुल TOTAL	7,15,85,92,246	5,04,60,66,054	कुल TOTAL	7,15,85,92,246	5,04,60,66,054

Dr. Rekha Raikar Kumar
डॉ. रेखा रायकर कुमार / Dr. Rekha Raikar Kumar
सदस्य (वित्त) / Member (Finance)
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण / Land Ports Authority of India
गृह मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Home Affairs, Government of India
प्रथम तल, लोक नायक भवन / 1st Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 / Khan Market, New Delhi-110003



Land Port Authority of India

Ministry of Home Affairs
Department of Border Management
1st Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110511
Office No.: 011-24340712, Fax No. : 011-24340754

Contact Us On: